तो ऐ लोगो! इल्म वालों से पूछो अगर तुम्हें इल्म नहीं
(कंज़ुल इमान)

इस्लाहे अ़वाम

मुअल्लिफ़
मुहम्मद इल्यास रज़ा ख़ाँ रज़वी

बतआ़वुन
जनाब आस मुहम्मद ख़ाँ साहिब
(इंजीनियर)
रबूपुरा ग्रेटर नोएडा

नाशिर
मुअस्ससह मिरआतुद्दावतिल इस्लामिया
गुलड़िया सखौला पीलीभीत शरीफ, (यू०पी०)

आह हमारे मौलाना साहिब

शेरपुर कलाँ के एक नौजवान आलिमे दीन मौलाना मुहम्मद नक़ीब रज़ा साहिब मिस्बाही हमारे दरमियान न रहे मौसूफ़ एक संजीदह मिज़ाज आलि़म होने के साथ साथ साहि़बे तक़वा और वफ़ा शिआ़र भी थे। रद्दे वहाबिय्यत उनका मह़बूब मशग़ला था।

और तस्नीफ़ व तालीफ से भी गहरा लगाव था जो कि ज़िंदगी के वफ़ा न करने से अधूरा रहा। आख़िर कार अपनी ह़याते मुस्तआ़र का तक़रीबन 36 साल का ज़माना गुज़ार कर इस खाक़दाने गेती से बतारीख़ 27 रमज़ानुल मुबारक 1442 हिजरी मुताबिक़ 10 मई 2021 ईसवी को रेह़लत फ़रमा गये।

मौला तआ़ला से दुआ है कि उन्हें अपनी रह़मत व मग़फ़िरत के बरकात से नवाज़े (आमीन)

मुहम्मद इल्यास रज़वी

Publisher
MOASSASAH MIR-ATUDDAWATIL ISLAMIA
Gularia, Sakola, Pilibhit (U.P.)

किताब : इस्लाहे अ़वाम
मुअल्लिफ़ : मुहम्मद इल्यास रज़ा ख़ाँ रज़वी
तस्हीह : मुफ़्ती मुहम्मद रिज़्वान रज़वी मिस्बाही
बिहार कलाँ बरेली शरीफ़
कम्पोज़िंग : मौलाना मुहम्मद शफ़ीकुल ह़क़ रज़वी
(मोबाइल न0 : 9997662550)
साले तबाअ़ते अव्वल : 25 सफरुल मुज़फ्फर 1443 हिजरी
मुताबिक़ 4 अक्तूबर 2021 ई
ब-मौक़ा उर्से रज़वी
तादाद : 1100
सफ़हात : 128

الصلوۃ والسلام علیک یارسول اللہ ﷺ

तो ऐ लोगो इल्म वालों से पूछो अगर तुम्हें इल्म नहीं (कंज़ुलईमान)

इस्लाहे अ़वाम

मुअल्लिफ़
मुहम्मद इल्यास रज़ा ख़ाँ रज़वी

बतआ़वुन
जनाब आस मुहम्मद ख़ाँ साहिब
(इंजीनियर) रबूपुरा ग्रेटर नोएडा

नाशिर
मुअस्ससह मिरआतुद्दावतिल इस्लामिया
गुलड़िया सखौला पीलीभीत शरीफ़ यू पी

फेहरिस्त मज़ामीन

बेइस्मेही तआ़ला

الصلاۃ والسلام علی من کان نبیا وّ آدم بین الماء والطین

उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो
न जाने किस गली में ज़िन्दगी की शाम हो जाये

शर्फ़े इंतेसाब

मैं अपनी यह तालीफ मंसूब करता हूँ आशिक़े रसूले अकरम स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम हुज़ूर सरकारे आला ह़ज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ाँ फाज़िले बरेलवी रद़ियल्लाहु अन्हु के नाम कि जिन्होंने बिगड़ते हुये माहौल में ख़ुश अ़क़ीदा मुसलमानों के ईमान की हिफ़ाज़त तस्नीफ़ात व तालीफ़ात व फ़तावा से फरमाई और मुसलमानों को देवबन्दियत, वहाबियत, राफ़िज़यत, क़ादयानियत वग़ैरा फ़िरकाहाये बात़िला की तारीकियों और गुम्राहियों से बचाया व हुज़ूर मह़ब्बत शाह मियाँ रहमतुल्लाह अलैहि के नाम कि जिन के आस्ताना पर हाज़िरी देकर यह नाचीज़ इस क़ाबिल हुआ व हुज़ूर मुशाहिदे मिल्लत नव्वरल्लाहु मरक़दहू के नाम कि जिन्होंने मेरा दौराने त़ालिबेइल्मी दारुलउ़लूम हशमतुर्रज़ा पीलीभीत शरीफ़ में हर त़रह़ से ख़्याल फरमाया व हुज़ूर ताजुश्शरीआ़ ह़ज़रत अल्लामा मुफ़्ती मुहम्मद अख़्तर रज़ा ख़ान साहिब क़िब्ला क़ुद्दिसा सिर्रुहु के नाम कि जिन्होंने अपनी हयाते ज़ाहिरी में आलमे ख़्वाब में तशरीफ़ लाकर मुझ नाचीज़ को दुआ़ दे कर उस सरकश जिन से हमेशा के

लिए महफ़ूज़ कर दिया जो सरकश जिन सोने व बेदारी की हालत में डराओनी आवाज़ें निकाल कर मुझ को परेशान किया करता था और डराता था व दादा नादिर ख़ाँ मरहूम व नाना अब्दुलअ़ज़ीज़ ख़ाँ मरहूम के नाम कि जिनकी दुआ़ओं की बरकत से अल्लाह अ़ज़्ज़ व जल्ल ने मेरे अन्दर मुसलमानों की इस्लाह़ के लिए यह एक मुख़्तस़र सी किताब बनाम इस्लाहे अ़वाम तय्यार करने की तौफ़ीक़ बख़्शी।

गर क़बूल उफतद ज़हे इज़् व श़रफ

ख़ादिमुलइस्लाम

मुहम्मद इल्यास रज़ा ख़ाँ रज़वी

ह़म्दे बारी तआ़ला

चल क़लम अब ह़म्दे रब मक़्सूद है
तेरा मेरा सब का जो मअ़बूद है
है वही शाहिद वही मशहूद है
नूर उस का हर जगह मौजूद है
उस ने ही बख्शे हैं हम को मुस्तफ़ा
वह न हों तो ज़िन्दगी बे सूद है
यूँ तो है कुरआँ हिदायत की किताब
पर किसी का तज़्किरा मक़्सूद है
वद्दुहा वश्शम्स जिसकी शान है
हाँ वही अहमद वही महमूद है
उनका चर्चा हर ज़ुबाँ पर है रवाँ
उनकी ख़ुशबू हर जगह मौजूद है
अज़्मते अहमद में जिसको है शुबह
हाँ वही शैत़ाँ वही मरदूद है
और जो करता है उन पर जां फिदा
वह मुबारक है वही मसऊद है
नूर की बरसात होती है वहाँ
जिस जगह पर महफिले मौलूद है
पढ़ते रहिए नज़्मी नाते मुस्तफ़ा
हाँ इसी में रूह की बहबूद है

नअ़ते पाक

कलामुलइमाम इमामुलकलाम

नेअ़मतें बांटता जिस सम्त वह ज़ीशान गया
साथ ही मुंशी-ए-रहमत का क़लम दान गया

ले ख़बर जल्द कि ग़ैरों की त़रफ़ ध्यान गया
मेरे मौला मेरे आक़ा तेरे क़ुर्बान गया

आह वह आँख कि नाकामे तमन्ना ही रही
हाये वह दिल जो तेरे दर से पुर अरमान गया

दिल है वह दिल जो तेरी याद से मअ़मूर रहा
सर है वह सर जो तेरे क़दमों पे क़ुर्बान गया

उन्हें जाना उन्हें माना न रखा ग़ैर से काम
लिल्लाहिलहम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया

और तुम पे मेरे आक़ा की इनायत न सही
नज्दियो! कलेमा पढ़ाने का भी ऐहसान गया

आज ले उनकी पनाह आज मदद मांग उनसे
फिर न मानेंगे क़ियामत में अगर मान गया

उफ रे मुन्किर यह बढ़ा जोशे तअ़स्सुब आखिर
भीड़ में हाथ से कम बख़्त के ईमान गया

जान व दिल होश व ख़िरद सब तो मदीने पहुँचे
तुम नहीं चलते रज़ा सारा तो सामान गया

माख़ूज़ अज़
''हदाइक़े बख़्शिश''
आला ह़ज़रत मुजद्दिदे दीन व मिल्लत
रद़ियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु

वालिदैन की अज़्मत और उनके तक़द्दुस पर

चन्द अश्आ़र

देख लो क़ुरआन में अज़्मत है क्या माँ बाप की
ह़ासिले ख़ुशनूदि-ए-रब है रज़ा माँ बाप की

माँ है जन्नत, बाप दरवाज़ा है उसका ला कलाम
यूँ हदीसे मुस्तफ़ा में है सना माँ बाप की

मग़फ़िरत इस्याँ की होगी, पायेगा अजरे अ़ज़ीम
कर ज़ियारत शौक़ से सुबहो मसा माँ बाप की

सर बुलन्दी तुझ को बख़्शेगा ख़ुदा-ए-दो जहाँ
जूतियाँ सर पर महब्बत से उठा माँ बाप की

गर बहारें बाग़े जन्नत की तुझे मत़लूब हैं
कर इत़ाअ़त जानो दिल से तू स़दा माँ बाप की

तुझ को करना चाहिए उन से सदा हुस्ने सुलूक
मत पकड़ नादान कोई भी ख़ता माँ बाप की

तलख़ि-ए-ग़म में भी देती है वह ख़ुशियों की मिठास
गूंजती है जब भी कानों में स़दा माँ बाप की

कोई कितना ही तुझे बहकाये ऐ मेरे अ़ज़ीज़!
दिल से मत करना कभी उलफ़त जुदा माँ बाप की

ता दमे आख़िर रहें माँ बाप के साये में हम
बरकतें दे उ़म्र में तू या ख़ुदा माँ बाप की

जानते हैं अहले दिल इस बात को अच्छी त़रह़
करती है तस्कीने दिल ख़िदमत अ़त़ा माँ बाप की

वह रहेगा दो जहाँ में सर फ़राज़ो सर बुलन्द
जो भी ख़िदमत उ़म्र भर करता रहा माँ बाप की

उनके पाये नाज़ के वह बन गये बोसा गुज़ार
हो गये जो अ़ज़्मतों से आशना माँ बाप की

इस में कोई शक नहीं अश्फ़ाक़ ताबिश क़ादिरी
काम आती है मुसीबत में दुआ़ माँ बाप की

अज़ नतीज-ए-फ़िक्र
हज़रत क़ारी अश्फ़ाक़ साहिब
ताबिश क़ादिरी,पूरनपूरी

तक़रीज़े जलील अव्वल

जामेअ़ मअ़कूल व मन्कूल ह़ज़रत अल्लामा व मौलाना
मुफ़्ती **मुहम्मद याद अली** साहिब क़िब्ला रज़वी अतालल्लाहु उमुरहू
उस्ताज़ :- मदरसा दीनियात तालीमुलक़ुरआन क़स्बा तिलहर जिला शाहजहाँपुर

अज़ीज़म अल्लामा मौलाना मुहम्मद इल्यास साहिब रज़वी शेरपूरी एक नौ जवान मुतहर्रिक व फ़अ़ाल आलिमे दीन हैं। चूंकी बाज़ लोग ला इल्मी की बिना पर अपनी नमाज़ रोज़ा वग़ैरा आ़माल में ग़लतियाँ कर बैठते हैं तो मौसूफ़ ने उनकी इस्लाह़ के इरादे से फ़िक़्ही हन्फ़ी मसाइल पर मुश्तमिल बनाम ''इस्लाहे-अ़वाम'' एक किताब तस्नीफ़ फरमाई।

हदीस शरीफ़ में है रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फरमाया जिस शख़्स़ ने किसी भलाई की त़रफ़ रहनुमाई की उसे अमल करने वालों की मिस्ल सवाब मिलेगा।

(मिश्कात शरीफ़)

इस हदीस शरीफ़ के पेशे नज़र मौसूफ़ बे शुमार सवाब के मुस्तहक़ हैं और कम उ़मरी में यह किताब तस्नीफ़ फ़रमाई इस लिए क़ाबिले स़द तहसीन भी हैं फ़क़ीर ने सरसरी त़ौर पर इस किताब का मुताला किया मसाइल को अवाम के लिए मुफ़ीद पाया और ख़ूबी की बात यह है कि बेशतर मसाइल हवाला जात से मुज़य्यन हैं, अहले सरवत और बड़े उलमा ऐसे मज़हबी क़ौमी जज़्बा रखने वाले उलमा की हौसला अफ़ज़ाई और सर परस्ती करें तो बईद नहीं कि ऐसे नौ जवान आ़लिमे दीन एक अ़ज़ीम मुबल्लिग़

और मुसन्निफ़ बन सकते हैं। अल्लाह तआ़ला अपने प्यारे हबीब स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम के तवस्सुल से मुअल्लिफ़ मौसूफ़ की इस काविश को क़बूल फरमाये और दीगर उलमा-ए-अहले सुन्नत को भी मसलके आला ह़ज़रत पर तहरीरी काम की तौफ़ीक़ अ़त़ा फरमाये।

मुहम्मद याद अली रज़वी

ख़ादिम मदरसा दीनियात त़ालीमुलक़ुरआन

तिलहर शाहजहाँपुर

9/जुमादिउल आखिरा 1440 हिजरी।

तक़्रीज़े जलील दोम

फ़ख्रे सहाफत हज़रत अल्लामा व मौलाना

मुबारक हुसैन साहिब क़िब्ला मिस्बाही रज़वी अतालल्लाहु उमुरहु

ख़लीफ -ए- ताजुश्शरीआ़ व ख़ादिमुत्तदरीस वस्सहाफह

जामिया अशरफिया मुबारकपूर

بسم اللہ الرحمن الرحیم

نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔

क़ाबिले सद ऐहतराम ह़ज़रत मौलाना मुहम्मद इल्यास रज़ा ख़ाँ रज़वी दाम ज़िल्लहुलआ़ली एक नो जवान और संजीदा साह़िबे इ़ल्म व फ़ज़्ल हैं उनकी फ़िक्रों में कुछ कर गुज़रने का ह़ौसला है,मुत़ाला का ज़ौक़ है, नित नये मौज़ूआ़त पर ग़ौर व फ़िक्र करते रहते हैं, ज़हनी त़ौर पर आज़ाद नहीं बल्कि मशाइख़े किराम और ख़ानवाद-ए-आ़ला ह़ज़रत मुह़द्दिसे बरेलवी क़ुद्दिसा सिर्रुहु से पूरे तौर पर वाबस्ता हैं, एक नो जवान आ़लिमे दीन के लिए मुख़्तलिफ़ जिहतों से यह ज़रूरी भी है।

हमारे पास ह़ज़रत की काल आई थी, ज़रूरी बातों के बाद फरमाया कि हम ने एक किताब ''इस्लाहे़ अ़वाम'' के नाम से शाइअ़ की है हम ने मुसर्रत का इज़्हार किया, फरमाया एक नज़र आप भी देख लीजिए, हम ने कहा भेज दीजिए, मुतालअ़ करने का शरफ़ हासि़ल किया, कुछ ज़रूरी बातें हम ने ह़ज़रत से अ़र्ज़ कर दीं। ख़ैर किताब मालूमात अफ़ज़ा है, अ़वाम की इस्लाह़ व फलाह़ के लिए उस में बहुत से गोशे हैं। सच्ची बात यह है कि दो एक

मक़ाम पर हमारा मुत़ालअ़ भी ताज़ा कर दिया, ख़ास बात यह है कि मुअल्लिफ़ ने हर बात ह़वालों की रौशनी में पेश की है। ह़ज़रत से हमारी गुज़ारिश है कि इस क़िस्म की मुफ़ीद किताबें मुरत्तब फरमाते रहें। यह बहुत बड़ा सदक़-ए-जारिया है।

उसकी तक़दीर में मह़कूमी व मज़लूमी है,
क़ौम जो कर न सकी अपनी खुदी से इंसाफ़

फ़ित़रत अफराद से अग़माज़ भी कर लेती है,
कभी करती नहीं मिल्लत के गुनाहों को मुआफ़

हम दिल की अथाह गहराइयों से मुबारक बाद पेश करते हैं, अल्लाह तआ़ला आप को बुज़ुर्गों से सच्ची अक़ीदत मज़ीद अ़त़ा फरमाये, स़िह़त व सलामती के साथ मज़ीद मुतालअ़ के ज़ौक़ से सर फराज़ फरमाये, स़िद्क़ नियत के साथ मज़ीद इस्लाह़ी कार गुज़ारियों की तौफ़ीक़ से नवाज़े और इस किताब को ज़्यादा से ज़्यादा आ़म फरमाये। अमीन या रब्बल आ़लमीन बिजाहे सय्यिदिल मुरसलीन अ़लैहिस्सलातु वत्तस्लीम।

अहक़र
मुबारक हुसैन मिस्बाह़ी गुफिरा लहू
ख़लीफ़-ए हुज़ूर ताजुश्शरीआ़ क़ुद्दिसा सिर्रुहुल अ़ज़ीज
व ख़ादिमुत्तदरीस वस्सह़ाफ़ह जामिया अशरफिया मुबारकपूर।
27 ज़िलहज्जा 1441 हिजरी मुत़ाबिक़ 18 आगस्त 2020 ई॰

तक़रीज़े सईद सोम

अज़ क़लमः माहिरे इल्म व फन जामेअ़ मअ़कूलात उस्ताज़ुनल मुकर्रम
ह़ज़रत अल्लामा मौलाना अलहाज **मुहम्मद शअ़बान**
साहिब क़िब्ला मिस्बाही मद्दाजिल्लहुल आली।
नाइब प्रंसिपल दारुलउ़लूम ग़ौसिया, न्यूरिया हुसैनपुर, पीलीभीत शरीफ़

بسم اللہ الرحمن الرحیم
نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وآلہ واصحابہ اجمعین۔

बक़द्रे हाजत इल्मे दीन का हासिल करना हर मुसलमान मर्द व औ़रत पर फ़र्ज़ है हदीस शरीफ़ में है। طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم ومسلمۃ तहारत, नमाज़,रोज़ा ज़कात,हज वग़ैरा के मसाइल सीखना बक़द्रे ज़रूरत फ़र्ज़े ऐन है लेकिन अक़ाइद के वह बुनियादी मसाइल जिन के एअ़तेक़ाद से आदमी मुसलमान होता है और इंकार से काफिर या गुम्राह हो जाता है उन मसाइल का सीखना ज़्यादा अहम है बहुत से ऐसे इंसान हैं जो अपनी जहालत के सबब ऐसे अक़वाल बक देते हैं या ऐसे अफ़आल का इर्तेकाब कर बैठते हैं जिनकी वजह से वह दाइरा -ए-इस्लाम से ख़ारिज हो जाते हैं और उन्हें इस बात का ऐहसास तक नहीं होता इसलिए उर्दू ज़बान में एक आ़म फहम किताब की ज़रूरत थी जिस में उन अक़वाल व अफ़आ़ल का बयान हो जो ईमान व अक़ाइद व मसाइल के ख़िलाफ़ हैं इस ज़रूरत को अ़ज़ीज़ुलक़द्र मौलाना मुहम्मद इल्यास क़ादरी रज़वी ने महसूस किया और''इस्लाहे अ़वाम''के नाम से एक किताब तहरीर की जिस में वह ज़रूरी

अहकामे शरअ़ जमा किए गये हैं जिन से हमारे बहुत से मुसलमान भाई बेख़बर हैं या वह मसाइल व अहकाम के मुआ़मले में कुछ का कुछ समझे हुये हैं इस्लाम और उस के अहकाम के मुतअ़ल्लिक़ लोगों में जो ग़लत़ फहमियाँ राइज हो गई हैं उनकी इस्लाह के लिए इस किताब में कसरत से पेश आने वाले मसाइल बयान किये गये हैं जिन से अ़वाम इस्तिफ़ादा करे और अपने आप को संवारे और हर मसअला का माख़ज़ सुन्नी दीनियात की निहायत मोअ़तबर व मुस्तनद किताबों से है जैसा कि हवालों से ज़ाहिर है ज़ेरे नज़र किताब को अगर्चे बिलइस्तिआ़ब नहीं देखा लेकिन जस्ता जस्ता मक़ामात देखने का मौक़ा मिला ख़ूब से ख़ूब तर पाया अ़ज़ीज़ मौसूफ़ ने जिस हसीन त़र्ज़े निगारिश पर किताब तहरीर की है वह अ़वाम के लिए सहलुलहुसूल होने के साथ साथ मदारिस के त़लबा के लिए भी मुफ़ीद है। मौला तआ़ला से दुआ़ है कि इस किताब को क़बूले आ़म अ़ता फ़रमाये। और अज़ीज़ मौसूफ़ को दारैन की सआ़दतों के साथ ज़ोरे क़लम से नवाज़े अल्लाह करे ज़ोरे क़लम भी और ज़्यादा।

मुहम्मद शअ़बान मिस्बाही
ख़ादिमुत्तदरीस दारुलउ़लूम ग़ौसिया
क़स्बा न्यूरिया हुसैनपुर पीलीभीत (यू-पी)

तक़रीज़े जलील चहारुम

हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ़्ती फ़रख़न्द अली साहिब
नव्वरल्लाहु मरक़दहू,नदाइल सहसवान,बदायूँ शरीफ़

نحمده ونصلى على رسوله الكريم
اما بعد

मुझे मौलाना मुहम्मद इल्यास क़ादिरी रज़वी की किताब बनाम ''इस्लाहे अवाम'' का चीदा चीदा मक़ामात देखने का इत्तेफ़ाक़ हुआ मुकम्मल किताब तो नहीं देख पाया देखने के बाद मअ़लूम हुआ कि किताब का जैसा नाम मौसूफ ने तजवीज़ फरमाया वैसा ही मौसूफ ने मुख़्तलिफ़ मसाइल से किताब की तक्मील की इस से अ़वाम ख़ास़ कर त़लबा फ़ैज़याब होंगे मौसूफ़ ने अपनी इस काविश में बहुत ही मशक़्क़त का सामना किया और बहुत रुकावटें दर पेश भी हुई मगर पाये इस्तिक़ामत में लग़ज़िश न आने दी मौसूफ की इस काविश पर मैं इन को तह दिल से मुबारक बाद पेश करता हूँ और अल्लाह रब्बुल इ़ज़्ज़त से दुआ़ करता हूँ कि इन के ज़रीए लिखे गये मसाइल से अ़वामे अहले सुन्नत को फ़ैज़याब फरमाये और इस किताब को अपनी बारगाह में शरफे क़बूलियत बख़्शे और मौसूफ़ की उ़म्र दराज़ फरमाये और इन के इल्म व अमल में बरकत अ़ता फरमाये और इस किताब को ता क़ियामत क़ाइम रखे। आमीन बिजाहिन्नबिइल करीम स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम।

मुहम्मद **फ़रख़न्द अली ख़ाँ** नूरी नदाइलवी बदायूँनी
28/ अक्तूबर बरोज़ इतवार 2018 ई.

तक़रीज़े सईद पंजुम

हज़रत मौलाना **मुफ्ती सरवर ख़ाँ** साहिब क़ादिरी
ख़लीफ-ए-हुज़ूर तहसीने मिल्लत व हुज़ूर यह्या हसन मियाँ
अलैहिमर्रहमा,रामपुर

نحمدہ و نصلی علی حبیبہ الکریم

बअ़्दे हम्दो सलात

शुक्र है उस ख़ुदा-ए-पाक का जिस ने लफ़्ज़े कुन से अठारह हज़ार आ़लम पैदा फरमाये और उस में उलमा-ए-किराम को अंबिया अलैहिमुस्सलातो वस्सलाम का जानशीन बना कर ऐअ़्ज़ाज़ अ़ता फरमाया और उलमा-ए-किराम ने हर दौर में अपना ह़क़ अदा किया और करते रहे हैं। और देखा यह गया है कि जब क़ौम ग़लत़ रविश का शिकार हुई है तो उसी वक़्त क़ौम की डगमगाती हुई कश्ती को उलमा-ए-किराम ने अपनी तहरीर व तक़रीर के ज़रीए साहिले मुराद तक पहुँचाने की जोहदे मुसलसल की है, और वह अपनी कोशिशों में कामयाब हुये हैं।

आज अ़वाम में बहुत सारी ग़लत़ रस्में और ग़लत फहमियाँ फैल गई हैं,यहाँ तक कि हराम को हलाल और हलाल को हराम समझा और बोला जा रहा है। एक ज़माने से नूर नामा, शहादत नामा जैसी किताबें पढ़ी पढ़ाई और सुनी सुनाई जा रही हैं जब कि ऐसी किताबों से बचना ज़रूरी है, ऐसे आ़लम में एक नौ जवान आ़लिम मौलाना मुहम्मद इल्यास रज़ा ख़ाँ क़ादिरी रज़वी ने क़ौम का दर्द महसूस किया और मौसूफ़ ने एक किताब बनाम ''इस्लाहे

अ़वाम'' तालीफ की। जो अहले क़लम हैं वह किताब की तालीफ़ व तस्नीफ़ की दिक़्क़तों से बख़ूबी आशना हैं। मुअल्लिफ़ मौसूफ़ ने जो कम उ़मरी में कारनामा अंजाम दिया है वह लाइक़े स़द आफ़रीं है।

कहीं कहीं से सुर्खियाँ और फेहरिस्त देखने का इत्तेफ़ाक़ हुआ, मसलन फेहरिस्त में दर्ज शुमार नम्बर 20 है,वह बहुत ख़ूब है। कि मुअल्लिफ़ ने आरऐस ऐस की वह गंदी ज़हनियत जिस की बुन्याद पर वह मुसलमानों के ख़िलाफ़ मंसूबा बन्द साज़िशें कर रहे हैं, उन का तज़किरा किया है, कि हिन्दूओं के वह स्कूल जिस में ''सरस्वती'' की पूजा की जाती हो,उन स्कूल्स में मुसलमानों के बच्चों को पढ़ने जाना चाहिए या नहीं? ''वंदना'' में ऐसे अल्फ़ाज़ हैं जो कि इस्लाम व ईमान को मशकूक ही नहीं बनाते बल्कि ख़ातिमा कर देते हैं।

इसी त़रह से फिहरिस्त में शुमार नम्बर 55 भी देखने से तअ़ल्लुक़ रखता है। कि अय्यामे मुहर्रम में मछली नहीं खाना चाहिए,जब कि यह ग़लत़ मशहूर है। और आज तक लोग औलाद पर वालिदैन के हुक़ूक़ का तज़किरा करते चले आये हैं, लेकिन मौलाना मौसूफ़ ने उन हुक़ूक़ का भी तज़किरा किया है जो औलाद के वालिदैन पर हैं और साथ ही साथ फिहरिस्त में शुमार नम्बर 74 को भी ग़ौर से पढ़ना चाहिए कि औलाद, वालिदैन के इन्तेक़ाल के बाद अपने को बरिउज़्ज़िम्मा समझती है,तो मुअल्लिफ़ ने उसकी भी ज़रूरत महसूस की और एक बाब में उनका भी ज़िक्र किया कि वालिदैन के गुज़रने के बाद औलाद पर किया ह़क़ हैं।

और फिहरिस्त में शुमार नम्बर 87 का भी मुताला ज़रूरी है।

जिसे देखो भीक मांगने का पेशा इख़्तियार किए हुये है। तो मुअल्लिफ़ ने उसे भी महसूस किया और लिखा कि तन दुरुस्त का सुवाल करना और उसको भीक देना कैसा है ? और फिहरिस्त में शुमार नम्बर 91 को नज़र अन्दाज़ किया ही नहीं जा सकता। लोग टोटल अमराज़ को आफ़ाते नागहानी समझते हैं। तो मुअल्लिफ़ ने ऐहसास को अल्फ़ाज़ में पिरोया और लिखा कि चन्द अमराज़ नेअ़मत हैं और उनकी निशान दही की।

मौलवी मौसूफ़ की किताब बिलख़ुसूस़ अ़वाम के लिए बेह़द मुफ़ीद है और इब्तेदाई त़लबा के लिए निहायत ही नफ़ा बख़्श है। बल्कि अगर मदारिस में इब्तेदाई त़लबा के लिए निस़ाब में शामिल हो जाये तो बेहतर है।

मौला तआ़ला मौलवी मौसूफ़ को मज़ीद ख़िदमते दीने ह़क़ यानी मसलके आला ह़ज़रत की तौफ़ीक़ अ़त़ा फरमाये और इनके इ़ल्म व अ़मल में बरकतें अ़त़ा फरमाये और इनको सि़ह़त व सलामती के साथ उ़म्र में बे पनाह बरकतें अ़त़ा फ़रमाये। आमीन बिजाहिन्नबियिल करीम स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम।

ग़लत़ रवी से मनाज़िल का बोअ़्द बढ़ता है
मुसाफिरो! रविशे कारवाँ बदल डालो

फ़क़ीर **सरवर रज़ा ख़ाँ** क़ादिरी नूरी तहसीनी
ख़लिफ़ा-ए-हुज़ूर तहसीने मिल्लत व
हुज़ूर वारिसे पंजतन ह़ज़रत सय्यिद यहया हसन अलैहिमर्रहमा
ख़ादिम महकमा-ए- तअ़लीमात,मैनपुरी

तक़रीज़े जलील शशुम

हजरत मौलाना **मुफ्ती मुहम्मद रिज़वान** साहिब रज़वी मिस्बाही
बिहार मान नगला इ़ज़्ज़त नगर बरेली शरीफ़
साबिक़ उस्ताज़ जामिया अशरफिया, मुबारक पूर आज़म गढ़

بسم اللہ الرحمن الرحیم
نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم

हम्द व सलात के बाद

चंद माह पहले हमारे यहाँ(बिहार कलाँ) की जदीद मस्जिद ‘‘मस्जिदे ग़ौसिया’’ में ह़ज़रत मौलाना मुहम्मद इल्यास रज़ा ख़ाँ साहिब रज़वी बहैसियते इमाम व ख़त़ीब तशरीफ़ लाए, वैसे तो उमुमन यू पी की मसाजिद में ज़्यादा तर इमाम हजरात ग़ैर आलिम ही होते हैं, बाज़ों को तो ज़रूरी क़िराअत भी नहीं आती, मगर मौलाना मौसूफ़ से मिलकर दिल को बड़ी ख़ुशी हासिल हुई। आप एक परहेज़गार आलिमे दीन होने के साथ साथ क़ौम का दर्द भी रखते हैं।

कम इल्म इमामों की वजह से अ़वाम में धीरे-धीरे सैकड़ों क़िस्म की ग़लत रिवायात और बेहूदा रस्म व रवाज घर कर आए हैं, मसलन आज मुसलमान अपने बच्चों को तालीम दिलाना अहम समझते हैं लेकिन यह तालीम कहा हो? किस के ज़रिये हो? इसकी कोई फ़िक्र नहीं। ग़ैर मुस्लिमों के त्योहारों में शरीक होने का रवाज भी बढ़ रहा है, मरने के बाद फख़्र से लोगों की आम दावतें होती हैं, उर्सों में औ़रतों की हाज़िरी बढ़ती जा रही हैं, ऐसे सैकड़ों ग़लत रूसूम और रवाज हैं जिन्हें आज अ़वाम बेबाकी से अंजाम दे रही है। ऐसे रस्म व रवाज का ख़ातमा वक़्त की अहम तरीन ज़रूरत है।

ज़ेरे नज़र किताब में मौलाना मौसूफ़ ने ऐसे बहुत से मसाइल का इहाता किया है, अवाम के लिए ऐसी किताब निहायत फायदे मंद और ज़ूद नफा बख़्श है।

उर्दू एडीशन की मक़बूलियत के बाद हिन्दी एडीशन की ज़रूरत भी शिद्दत से महसूस की जा रही थी और इसकी वजह यह है कि अवाम की अक्सरियत उर्दू लिखना पढ़ना नहीं जानती, इसलिए इस किताब(इस्लाहे अवाम) को अब हिन्दी कम्पोज़िंग के साथ नश्र किया जा रहा है। हिन्दी कम्पोज़िंग होने के बाद मैंने पूरी किताब का मुताअ़ला किया और मैंने इसे अ़वाम के लिए बेहद नफ़ा बख़्श और सूद-मन्द पाया।

अस्ल किताब चूँकि उर्दू ज़बान में है और हिन्दी ज़बान में उर्दू के कई हुरूफ़ को अदा करने के लिए मुताबादिल हुरूफ़ नहीं मिलते, इसलिए पढ़ने वालों से गुज़ारिश है कि ऐसी जगहों को नज़र अंदाज़ फ़रमाएँ, हाँ अगर कोई बात क़ाबिले इस्लाह हो तो मुअल्लिफ़ या मुझ अहक़र को मुत्तला फरमाएँ।

अल्लाह तआ़ला की बारगाह में दुआ़-गो हूँ कि मौलाना मौसूफ़ के इल्म व अ़मल में ख़ूब बरकतें अ़ता फ़रमाए, इनकी इस काविश को अपनी बारगाह में कबूल फ़रमाए।

नीज़ तबाअ़त बगैरह के मराहिल को आसान फ़रमाए। आमीन बिजाहे सय्येदिल मुरसलीन सल्लल्लाहो तआ़ला अ़लैहि व अला आलिही व असहाबिही अजमईन।

अहक़रुल इबाद

मुहम्मद रिज़वान रज़वी मिस्बाही

साकिन बिहार मान नगला इज़्ज़त नगर बरेली शरीफ़

22 जनवरी बरोज़ बूध 2020 ई

अ़र्ज़े हाल

बरादराने इस्लाम इस किताब की तक्मील में बड़ी बड़ी परेशानियाँ पेश आई आख़िर कार अल्लाह रब्बुलइ़ज़्ज़त की तौफ़ीक़ व सरकार सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम के करम और हुज़ूर आला हज़रत रद़ियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु के फ़ैज़ से यह किताब अंजाम को पहुँची अब मुआ़मला यह दर पेश आया कि आख़िर इस की त़बाअ़त कैसे हो बेफ़द़्लेहि तआ़ला कि मैंने मोहतरम आस मुहम्मद साहिब से राबता किया और किताब की तबाअ़त के सिलसिले में ज़िक्र किया तो मौसूफ ने मेरी आवाज़ पर लब्बैक कहा और किताब की त़बाअ़त के लिए पूरा माली तआ़वुन किया और मज़ीद मेरी हौसला अफज़ाई फरमाई अल्लाह पाक जब किसी के साथ भलाई का इरादा फरमाता है तो उस को दीने इस्लाम की त़रफ माइल कर देता है फिर वह बन्दा अपने अमल व किरदार अफकार व नज़रियात से दीने इस्लाम की तरवीज व इशाअ़त में मगन हो जाता है।

इस लिए लाइक़ सद सताइश हैं जनाब आस मुहम्मद ख़ाँन साहिब जिन्होने अपने पाये सबात में कमी न आने दी।

लिहाज़ा अल्लाह रब्बुल इ़ज़्ज़त से दुआ़ है कि वह अपने हबीबे लबीब स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम के स़दक़ा में दीने इस्लाम की इशाअ़त में ख़र्च करने के सबब मुहिब्बे गिरामी आस मुहम्मद ख़ाँन साहिब को नेअ़मल बदल अ़ता फ़रमाये व ग़िना-ए-उस्मानी से नवाज़े और ख़िदमते दीन में फिकरे सि़द्दीक़ी

अ़ता फरमाये। और आस मुहम्मद ख़ाँन साहिब और उन के अहल व अ़याल को जुमला आफ़ाते समाविया व अर्दिया से महफ़ूज़ फरमाये और उ़म्र दराज़ फरमाये अब यह जो किताब आप के पेशे नज़र है इस का बारे गिराँ जनाब आस मुहम्मद ख़ाँन साहिब ने उठाया है। आप ने बड़े ख़ुलूस़ के साथ बग़र्ज़े ईसाले सवाबे वालिदैन इस आयते करीमा को अपने ख़र्च का अमली जामा बनाया।

(وما تقدموا لانفسكم من خير تجدوه عندالله)

अल्लाह पाक इन के वालिद यानी सूफ़ी साबिर अली साहिब मरहूम और उनकी अहलिय्या (मरहूमा) की बख़्शिश फरमाये और जन्नतुलमुअ़ल्ला में जगह अ़ता फरमाये और करवट करवट जन्नत की बहारें अ़ता फ़रमाये(आमीन सुम्मा आमीन)

क़ारेईन : से भी मुअद्दबाना गुज़ारिश है कि मेरे मुहसिन के लिए दिल की गहराई के साथ दुआ़ फरमाते रहें और उनके वालिदैन के लिए भी दुआ़ये मग़फ़िरत फ़रमायें।

और ममनून व मशकूर हूँ डॉक्टर अख़्तर अ़ली स़ाहिब इब्ने ह़ाजी अक्बर अ़ली स़ाहिब मरहूम (रबूपूरा ग्रेटर नोएडा) का जिन्हों ने ''इस्लाहे अ़वाम'' उर्दू की तबाअ़ते अव्वल के कसीर ख़र्च में शरीक हो कर इस बात का सुबूत पेश कर दिया कि।

जान दी, दी हुई तो उसी की थी
ह़क़ तो यह है कि ह़क़ अदा न हुआ।

और अब यह किताब जो हिन्दी कम्पोज़िंग के साथ आप ह़ज़रात के पेशे नज़र है इस की कम्पोज़िंग के खर्च का सेहरा भी डॉक्टर साहिब के सर ही रहा है। मौला तआ़ला डॉक्टर साहिब मौसूफ़ को दारैन की नेअ़्मतों से माला माल फरमाये।

आप को और आप के अहले खाना को सिहत व तन दुरुस्ती के साथ रखें। नीज़ डॉक्टर साहिब की इस ख़िदमत को क़बूल फरमाये, आप की वालिदा का साया ता देर क़ाइम व दाइम रखे, और डॉक्टर साहिब के वालिद हाजी अक्बर अ़ली साहिब मरहूम को जन्नतुल फिरदौस में जगह अ़ता फरमाये। आमीन

और लाइक़े मुबारकबाद हैं नक़ीबे अहले सुन्नत ह़ज़रत मौलाना क़ैस़र ख़ालिद साहिब फिरदौसी देहलवी कि जिनका मशग़ला ख़िदमते दीन है और लाइक़े मुबारकबाद हैं ह़ज़रत मौलाना तनवीर अहमद साहिब क़िब्ला जहाँगीरपुरी,जी,बी,नगर कि जिनकी देरीना तमन्ना किताबे हाज़ा से पूरी हुई अल्लाह जल्ल जलालुहु व अ़म्म नवालुहु ह़ज़रत मौलाना क़ैस़र ख़ालिद साहिब क़िब्ला व मौलाना तनवीर अहमद साहिब क़िब्ला और मुझ अहक़र को सलामत रखे और सब को ख़िदमते दीन करने की तौफ़ीक़ अ़ता फरमाये आमीन बिजाहिन्नबिइलकरीम स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम।

मुहम्मद इल्यास रज़ा ख़ाँ रज़वी
शेरपूरी

بسم الله الرحمن الرحيم

ख़ुदा या बह़क़्क़े बनी फ़ातिमा
कि बर क़ौले ईमाँ कुनम ख़ातिमा
अगर दअ़्वतम रद कुनी वर क़बूल
मन व दस्त व दामाने आले रसूल
सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम

हदिय-ए-तशक्कुर

वह ख़ुदा-ए-बुज़ुर्ग व बरतर कि जिस ने आस्मानों व ज़मीनों को बग़ैर किसी नमूना के पैदा किया उस का करोड़ करोड़ बार शुक्र व ऐहसाने अ़ज़ीम है कि जिस ने अपने महबूब के स़दक़े व तुफैल मुझ आ़स़ी से क़लील उ़म्र में लोगों की इस्लाह के वास्ते एक छोटी सी किताब मुरत्तब करने की तौफ़ीक़ अ़त़ा फ़रमाई।

बड़ी ह़क़ तल्फ़ी होगी कि मैं अपने मुहिब्बे गिरामी मौलाना मुहम्मद नक़ीब रज़ा साहिब मिस्बाही शेरपूरी का शुक्र अदा न करूँ जिन्होंने क़दम क़दम पर मेरी हौस़ला अफ़ज़ाई फरमाई और मेरा तआ़वुन फरमाया और मेरे इस कारे ख़ैर को पाये तक्मील तक पहुँचाने में पूरी सई की दर असल पहली बार क़लम उठाया तो गाहे बगाहे उकताहट महसूस होती थी लेकिन मौसूफ़ से फोन पर राबिता हो जाने की वजह से दुश्वारियाँ दूर हो जाती थीं क्योंकि मेरा और मौसूफ़ का एक साथ घर पर रहने का इत्तेफ़ाक़ कम ही होता था इस वजह से अक्सर व बेशतर फोन पर ही यह मेरे मुशीर व मुआ़विन रहे और जब कभी घर पर एक साथ कुछ

अय्याम गुज़ारे तो मैंने मौसूफ़ को अपना मुसव्वदा दिखाया तो मौसूफ़ ने नज़र फरमा कर मुझ को आफ़रीं आफ़रीं से नवाज़ा और मौसूफ़ का उम्मीद से ज़ियादा हौसला अफ़ज़ाई फरमाने से मेरा गुंच-ए-क़लब शगुफ़्ता हो गया और ममनून व मशकूर हूंगा उन क़ारेईन का कि जिन्हें किसी त़रह का नक़्स़ नज़र आये तो निशानदही फरमायें ताकि आइन्दा एडीशन में उसकी तस्हीह कर दी जाये ख़ुदाये पाक मौसूफ़ और तमाम ख़ैर ख़्वाहों को उ़म्रे ख़िजर अ़त़ा फरमाये और कल बरोज़े क़ियामत नबी-ए- आख़िरुज़्ज़मा स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम की शफ़ाअ़त नसीब फ़रमाये। आमीन।

إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ

सगे बारगाहे हुज़ूर ताजुश्शरीआ़ अलैहिर्रहमा
मुहम्मद इल्यास रज़ा ख़ाँ रज़वी
(शेरपूरी)

अल्लाह तआ़ला को (अल्लाह मियाँ) क्यों न कहना चाहिए?

ज़बान उर्दू में लफ़्ज़े(मियाँ) के तीन मअ़ने हैं इन में से दो ऐसे हैं जिन से शाने उलूहियत पाक व मुनज़्ज़ह है और एक का सि़दक़ हो सकता तो जब लफ़्ज़ दो ख़बीस मअ़नों और एक अच्छे मअ़ना में मुश्तरक ठहरा और शरअ़ में वारिद नहीं तो ज़ाते बारी पर उसका इत़लाक़ मम्नूअ़ होगा। इस का एक मअ़ना(मौला) अल्लाह तआ़ला बेशक मौला है दूसरा मअ़ना शौहर तीसरा मअ़ना ज़िना का दल्लाल(सौदा कराने वाला भड़वा) कि ज़ानी और ज़ानिया का मुतवस्सित (बीच का) हो।

(अलमलफ़ूज़ हिस्सा अव्वल स 131)

मत़लबः लफ़्ज़े(मियाँ) अपने अंदर तीन मअ़ना लिए हुये है जिस में एक मअ़ना मौला है तो यक़ीनन ख़ुदा अ़ज़्ज़ व जल्ल हम सब का मौला है और(मियाँ) का दूसरा मअ़ना शौहर और ख़ुदा अ़ज़्ज़ व जल्ल शौहर होने से भी पाक है इसलिए कि क़ुरआने पाक में है। (وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ كُفُوًا اَحَدٌ) न उसके जोड़ का कोई।

(तर्जमा कंज़ुल ईमान)

और रहा तीसरा मअ़ना ज़िना का दल्लाल जो कि ज़ानी और ज़ानिया के दरमियान राबित़ा कराने वाले के लिए मुस्तअ़मल होता है और ख़ुदा-ए-पाक तमाम उ़यूब व नक़ाइस़ से पाक है अब रहा वह लफ़्ज़ जो अच्छे और बुरे मअ़ना के दरमियान इस्तेमाल हो रहा हो उस लफ़्ज़ का इस्तेमाल ख़ुदा-ए-बुज़ुर्ग व बरतर के लिए नहीं करना चाहिए इसलिए अल्लाह (मियाँ) कहना मम्नूअ़ है।

ख़ुदा-ए-पाक को साहिब कहने का हुक्म

जाइज़ है हदीस में है اَللّٰھُمَّ اَنْتَ الصَّاحِبُ فِی السَّفَرِ وَالْخَلِیْفَةُ فِی الْمَالِ وَالْاَھْلِ وَالْوَلَدِ۔

और सरकारे रिसालत स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम के लिए तो क़ुरआने अ़ज़ीम में साहिब फ़रमाया गया "مَاضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَاغَوٰی" "وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُوْنٍ" लेकिन अल्लाह साहिब कहना इस्माईल देहलवी का मुहावरा है और हु़ज़ूर अक़दस स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम यक़ीनन हमारे साहिब हैं मगर नामे पाक के साथ साहिब कहना आरिया व पादरियों का मुहावरा है इसलिए न चाहिए फिर फरमाया आरिया पादरी वहाबिया सब एक से ही हैं।

(अलमलफ़ूज़ हिस़्स़ा सोम स 249)

अल्लाह तआ़ला को ह़ाज़िर व नाज़िर नहीं कहना चाहिए?

अल्लाह तआ़ला को हाज़िर व नाज़िर नहीं कहना चाहिए क्योंकि ह़ाज़िर व नाज़िर होना जिस्म व जिस्मानियात को मुस्तलज़िम है और वह इस से पाक है चुनान्चे आला ह़ज़रत इमाम अहमद रज़ा बरेलवी अल्लाह अ़ज़्ज़ व जल्ल को ह़ाज़िर व नाज़िर न कहने से मुतअ़ल्लिक़ एक सुवाल के जवाब में फरमाते हैं ''अल्लाह अ़ज़्ज़ व जल्ल शहीद व बसीर है उसे हाज़िर व नाज़िर न कहना चाहिए यहाँ तक कि बाज़ उलमा ने इस पर तक्फ़ीर का ख़्याल फरमाया मगर हमारे अकाबिर यह फरमाते हैं कि जो ऐसा कहता है ख़त़ा करता है बचना चाहिए ''

(फ़ैज़ाने आला ह़ज़रत स 70)

अल्लाह अ़ज़्ज़ व जल्ल को आ़शिक़ कहने की मुमानअ़त क्यों ?

अल्लाह तआ़ला को आ़शिक़ और हुज़ूर पुर नूर सरवरे आ़लम स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम को उस का मअ़शूक़ कहना नाजाइज़ है कि मअ़न-ए-इश्क़ अल्लाह अ़ज़्ज़ व जल्ल के ह़क़ में मुहाल क़त़ई है और ऐसा लफ़्ज़ ह़ज़रत इ़ज़्ज़त की शान में बोलना मम्नूअ़ क़त़ई है जिसके लिए कोई दलील शरई वारिद नहीं फुक़्हा-ए-किराम फ़रमाते हैं कि सिर्फ़ मअ़न-ए-मुहाल का ईहाम (वहम) ही मना के लिए काफी है हमारे उ़लम-ए-हन्फ़िया रदियल्लाहु तआ़ला अन्हुम से मंकूल है कि अगर कोई कहे कि मैं अल्लाह से इश्क़ करता हूँ या वह मुझ से इश्क़ करता है तो ऐसा कहने वाला शख़्स़ बिदअ़ती है हाँ यह कहा जा सकता है कि वह मुझ से महब्बत फरमाता है मैं उस से महब्बत करता हूँ जैसा कि कुरआने पाक में है :يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّوْنَهٗ तर्जमा : वह अल्लाह के प्यारे और अल्लाह उनका प्यारा। (कंज़ुलईमान)

(फतावा रज़विया जि. 9 स. 61) (फ़ैज़ाने आला ह़ज़रत स 69)

ख़ुदा-ए-पाक के लिए ''ऊपर वाला'' बोलना कैसा है?

ख़ुदा-ए-पाक की ज़ात के लिए ऊपर वाला बोलना यह एअ़तेक़ाद कर के कि अल्लाह आस्मान पर रहता है कुफ़्र है कि इस लफ़्ज़ से उस के लिए जिहत का सुबूत होता है और उसकी ज़ात जिहत से पाक है।

लेकिन अगर कोई शख़्स़ यह जुमला बुलंदी व बरतरी के मअ़ना में इस्तेमाल करे तो क़ाइल पर हुक्मे कुफ़्र न करेंगे मगर इस

क़ौल को बुरा ही कहेंगे और क़ाइल को इस से रोकेंगे। وھو سبحانہ وتعالیٰ اعلم

(फतावा बरकातिया स 45)

अल्लाह तआ़ला के लिए लफ़्ज़े''मौजूद''बोलना कैसा है?

जब लोग एक जगह बैठ कर बात चीत करते हैं तो उन के दरमियान ख़ुदा मौजूद होता है यह नहीं कहना चाहिए इसलिए कि अल्लाह तआ़ला जगह और मकान से पाक है। और वह जो पारा अट्ठाईस रुकू दो में है।''مَا يَكُوْنُ مِنْ نَّجْوٰى ثَلٰثَةٍ اِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ''

तो इस आयते करीमा का मत़लब यह है कि अल्लाह तआ़ला उन्हें मुशाहदा फ़रमाता है और उनके राज़ों को जानता है इस का मत़लब यह नहीं कि उन के दरमियान ख़ुदा-ए-तआ़ला मौजूद होता है। وھو تعالیٰ اعلم بالصواب

इस्मे जलालत और मुतबर्रक चीज़ों का ऐहतराम

आ़ला ह़ज़रत अ़लैहिर्रहमह फ़रमाते हैं

एक रोज़ मौलाना हसनैन रज़ा ख़ाँ साहिब अ़लैहिर्रहमा बरा-ए-जवाब कुछ इस्तिफ़ते सुना रहे थे और जवाब लिख रहे थे एक कार्ड पर इस्मे जलालत लिख गया इस पर आला ह़ज़रत इमाम अहमद रज़ा बरेलवी ने इरशाद फरमाया याद रखो कि मैं कभी तीन चीज़ें कार्ड पर नहीं लिखता हूँ।

1- इस्मे जलालत(लफ़्ज़े अल्लाह)

2- और मुहम्मद और अहमद

3- और न कोई आयते करीमा

मसलन अगर रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम

लिखना है तो यूँ लिखता हूँ हुज़ूर अक़्दस अ़लैहि अफ़्ज़लुस्सलातु वस्सलाम या इस्मे जलालत की जगह मौला तआ़ला।

(अलमलफ़ूज़ अव्वल स 130)

अपने बच्चों को गैर मुस्लिमों के उन स्कूलों में पढ़ाना कैसा, जहाँ (सरस्वती) और (गणपति) की पूजा कराई जाती हो?

अगर इस उम्र के हों कि दीन व मज़हब को समझते हों और पूजा करते हों तो चाहे बच्चे हों या बच्चियाँ उन पर कुफ़्र का फतवा है और उन के माँ बाप का अपने बच्चों की इस पूजा पर राज़ी होना भी कुफ़्र है। फतावा आ़लमगीरी में है।

"اَلرِّضَا بِالْكُفْرِ كُفْرٌ" यानी कुफ़्र पर राज़ी होना भी कुफ़्र है लिहाज़ा मुसलमानों पर लाज़िम है कि ऐसे स्कूलों से अपने बच्चों को हटालें, उन्हें कलेमा पढ़ायें, तौबा करायें और उनके दिल में इस्लाम की अ़ज़मत बिठायें। और ख़ुद बच्चों के माँ बाप भी तौबा, तजदीदे ईमान व निकाह करें और सब मुसलमान मिल कर अपना स्कूल क़ाइम करें। जिस में दीनियात के साथ हिन्दी वग़ैरा की तअ़लीम का भी इन्तेज़ाम हो। या ऐसे स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ायें जहाँ "सरस्वती"और "गणपति" वग़ैरा की पूजा न कराई जाती हो। बहर सूरत ऐसे स्कूलों से बच्चों और बच्चियों को निकाल लें कि इन में मुसलमान बच्चों और बच्चियों का पढ़ना उन के दीन व ईमान के लिए ज़हरे हिलाहिल है अगर मुसलमान ऐसा न करें तो ख़ुदा-ए-तआ़ला के अ़ज़ाब का इंन्तेज़ार करें। هذا عندی وهو تعالیٰ اعلم۔

(फतावा बरकातिया स 279)

कुफ़्फ़ार का मेला देखने जाना।

कुफ़्फ़ार का मेला देखने जाना मुत़लक़न नाजाइज़ है अगर उन का मज़हबी मेला है जिस में वह अपना कुफ़्र व शिर्क करेंगे कुफ़्र की आवाज़ों से चिल्लाएंगे जब तो ज़ाहिर है और यह सूरत सख़्त हराम गुनाहे कबाइर में से है। अगर कुफ़्री बातों से मुतनफ़्फ़िर है तो कुफ़्र नहीं हाँ मआ़जल्लाह उन में से किसी बात को पसन्द करे या हलका जाने तो आप ही काफिर है इस सूरत में औ़रत निकाह से निकल जायेगी और यह इस्लाम से,वरना फासिक़ है, फिस्क़ से अगर्चे निकाह़ नहीं टूटता फिर भी वई़दे शदीद है और कुफ़्रयात का तमाशा बनाना द़लाले बई़द है। हदीस में है जो किसी क़ौम का जथा बढ़ाए वह उन्हीं में से है और जो किसी क़ौम का कोई काम पसन्द करे वह उस काम करने वालों का शरीक है और अगर मज़हबी मेला नहीं, लहब व लइब का है जब भी ना मुम्किन कि मुन्करात व क़बाएह़ से ख़ाली हो और मुन्करात का तमाशा बनाना जाइज़ नहीं फ़िक़्ह की बाज़ किताबों में है शोअ़बदा बाज़, भानमती, बाज़ी गर के अफ़आ़ल ह़राम हैं और उसका तमाशा देखना भी हराम है कि ह़राम को तमाशा बनाना हराम है ख़ुसूसन अगर काफिरों की किसी शैत़ानी ख़ुराफ़ात को अच्छा जाना तो आफ़ते अशद है और इस वक़्त तजदीदे इस्लाम व तजदीदे निकाह का हुक्म किया जायेगा और अगर तिजारत के लिए जाये तो अगर मेला उन के कुफ़्र व शिर्क का है जाना नाजाइज़ व मम्नूअ़ है कि अब वह जगह उन का मअ़बद है और मअ़बदे कुफ़्फ़ार में जाना गुनाह और अगर मेला लहब व लइ़ब का है और ख़ुद इस से बचे न इस में शरीक हो न उसे देखे न वह चीज़ें बेचे जो उन के लहब

व लइब मम्नूअ़ की हों तो जाइज़ है फिर भी मुनासिब नहीं कि उन का मजमा हर वक़्त महले लअ़नत है तो उस से दूरी ही में ख़ैर व सलामत है इसलिए उ़लमा ने फरमाया कि उन के महल्ला में हो कर निकले तो जल्द लमकता हुआ गुज़र जाये।

जवाज़ की एक सूरत।

और अगर ख़ुद शरीक हो या तमाशा देखे या उन के लहवे मम्नूअ़ की चीज़ें बेचे तो आप ही गुनाह व नाजाइज़ है हाँ कुफ़्फ़ार के मेले में जाने की एक सूरत जवाज़े मुत़लक़ की है वह यह कि आ़लिम उन्हें हिदायत और इस्लाम की त़रफ़ दअ़्वत के लिए जाये जब कि इस पर क़ादिर हो, यह जाना हसन व महमूद है अगर्चे उन का मज़हबी मेला हो ऐसा तशरीफ़ ले जाना ख़ुद हुज़ूर सय्यिदे आ़लम स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम से बारहा साबित है। (फै़ज़ाने आला ह़ज़रत स 180 ता 181)

और फ़तावा मुफ़्ति-ए-आज़म जिल्द अव्वल में स 290 पर है हुनूद का मुशरिकाना मेला जो बुतों की परसतिश के लिए होता है जैसे दशहरा, जन्माष्टमी, दुर्गापूजा, होली वग़ैरा जिस में मरासिमे कुफ़्रिया व शिर्किया के अ़लावा हर क़िस्म के नाच तमाशे और दीगर लहव व लइब होते हैं। ऐसे मेलों में मुसलमानों का बहैसियत तमाशाई जाना हराम, हराम, हराम, अशद हराम,बहुत अख़्बस निहायत ही अशनअ़ काम ब हुक्मे फुक़्हा- ए- किराम मआ़ज़ल्लाह कुफ़्र अंजाम है। हदीस का इरशाद है।

مَنْ كَثَّرَسَوَادَ قَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ जिस ने किसी क़ौम की तअ़्दाद में इज़ाफ़ा किया वह उन्हीं में से शुमार होगा। अल्लाह तआ़ला मुसलमानों को कुफ़्फ़ार के मेलों में जाने से बचाये।

होली, दीवाली वग़ैरा से मुतअ़ल्लिक़ हुक्म

जिस दिन काफिरों का त्यौहार हो उस रोज़ उनकी मिठाई न लें हाँ अगर दूसरे रोज़ दे तो ले ले न यह समझ कर कि उन ख़ुब्सा के त्यौहार की मिठाई है बल्कि माले मूज़ी नस़ीबे ग़ाज़ी समझे। (अलमलफूज़ अव्वल स 122) होली खेलना, खिलवाना हराम बदकाम बद अंजाम मुंजिर बकुफ़्र है और ''ग़मज़ुलउ़यून'' में है مَنِ اسْتَحْسَنَ فِعلاً مِنْ اَفْعَالِ الْكُفَّارِ كَفَرَ بِاِتِّفَاقِ الْمَشَائِخِ यानी जिस ने काफ़िरों के किसी फ़ेअ़ल को अच्छा समझा बिलइत्तेफ़ाक़ इन्दल मशाइख़ काफिर हो गया।

लिहाज़ा जो मुसलमान इन में शरीक हों उन पर लाज़िम है कि सि़द्क़ दिल से तौबा व इस्तिग़फ़ार करें और तजदीदे ईमान भी कर लें और बीवी वाले हों तो तजदीदे निकाह़ भी करें। (फ़तावा मरकज़ी दारुलइफ़्ता)

नजिस कपड़ा पहन कर गुस्ल करना कैसा है?

बहुत लोग ऐसा करते हैं कि नजिस तहबन्द बांध कर या नजिस कपड़ा पहन कर गुस्ल करते हैं और ख़्याल करते हैं कि नहाने में सब पाक हो जायेगा हालांकि ऐसा नहीं बल्कि पानी डाल कर तहबन्द और बदन पर हाथ फेरने से नजासत और फैलती है सारे बदन और कभी नहाने के बरतन तक को नजिस कर देती है इसलिए हमेशा नहाने में बहुत ख़्याल से पहले बदन से और उस कपड़े से जिस को पहन कर नहाते हैं नजासत दूर कर लें तब गुस्ल करें। वरना गुस्ल तो किया होगा उस तर हाथ से जिन चीज़ों को छूयेंगे सब नजिस(नापाक) हो जायेंगी। हाँ दरया,तालाब में

अलबत्ता ऐसा हो सकता है कपड़े या बदन की नजासत रगड़ कर ज़ाइल(ख़त्म) कर दे या नजासत ऐसी हो कि पानी के धक्के से निकल जाये तो पाक हो जायेगा। (क़ानूने शरीअ़त स 50)

गुस्ल फ़र्ज़ होने की सूरत में कोई फ़र्ज़े गुस्ल छूट जाये तो गुस्ल होगा या नहीं ?

''अगर कोई आदमी जुनुब था यानी उस पर गुस्ल फ़र्ज़ था और कुल्ली करना भूल गया तो ताहिर (पाक) न हुआ कि गुस्ल का एक फ़र्ज़ उस के ज़िम्मा बाक़ी रह गया फिर अगर गुस्ल के बाद वुज़ूऐ जदीद(ताज़ा वुज़ू) किया जैसा कि अक्सर लोग कर लेते हैं और इस वुज़ू में कुल्ली कर ली तो पाक हो गया तमाम नमाज़ें हो गई और अगर कुल्ली न की तो अब भी नापाक ही है जब तक कुल्ली न करेगा पाक न होगा और जब कुल्ली कर ले गा जनाबत दूर हो जायेगी बहर हाल अगर कुल्ली हो गई गुस्ल हो गया''वल्लाहु तआ़ला आलमु।

(फ़तावा अमजदिया स 10)

मालूम हुआ कि अगर किसी शख़्स से गुस्ल फ़र्ज़ होने की सूरत में उस से कोई फ़र्ज़े गुस्ल छूट जाये मसलन,कुल्ली करना भूल जाये और गुस्ल से फारिग़ होने के बाद उस को याद आये कि मैं कुल्ली करना भूल गया तो अब उस को दोबारा फिर से गुस्ल करने की ज़रूरत नहीं है बल्कि कुल्ली करे और कुल्ली ऐसी करे कि मुंह के तमाम हिस्सों में पानी पहुँच जाये तो अब वह पाक हो जायेगा और अगर गुस्ल के बाद फौरन कुल्ली न की बल्कि उसको कुछ समय गुज़रने के बाद याद आया तब भी नया गुस्ल करने की ज़रूरत नहीं है बल्कि कुल्ली कर ले पाक हो जायेगा और यहाँ तक

कि वह कुल्ली एक दिन दो दिन या तीन दिन गुज़रने के बाद भी करे जब भी पाक हो जायेगा यानी जब भी कुल्ली करलेगा तब उसको पाकी हासिल हो जायेगी और जब तक कुल्ली न करेगा नापाक ही रहेगा।

और अगर कुल्ली न भी करे ''बल्कि अगर बड़े बड़े घूंट से पानी पी लिया कि मुंह के तमाम हिस्सों पर पानी गुज़र गया जब भी जनाबत दूर हो गई'' यानी पाकी हासिल हो जायेगी और जब पाकी हासिल हो जायेगी तो वुज़ू और नमाज़ सब दुरुस्त रहेंगे।

इंतेबाह : इसी त़रह़ से अगर कोई फ़र्ज़े गुस्ल गुस्ल करने में छूट जाये तो कुल्ली पर क़ियास कर लें।

घुटने खुलने और देखने से वुज़ू नहीं टूटता।

अ़वाम में जो मशहूर है कि घुटना या सत्र खुलने अपना या पराया सत्र देखने से वुज़ू जाता रहता है तो यह सहीं नहीं।

(अनवारुलहदीस स 166)(बहारे शरीअ़त जि.दोम मकतबतुल मदीना)

और अलमलफ़ूज़ में है वुज़ू किसी चीज़ के देखने या छूने से नहीं जाता फिर फरमाया तीस उज़्व औ़रत के औ़रत हैं और नौ मर्द के उन में से किसी उ़ज़्व का चहारुम बक़द्रे रुक्न यानी तीन बार सुब्हानल्लाह कहने तक बिला क़स़द खुला रहना मुफ़सिदे नमाज़ है और बिलक़स़द (जान बूझ कर) तो अगर एक आन के लिए खोले जब भी नमाज़ जाती रहेगी।

बेवुज़ू और बे गुस्ल शख़्स़ का उज़्व पानी में पड़ जाये तो उस का हुक्म

जो पानी वुज़ू या गुस्ल करने में बदन से गिरा वह पाक है।

मगर उस से वुज़ू और गुस्ल जाइज़ नहीं यूंही अगर बे वुज़ू शख़्स का हाथ या उंगली या पोरा या नाख़ून या बदन का कोई टुकड़ा जो वुज़ू में धोया जाता हो बक़सद या बिला क़सद दह दरदह से कम पानी में बे धुये हुये पड़ जाये तो वह पानी वुज़ू और गुस्ल के लाइक़ न रहा इसी त़रह़ जिस शख़्स़ पर नहाना फ़र्ज़ है उस के जिस्म का कोई बे धुला हुआ हिस्सा पानी से छू जाये तो वह पानी वुज़ू और गुस्ल के काम का न रहा अगर धुला हुआ हाथ या बदन का कोई हिस्सा पड़ जाये तो ह़रज नहीं।

हाँ अगर हाथ धुला हुआ है मगर फिर धोने की नियत से डाला और यह धोना सवाब का काम हो जैसे खाने के लिए या वुज़ू के लिए तो यह पानी मुस्तअ़मल(काम में लाया हुआ) हो गया यानी वुज़ू के काम का न रहा और उस को पीना भी मकरूह है। और अगर बज़रूरत हाथ पानी में डाला जैसे पानी बड़े बरतन में है कि उसे झुका नहीं सकता न कोई छोटा बरतन है कि उस से निकाले तो ऐसी सूरत में बक़द्रे ज़रूरत हाथ पानी में डाल कर उस से पानी निकाले या कुँऐ में रस्सी डोल गिर गया और बे घुसे नहीं निकल सकता और पानी भी नहीं कि हाथ पाओं धो कर घुसे तो इस सूरत में अगर पाँओं डाल कर डोल,रस्सी निकालेगा मुस्तअ़मल न होगा इन मसअलों से बहुत कम लोग वाक़िफ़ हैं ख़्याल रखना चाहिए।

(बहारे शरीअ़त हिस्सा दोम)

दह दर दह। ऐसे तालाब कुंवाँ वग़ैरा जिसका रक़बा 100 मुरब्बा हाथ हो वह दह दर दह कहलाता है उस में थोड़ी सी नजासत गिरजाये तो वह पानी नापाक नहीं होता जब तक कि नजासत से रंग या बू या मज़ा न बदले।

बे नमाज़ियों को समझाने का त़रीक़ा

नरमी से समझायें तर्के नमाज़ व तर्के जमाअ़त व तर्के मस्जिद पर कुरआने अ़ज़ीम व अहादीस में जो सख़्त वईदें(सज़ायें) हैं बार-बार सुनायें जिन के दिलों में ईमान है उन्हें ज़रूर नफा पहुँचेगा अल्लाह अ़ज़्ज़ व जल्ल फरमाता है وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرٰى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِيْنَ अल्लाह के कलाम व अहकाम याद दिलाओ कि बेशक उनका याद दिलाना ईमान वालों को नफा देगा और जो किसी तरह न मानें उस पर अगर किसी का दबाओ है उस के ज़रीए से दबाओ डालें और यूँ भी बाज़ न आये तो उस से सलाम व कलाम मेल जोल यक लख़्त तर्क कर दें قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطٰنُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرٰى مَعَ الْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ۔

तर्जमाः और जो कहीं तुझे शैत़ान भुलावे तो याद आये पर ज़ालिमों के पास न बैठ। (कंज़ुलईमान)

(फतावा रज़विया जि. सोम स 67)

जुमा की नियत करने का त़रीक़ा।

इतनी नियत काफी है कि आज के फ़र्ज़े जुमा और चाहे दो रकअत भी कहे और बाज़े यह भी बढ़ाते हैं कि वास्ते साक़ित़ करने ज़ोहर के इस में भी न ह़रज न हाजत, फ़र्ज़ जुमा के बाद छः रकअत सुन्नत पढ़ें, चार, फिर दो। और उन में सुन्नत बाद जुमा की नियत करें, और पहली चार में क़ब्ल जुमा की, बाद की सुन्नतें पढ़ कर दो या जितने चाहें नफ़्ल पढ़ें उन से ज़ाइद आम लोगों को हाजत नहीं। वल्लाहु तआ़ला आलमु।

(फतावा रज़विया जि.सोम स. 67)

सुन्नते ग़ैर मुअक्कदह पढ़ने का त़रीक़ा।

सुन्नते ग़ैर मुअक्कदह में दुरूद व दुआ और तीसरी रकअत के अव्वल में तअ़व्वुज़ पढ़ना चाहिए कि उन के न पढ़ने का हुक्म सिर्फ़ फ़र्ज़ व वाजिब व सुन्नते मुअक्कदह में है।

(फतावा अमजदिया जि. अव्वल स 73)

तक्बीर के वक़्त इमाम का मुसल्ला पर होना ज़रूरी नहीं है ।

ज़मान-ए-मौजूदा में आ़म तौ़र पर रवाज हो गया है कि जब तक इमाम मुसल्ला पर पहुँच न जाये तक्बीर नहीं कहते गोया यह तसव्वुर कर लिया है कि तकबीर इस से क़ब्ल जाइज़ ही नहीं।

इमाम मुसल्ला पर हो या न हो उस के तअ़ल्लुक़ से फतावा अम्जदिया जि. अव्वल में स 67 पर है ''तक्बीर शुरू कर देना जाइज़ है और यही त़रीक़ा ज़मान-ऐ-रिसालत स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम में था कि हुज़ूरे अक़्दस स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम हुजरा में होते और ह़ज़रते बिलाल रद़ियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु तक्बीर कह दिया करते थे, बवक़्ते तकबीर इमाम का मुस़ल्ला पर होना न वाजिब न सुन्नत न मुस्तहब मुसल्ला पर हो या न हो दोनों बराबर'' वल्लाहु तआ़ला आलमु।

और जो लोग तक्बीर के शुरू होते ही खड़े हो जाते हैं उन के तअ़ल्लुक़ से इसी किताब के स 60 पर है रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं। ''अगर मेरे आने से पहले इक़ामत हो जाये तो जब तक मुझे आता हुआ न देखो खड़े न हो।''

यह हदीस साफ़ कह रही है कि इक़ामत हो जाने के बाद मुक़्तदी उस वक़्त तक खड़े न हों,जब तक इमाम न आ जाये।

मगर देवबन्दी मुल्ला हटधरमी पर हैं कि जब तक इमाम मुसल्ला पर खड़ा न हो जाये उस वक़्त तक उन के यहाँ तक्बीर नहीं कही जाती यह ख़िलाफ़े सुन्नत और मकरूह है और तक्बीर शुरू होते ही वहाबियों देवबन्दियों का खड़ा हो जाना शरीअ़त से ग़फ़लत और उन की यह महरूमी है।

जमाअ़त में शामिल होने के लिए दौड़ना मना है

दौड़ कर न चले अगर्चे रकअ़त जाती रहने का ख़्याल हो,अब जो मिले पढ़ ले। और जितनी रकअ़तें फौत हो गई उन्हें बाद में पढ़ के पूरी करे। हदीस में इरशाद फरमाया जब नमाज़ क़ाइम हो जाये तो दौड़ कर न आओ। बल्कि चल कर आओ और इत़मीनान अपने ऊपर लाज़िम (ज़रूरी) रखो जो इमाम के साथ मिल जाये पढ़ लो और जो बाक़ी रहे उसे पूरी कर लो कि जब कोई शख़्स़ नमाज़ का क़स़द (इरादा) करता है तो वह नमाज़ में है। वल्लाहु तआ़ला आलमु।

(फ़तावा अमजदिया जि. अव्वल स 165)

स़ही मुस्लिम शरीफ में है ह़ज़रत अबूहुरैरा रद़ियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से मरवी है कि अफ़ज़लुल मुरसलीन स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जिस ने बेहतरीन वुज़ू किया फिर नमाज़ के इरादा से निकला वह नमाज़ में है जब तक कि वह नमाज़ के इरादे से मस्जिद की त़रफ़ चलता रहे, उस के एक क़दम के बदले नेकी लिखी जाती है और दूसरे क़दम के बदले में एक गुनाह मिटा दिया जाता है। और मुतअ़द्दिद हदीसों में आया है कि जब तक नमाज़ के इन्तेज़ार में है उस वक़्त तक वह नमाज़ ही में है।

सिर्फ तक्बीरे तहरीमा की कुदरत हो तो फ़र्ज़ है कि खड़े होकर तक्बीर कहे फिर बैठ जाऐ वरना नमाज़ नहीं होगी

आ़ला हज़रत अलैहिर्रमह फरमाते हैं'' आज कल बहुत से लोग ज़रा सी कमज़ोरी, मरज़ या किब्रसिनी (बुढ़ापा) में सिरे से फ़र्ज़ नमाज़ बैठ कर पढ़ते हैं हालांकि अव्वलन उन में बहुत ऐसे हैं कि हिम्मत करें तो पूरे फ़र्ज़ खड़े हो कर अदा कर सकते हैं और उस अदा से न उनका मरज़ बढ़े न कोई नया मरज़ लाहिक़ हो न गिर पड़ने की हालत हो सिर्फ एक गोना मशक्क़त व तक्लीफ़ है जिस से बचने के लिए नमाज़ें खो देते हैं हम ने मुशाहदा किया है कि वही लोग जो बहील-ए-ज़ोअ़फ़ व मरज़ फ़र्ज़ बैठ कर पढ़ते हैं वही बातों में उतनी देर खड़े रहते हैं कि जितनी देर में दस बारह रकअ़त नमाज़ अदा कर लेते ऐसी हालत में हरगिज़ बैठ कर फ़र्ज़ नमाज़ की इजाज़त नहीं बल्कि फ़र्ज़ है कि पूरे फ़र्ज़ क़ियाम से अदा करें। सानियन माना कि उन्हें अपने तजरिबा साबिक़ा ख़्वाह किसी तबीब मुसलमान हाज़िक़ आदिल मस्तूरुलहाल ग़ैर ज़ाहिरुलफ़िस्क़ के अख़्बार या अपने ज़ाहिरी हाल के नज़रे सही से जो कम हिम्मती व आराम तलबी पर मबनी न हो बज़न्ने ग़ालिब मालूम है कि क़ियाम से कोई मरज़े जदीद या मरज़े मौजूद शदीद व मदीद होगा मगर यह बात तूल क़ियाम में होगी थोड़ी देर खड़े होने की यक़ीनन ताक़त रखते हैं तो उन पर फ़र्ज़ था कि जितनी क़ियाम की ताक़त थी उतना अदा करते यहाँ तक कि अगर सिर्फ अल्लाहु अकबर खड़े होकर कह सकते थे तो इतना ही क़ियाम में अदा करते जब वह

ग़ल्बा-ए-ज़न की हालत पेश आती बैठ जाते यह इब्तेदा से बैठ कर पढ़ना अब भी उनकी नमाज़ का मुफ़्सिद हुआ। सालिसन ऐसा भी होता है कि आदमी अपने आप बक़द्रे तकबीर भी खड़े होने की कुव्वत नहीं रखता मगर अ़सा के सहारे से या किसी आदमी ख़्वाह दीवार पर तकिया लगा कर कुल या बाज़ क़ियाम पर क़ादिर है तो उस पर फ़र्ज़ है कि जितना क़ियाम इस सहारे या तकिया के ज़रीऐ से कर सके बजा लाये कुल तो कुल या बाज़ तो बाज़ वरना सही मज़हब में उसकी नमाज़ न होगी।

यह सब मसाइल ख़ूब समझ लिए जायें जिन पर इत्तेलाअ़ निहायत ज़रूरी व अहम है कि आज कल ना वाक़िफ़ी से जाहिल तो जाहिल बाज़ मुद्दईयाने इल्म भी इन अहकाम का ख़िलाफ़ कर के नाहक़ अपनी नमाज़ें खोते और सराहतन मुरतकिबे गुनाह व तारिकुस्सलात होते हैं''।

وَبِاللّٰہِ الْعِصْمَۃُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّۃَ اِلَّا بِاللّٰہِ الْعَلِیِّ الْعَظِیْمِ وَاللّٰہُ سُبْحَانَہٗ وَتَعَالٰی اعلم الخ

(फतावा रज़विया जि.सोम स 52)

नमाज़ के अंदर हंसने का मसअला?

नमाज़े जनाज़ा के अलावा हर नमाज़ में हंसी अगर आवाज़ से है तो मुफ़्सिदे नमाज़ है फिर क़हक़हा(ज़ोर से हंसना कि आस पास वाले सुन लें) की हद को हो तो नाक़िज़े वुज़ू भी और अगर आवाज़ पैदा न हो सिर्फ़ तबस्सुम हो तो न मुब्तिले नमाज़, न नाक़िज़े वुज़ू। वल्लाहु तआ़ला आलमु।

(फतावा अम्जदिया जि.अव्वल स 128)

यानी नमाज़ में इतनी आवाज़ से हंसा कि ख़ुद उस ने सुना पास वालों ने न सुना तो वुज़ू न टूटा अलबत्ता नमाज़ टूट गई अगर हंसी की आवाज़ आस पास तक पहुँच गई तो फ़ौरन वुज़ू भी गया और नमाज़ भी टूट गई और अगर मुस्कुराया यानी दांत निक्ले और आवाज़ बिल्कुल न निक्ली तो उस से न वुज़ू जाये न नमाज़।

मअ़ज़ूर किसे कहते हैं?

हर वह शख़्स़ जिस को हर वक़्त पेशाब का क़त़रा आता रहता हो और उस की यह बीमारी हद्दे उ़ज़्र को पहुँच गई हो यानी एक वक़्त पूरा ऐसा गुज़र गया हो कि पूरे वक़्त में इतनी देर मोहलत नहीं मिली कि त़हारत के साथ फ़र्ज़ नमाज़ अदा करता तो वह मअ़ज़ूर है ऐसे शख़्स़ के लिए हुक्म यह है कि वक़्त में एक बार वुज़ू कर ले और जितनी चाहे उस वुज़ू से नमाज़ पढ़ता रहे इस क़त़रा के आने से उसका वुज़ू न जायेगा मसलन किसी मअ़ज़ूर ने गुरूबे आफताब के बाद वुज़ू किया तो जब तक मग़्रिब का वक़्त बाक़ी रहेगा वुज़ू न जायेगा और इसी त़रह़ किसी ने नमाज़े इ़शा के लिए इ़शा के वक़्त में वुज़ू किया तो जब तक इ़शा का वक़्त बाक़ी रहेगा यानी सुब्हे सादिक़ तक वुज़ू न टूटेगा बल्कि उस का वुज़ू वक़्त के जाने से टूटेगा और उस वक़्त तक मअ़ज़ूर रहेगा जब तक वक़्त के अंदर एक बार भी क़त़रा आता रहेगा अगर एक दफ़ा भी पूरा वक़्त गुज़र गया और क़त़रा न आया तो अब मअ़ज़ूर न रहा फिर उस के बाद एक आध दफा नमाज़ में क़त़रा आ गया तो हुक्म है कि कपड़ा पाक करे और वुज़ू करे फिर नमाज़ वग़ैरा पढ़े और खड़ा या बैठा रहे तो नहीं आते तो बजाये रुकू व सुजूद इशारा करे। (बखुलासा फतावा अम्जदिया)

क़ारेईने किराम!

शरीअ़त में नमाज़ की कितनी ताकीदें आई हैं कि नमाज़ पढ़ो उस वक़्त तक कि जब तक बेहोशी न हो और बीमारियों में शरीअ़त ने कितनी गुंजाइश रखी है कि जिस त़रह से आसानी हो नमाज़ अदा करते रहो और जो कोई बग़ैर किसी उ़ज़्रे शरई के जान बूझ कर नमाज़ छोड़ देता है हदीसे पाक में आता है कि उस का नाम जहन्नम के दरवाज़े पर लिख दिया जाता है वह लोग दर्स हासिल करें जो हफ़्ता हफ़्ता भर नमाज़ों को अदा नहीं करते।

मेरे दीनी भाइयो! पेशाब का क़त़रा बार-बार आने से नमाज़ के लिए शरीअ़त ने कितनी मोहलत दी है और वह लोग जो पेशाब करने के बाद पाकी हासिल नहीं करते और उन से जब नमाज़ के लिए कहा जाये तो कह दिया करते हैं कि हम ने पेशाब के बाद पाकी ह़ासि़ल नहीं की थी हम तो नापाक हैं हम कैसे नमाज़ पढ़ें तो उन पर दो गुना गुनाह होता है।

एक नमाज़ छोड़ने का दूसरा पेशाब के बाद पाकी हासिल न करने का पेशाब के बाद पाकी हासिल न करना यह बहुत बड़ा गुनाह है।

हदीसे पाक में आता है बानी-ए-इस्लाम सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम फ़रमाते हैं।

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ مَرَّ النبیُ بِقَبْرَیْنِ فَقَالَ اِنَّهُمَا لَیُعَذَّبَانِ وَمَا یُعَذَّبَانِ فِي كَبِيْرٍ أَمَّا اَحَدُهُمَا فَكَانَ لَا يَسْتَتِرُ مِنَ الْبَوْلِ وَّاَمَّا الْاٰخَرُ فَكَانَ يَمْشِيْ بِالنَّمِيْمَةِ ثُمَّ اَخَذَ جَرِيْدَةً رَطْبَةً فَشَقَّهَا نِصْفَيْنِ فَغَرَزَ فِيْ كُلِّ قَبْرٍ وَاحِدَةً قَالُوْا يَارَسُوْلَ اللهِ لِمَ فَعَلْتَ هٰذَا قَالَ لَعَلَّهُ يُخَفَّفُ عَنْهُمَا مَالَمْ يَيْبَسَا۔ (बुखारी शरीफ़)

हज़रते इब्ने अ़ब्बास रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हुमा ने फरमाया कि नबी पाक का दो क़बरों के पास से गुज़र हुआ तो हुज़ूर ने फरमाया कि इन दोनों क़ब्र वालों को अ़ज़ाब दिया जा रहा है लेकिन दोनों क़ब्र वालों पर अ़ज़ाब किसी बड़े गुनाह की वजह से नहीं हो रहा है इन दोनों में से एक पेशाब से बचाओ नहीं करता था रहा दूसरा शख़्स़ तो वह चुग़ल ख़ोरी करता था फिर आप ने खजूर की एक तर शाख़ ली और उस शाख़ को आधा आधा किया यानी उसके दो टुकड़े किए और हर क़ब्र पर एक एक शाख़ लगा दी सहाबा किराम ने अ़र्ज़ किया या रसूलल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम आप ने ऐसा क्यों क्या? आक़ा स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तक यह दोनों शाख़ें खुश्क नहीं होंगी इन दोनों पर अज़ाब हलका कर दिया जायेगा। (मुअल्लिफ़)

और दूसरी हदीस में इरशाद हुआ "اِسْتَنْزِهُوْا مِنَ الْبَوْلِ" पेशाब से बचो।

ज़ाहिर है कि पेशाब से बे ऐहतेयाती करना और उसकी छींटों से इज्तेनाब (परहेज़) न करना जब सबबे अ़ज़ाब है तो बिलक़स़द (जान बूझ कर) अपने को बौल व बराज़ (पेशाब और पाख़ाना) से आलूदा करना कहाँ तक मम्नूअ़ व क़बीह होगा।

(फ़तावा अम्जदिया)

आप ने देखा कि दो क़ब्र वालों पर अज़ाब हो रहा था एक को पेशाब से न बचने की वजह से और दूसरे को चुग़ली खाने की वजह से और वह लोग जो हमेशा पेशाब के बाद पाकी हासिल नहीं करते उन का हाल किया होगा हालाँकि पेशाब के बाद पाकी

हासिल न करने से इंसान पर गुस्ल फ़र्ज़ नहीं होता है अगर किसी मजबूरी की वजह से पेशाब के बाद पाकी हासिल न की तो चाहिए कि बाद में पेशाब की जगह धोडाले और उन जगहों को धोडाले जहाँ जहाँ पर पेशाब लगा था और अगर कपड़े पर पेशाब लगा हो तो कपड़े को पाक कर के नमाज़ पढ़े या दूसरा कपड़ा पहन कर नमाज़ अदा कर ले, मालूम होना चाहिए कि पेशाब के बाद पाकी हासिल न करने से गुस्ल फ़र्ज़ नहीं होता है बल्कि गुस्ल तो चन्द चीज़ों की वजह से फ़र्ज़ होता है।

मसलन : ऐहतेलाम यानी **Night Fall** हो जाना औ़रत के आगे या पीछे के मक़ाम में हश्फ़ा का दाख़िल होना वग़ैरा।

नोट : पेशाब के क़त़रा पर हर उस बीमारी को क़ियास करें जो वुज़ू तोड़ने वाली हों मसलन बार-बार हवा का निकलना, दुखती आँख से लगातार पानी निकलना कि पूरा वक़्त घेर ले।

अल्लाह अ़ज़्ज़ व जल्ल मुसलमानों को सही मसाइल समझने की तौफ़ीक़ अ़त़ा फ़रमाये।

तन्हा नफ़्ली रोज़ा रखने का मसअला।

रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम फ़रमाते हैं कि जुमा के दिन कोई रोज़ा न रखे और दूसरी रिवायत में है जुमा का दिन ईद है लिहाज़ा ईद के दिन को रोज़ा का दिन न करो।

(बहारे शरीअ़त मकतबतुल मदीना स 1014 जि.अव्वल)

ख़ुस़ूस़ियत के साथ जुमा के दिन रोज़ा रखना मकरूह है अलबत्ता आगे या पीछे और रोज़ा मिलाकर रखे कि नफ़्ल सुन्नत रोज़ा तन्हा मकरूह है। (क़ानूने शरीअ़त स 147)

शव्वाल के छः रोज़े किस त़रह़ रखना चाहिए?

रमज़ानुल मुबारक के रोज़े पूरे होने के बाद ज़्यादा तर मर्द औ़रतें यह ख़्याल करते हैं कि ईद के बाद यानी शव्वाल के जो छः रोज़े रखे जाते हैं उनको लगातार रखना चाहिए बल्कि बेहतर यह है कि उन को मुतफ़र्रिक़ त़रीक़ा पर रख लिया जाये यानी दो दो या तीन तीन कर के पूरे महीना में कभी भी रख सकते हैं यही बेहतर है।

और यही हन्फ़ी मज़हब है। एक रोज़ा न रखे इसलिए कि नफ़्ली तन्हा रोज़ा रखना मकरूह है व नसारा का तरीक़ा है।

और लगातार रोज़ा रखने में भी हरज नहीं ह़ज़रत अबूअय्यूब अंसारी रद़ियल्लाहु तअ़ाला अ़न्हु से रिवायत है कि हु़ज़ूर स़ल्लल्लाहु तअ़ाला अ़लैहि वसल्लम ने फरमाया : مَن صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ اَتْبَعَهٗ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ كَانَ كَصِيَامِ الدَّهرِ۔

(मिश्कात स 179 मुस्लिम व तिर्मिज़ी)

तर्जमा :- जिस शख़्स़ ने रमज़ान शरीफ़ के रोज़े रखे फिर रमज़ान शरीफ़ के बाद शव्वाल के छः रोज़े रखे तो उस ने गोया कि पूरी ज़िंगदी रोज़े रखे।(मुअल्लिफ़)

नोट :- यह पूरी ज़िंदगी का मसअला उस वक़्त है जब कि वह शव्वाल के छः रोज़े पूरी ज़िंदगी रखे और अगर किसी ने सि़र्फ़ एक ही साल यह रोज़े रखे तो एक साल के रोज़ों का सवाब मिलेगा।

ईद के दिनों के रोज़े हराम होने की वजह

फ़तावा रज़विया शरीफ़ में है कि यह दिन अल्लाह तबारक व तअ़ाला अ़ज़्ज़ा व जल्ल की त़रफ़ से बन्दों की दावत के हैं।

रोज़ा की हालत में कोलगेट और मंजन का इस्तेमाल

हालते रोज़ा में किसी तरह का मंजन या कोलगेट वग़ैरा का इस्तेमाल बिला ज़रूरते सहीहा मकरूह है आला ह़ज़रत इमाम अहमद रज़ा रद़ियल्लाहु तअ़ाला अ़न्हु तहरीर फरमाते हैं कि मंजन हराम व नाजाइज़ नहीं कि जब इतमीनान काफी हो कि उस का कोई जुज़्व हल्क़ में न जायेगा मगर बे ज़रूरते सहीहा कराहत ज़रूर है।

अगर इसका कुछ ह़िस्सा हल्क़ में चला गया और हल्क़ में उसका मज़ा महसूस हुआ तो रोज़ा जाता रहा मगर इस सूरत में सि़र्फ़ क़ज़ा वाजिब होगी कफ़्फ़ारा नहीं।

(फतावा बरकातिया स 314)

ज़कात

ज़कात फ़र्ज़ है उसका मुंकिर काफिर और न देने वाला फासिक़ और क़त्ल का मुस्तहिक़ और अदा में ताख़ीर करने वाला गुनहगार व मरदूदुश्शहादह (जिस की गवाही क़ाबिले क़बूल न हो) है। (आ़लमगीरी)

ज़कात की तारीफ़

शरअ़न माल के मख़सूस़ हिस्सा का जो शरअ़ ने मुक़र्रर किया है किसी ऐसे मुसलमान फ़क़ीर को मालिक बना देना जो हाशमी न हो। ज़कात कहलाता है। (तारीफ़ात)

ह़ाजते अस्लिया की तारीफ़

हाजते अस्लिया : यानी जिसकी त़रफ़ ज़िन्दगी बसर करने में आदमी को ज़रूरत है उस में ज़कात वाजिब नहीं,जैसे रहने का

मकान जाड़े गरमियों में पहनने के कपड़े, ख़ाना दारी के सामान, सवारी के जानवर, ख़िदमत के लिए लौन्डी, गुलाम, आलाते हर्ब, पेशावरों के औज़ार, अहले इल्म के लिए हाजत की किताबें,खाने के लिए ग़ल्ला। (हिदाया)

ज़कात किन लोगों को नहीं देना चाहिए?

अपनी अस्ल माँ, बाप, दादा, दादी, नाना, नानी वग़ैरोहुम फुरूअ़ बेटा, बेटी, नवासा, नवासी, को ज़कात का माल देना जाइज़ नहीं। (सामाने आख़िरत)

ज़कात का ह़क़दार कौन?

ज़कात वग़ैरा स़दक़ात् में अफ़ज़ल यह है कि पहले अपने भाइयों, बहनों, चचाओं, फूफियों, को फिर उनकी औलाद, को फिर अपने मामूओं, और ख़ालाओं, को फिर उन की औलाद, को फिर दूसरे रिश्तेदारों को फिर पड़ोसियों को फिर अपने पेशा वालों को फिर अपने शहर और गाँव वालों को दें। (आ़लमगीरी)

हदीस में है कि नबी करीम स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया ऐ उम्मते मुहम्मद! क़सम है उस की जिस ने मुझे ह़क़ के साथ भेजा अल्लाह तआ़ला उस शख़्स के स़दक़ा को क़बूल नहीं फ़रमाता। जिस के रिश्तेदार उसके सुलूक करने के मोहताज हों और यह ग़ैरो को दे क़सम है उसकी जिस के दस्ते क़ुदरत में मेरी जान है अल्लाह तआ़ला उसकी त़रफ़ क़ियामत के दिन नज़र न फ़रमायेगा। (बहारे शरीअ़त)

ज़कात के मसाइल।

निसाब का मालिक है मगर उस पर दैन(क़र्ज़) है कि अदा

करने के बाद निसाब नहीं रहता तो ज़कात वाजिब नहीं, ख़्वाह वह दैन बन्दा का हो जैसे क़र्ज़, زَرِ ثَمَن या ज़कात जो पहले वाजिब हो चुकी।

त़बीब के लिए त़िब की किताबें हाजते अस्लिया में हैं, जब कि मुत़ाला में रखता हो,या उसे देखने की ज़रूरत पड़े, नह्व स़र्फ़, व नुजूम, और दीवान और क़िस़्से कहानी की किताबें हाजते अस्लिया में नहीं, उसूले फ़िक़्ह व इल्मे कलाम, व अख़लाक़ की किताबें जैसे एहयाउल उलूम व कीमयाए सआ़दत वग़ैरा हुमा हाजते अस्लिया से हैं।

ख़र्च के लिए रुपये के पैसे लिए तो यह भी हाजते अस्लिया में हैं, हाजते अस्लिया में ख़र्च करने के लिए रुपये रखे हैं तो साल में जो कुछ ख़र्च किया गया और जो बाक़ी रहे अगर बक़द्रे निसाब हैं तो उनकी ज़कात वाजिब है अगर्चे उसी नियत से रखे हैं कि आइन्दा हाजते अस्लिया ही में स़र्फ़(ख़र्च) होंगे और अगर साल तमाम के वक़्त हाजते अस्लिया में ख़र्च करने की ज़रूरत है तो ज़कात वाजिब नहीं।

कुफ़्फ़ार और बदमज़हबों के रद और अहले सुन्नत की ताईद में जो किताबें हैं, वह हाजते अस्लिया से हैं, यूंही आ़लिम अगर बद मज़हब वग़ैरा की किताबें इसलिए रखे कि उनका रद करेगा तो यह भी हाजते अस्लिया में हैं। और ग़ैर आलिम को तो उनका देखना ही जाइज़ नहीं। (बहारे शरीअ़त)

इत्र फरोश ने इत्र बेचने के लिए शीशियाँ ख़रीदीं उन पर ज़कात वाजिब है। (रद्दुलमुहतार)

मोती और जवाहिर पर ज़कात वाजिब नहीं,अगर्चे हज़ारों के

हों। हाँ अगर तिजारत की नियत से लिए तो वाजिब हो गई।

(दुर्रे मुख़्तार)

ज़कात देते वक़्त या ज़कात के लिए माल अलाहदा करते वक़्त नियते ज़कात शर्त् है नियत के यह मअ़्ना हैं कि अगर पूछा जाये तो बिला ताम्मुल (बग़ैर सोचे समझे) बता सके कि ज़कात है।

(आ़लमगीरी)

साल भर तक ख़ैरात करता रहा अब नियत की कि जो कुछ दिया है ज़कात है तो अदा न हुई।

देते वक़्त नियत नहीं की थी, बाद को की तो अगर वह माल फ़क़ीर के पास मौजूद है यानी उसकी मिल्क में है तो यह नियत काफ़ी है वरना नहीं। (बहारे शरीअ़त)

ज़कात का रुपया मुर्दा की तजहीज़ व तक्फीन (कफन दफ्न) या मस्जिद की तामीर में नहीं स़र्फ कर सकते कि तम्लीके फ़क़ीर नहीं पाई गई और इन उमूर में स़र्फ करना चाहें तो इस का त़रीक़ा यह है कि फ़क़ीर को मालिक कर दें और वह स़र्फ करे और सवाब दोनों को होगा बल्कि हदीस में आया'' अगर सौ हाथों में स़दक़ा गुज़रा तो सब को वैसा ही सवाब मिलेगा जैसा देने वाले के लिए और उस के अज्र में कुछ कमी न होगी।

(रद्दुल मुहतार)

ज़कात अ़लानिया और ज़ाहिर त़ौर पर अफ़ज़ल है और नफ्ल सदक़ा छुपा कर देना अफ़ज़ल।

ज़कात में एलान इस वजह से है कि छुपा कर देने में लोगों को तोहमत और बदगुमानी का मौक़ा मिलेगा, नीज़ एलान औरों के लिए बाइसे तरग़ीब है कि उस को देख कर और लोग भी देंगे। मगर यह ज़रूर है कि रिया (दिखावा) न आने पाये कि सवाब जाता

रहेगा बल्कि गुनाह व इस्तिहक़ाक़े अ़ज़ाब है।

(बहारे शरीअ़त)

ज़कात देने में इसकी ज़रूरत नहीं कि फ़क़ीर को ज़कात कह कर दे,बल्कि स़िर्फ नियते ज़कात काफी है यहाँ तक कि अगर हिबा(अ़त़ा कर देना) या क़र्ज़ कह कर दे और नियत ज़कात की हो अदा हो गई।

(आ़लमगीरी)

यूंही नज़र या हदिया,या पान खाने या बच्चों के मिठाई खाने या ईदी के नाम से दी अदा हो गई, बाज़ मोहताज ज़रूरत मन्द ज़कात का रुपया नहीं लेना चाहते, उन्हें ज़कात कह कर दिया जायेगा तो नहीं लेंगे लिहाज़ा ज़कात का लफ़्ज़ न कहे। यानी ज़कात अदा हो जायेगी।

(बहारे शरीअ़त)

अगर किसी को ज़कात अदा करने में शक हो और यह मालूम न हो कि ज़कात दी है या नहीं तो ऐहतेयातन दो बारा ज़कात दे। (आ़लमगीरी)

ज़कात अलानिया देना बेहतर या छुपा कर।

ज़कात ऐलान के साथ देना बेहतर है और खुफ़िया (छुपा कर) देना भी बे तकल्लुफ़ रवा(जाइज़) है और अगर कोई साहिबे इ़ज़्ज़त हाजत मन्द हो कि अ़लानिया न लेगा या उस में सुबकी (हलका पन) समझेगा तो उसे खुफ़या भी देना बेहतर है वल्लाहु तआ़ला आलमु

(अज़ मुन्तखब मसाइल फ़तावा रज़विया)

रोटी पर कोई चीज़ न रखी जाये

‘‘बाज़ लोग सालन का प्याला या चटनी की प्याली या नमक दानी रोटी पर रख देते हैं ऐसा न करना चाहिए नमक अगर काग़ज़ में है तो उसे रोटी पर रख सकते हैं’’

और कुछ लोग ऐसे भी देखने में आये हैं कि हाथ या छुरी को रोटी से पोछते हैं उन को चाहिए कि ‘‘हाथ या छुरी को रोटी से न पोछें’’ (इस्लामी अख़लाक़ व आदाब,बहारे शरीअ़त जि. सोम, मकतबतुलमदीना स 377)

रोटी को छुरी से काटना नस़ारा का त़रीक़ा है

बाज़ लोग ऐसे भी देखने में आये हैं कि रोटी को छुरी से काटते हैं ‘‘मुसलमानों को इस से बचना चाहिए’’

हाँ अगर ज़रूरत हो मसलन डबल रोटी कि छुरी से काट कर उसके टुकड़े कर लिए जाते हैं तो ह़रज नहीं या दावतों में बाज़ मर्तबा हर शख़्स़ को निस्फ़ निस्फ़ शीरमाल दी जाती है ऐसे मौक़ा पर छुरी से काट कर टुकड़े बनाने में हरज नहीं कि यहाँ मक़सूद दूसरा है इस त़रह़ अगर मुसल्लम रान भुनी हुई हो और छुरी से काट कर खाई जाये तो ह़रज नहीं’’।

(बहारे शरीअ़त जि. सोम स 381 मकतबतुलमदीना)

खाने से पहले हाथ धोना सुन्नत है

खाने से पहले कलाइयों तक हाथ तीन बार धोना तीन कुल्लियाँ करना सुन्नत है अगर्चे वुज़ू हो। (फतावा रज़विया जि अव्वल स 238)

खाना किस त़रह़ बैठ कर खाना सुन्नत है?

खाने के वक़्त बायाँ पाँव बिछादे और दाहिना खड़ा रखे या सुरीन पर बैठे और दोनों घुटने खड़े रखे और रोटी बायें हाथ में लेकर दाहिने हाथ से तोड़ना चाहिए। इस लिए कि दाहिने हाथ से निवाला तोड़ना दफ़्ए तकब्बुर के लिए है।

(आम्म-ए- कुतुब)

खाना खाते वक़्त अगर कोई आये और उस को खाना खाने के लिए कहा जाये तो वह जवाब में किया कहे?

आज कल बिलख़ुसूस़ अ़वाम में यह बात भी बहुत राइज है कि ‘‘खाना खाते वक़्त जब कोई आ जाता है तो हिन्दुस्तान का उ़र्फ़ यह है कि उसे खाने को पूछते हैं कहते हैं आओ खाना खाओ अगर न पूछे तो तअ़्न(बुरा भला कहते हैं) करते हैं कि उन्होंने पूछा तक नहीं यह बात यानी दूसरे मुसलमान को खाने के लिए बुलाना अच्छी बात है मगर बुलाने वाले को यह चाहिए कि यह पूछना महज़ नुमाइश (दिखावा) के लिए न हो बल्कि दिल से पूछे।

यह भी रवाज है कि जब पूछा जाता है तो वह कहता है ‘‘बिस्मिल्लाह’’यह न कहना चाहिए कि यहाँ बिस्मिल्ला कहने के कोई मअ़्ना नहीं इस मौक़े पर बिस्मिल्लाह कहने को उलमा ने बहुत सख़्त मम्नूअ़(मना) फरमायाः बल्कि ऐसे मौक़े पर दुआ़इया अल्फ़ाज़ कहना बेहतर है मसलन‘‘अल्लाह तआ़ला बरकत दे, ज़्यादा दे’’या अ़रबी में यूँ कहे بَارَكَ اللهُ فِيْ طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ۔

(इस्लामी अख़्लाक़ व आदाब स 31)

रहता है सुन्नत से आगे बढ़ना रिया व सुमआ़ है उस से बचना ज़रूरी है। (क़ानूने शरीअ़त दोम)

पानी पीने का सुन्नत त़रीक़ा

इस ज़माना में बाज़ लोग बायें हाथ में कटोरा या ग्लास लेकर पानी पीते हैं ख़ुसूसन खाने के वक़्त दाहिने हाथ से पीने को ख़िलाफ़े तहज़ीब जानते हैं उनकी यह तहज़ीब तहज़ीबे नसारा है।

इस्लामी तहज़ीब दाहिने हाथ से पीना है आज कल एक तहज़ीब यह भी है कि ग्लास में पीने के बाद जो पानी बचा उसे फेंक देते हैं कि अब वह पानी झूटा हो गया जो दूसरे को नहीं पिलाया जायेगा यह हिन्दुओं से सीखा है इस्लाम में छूत छात नहीं मुसलमान के झूटे से बचने के कोई मअ़ना नहीं और इस इ़ल्लत(वजह) से पानी को फेंकना इसराफ़(फ़ुज़ूल ख़र्ची) है।

(बहारे शरीअ़त जि.सोम मतबूआ़ अलमदीना स 381)

अल्लाह तआ़ला मुसलमानों की आखें खोले जब कि मोमिन के झूटे में शिफ़ा है।

मुहर्रम के दिनों में मछली खाना कैसा?

मछली का खाना किसी दिन मना नहीं है बाज़ जोहला (अन पढ़ लोग) यह कहते हैं कि अय्यामे मुहर्रम में मछली खाना न चाहिए यह बिल्कुल बे अस्ल है वल्लाहु तआ़ला आ़लमु।

(फ़तावा मरकज़ी दारुलइफ़ता स 302)

मुहर्रम के कपड़े

अय्यामे मुह़र्रम में यानी पहली मुह़र्रम से बारवीं तक तीन क़िस्म के रंग न पहने जायें।

अक़ीक़ा का गोश्त कुछ रिश्तेदारों का न खाने के तअ़ल्लुक़ से ग़लत़ फहमी का इज़ाला

अ़वाम में यह बहुत मशहूर है कि अ़क़ीक़ा का गोश्त बच्चा के माँ, बाप, और दादा,दादी,नाना नानी, न खायें यह महज़ ग़लत़ है इसका कोई सुबूत नहीं।

(बहारे शरीअ़त जि.सोम स 357) (मकतबतुल मदीना)

गुर्दे और ओझड़ी खाना कैसा है?

गुर्दे खाना जाइज़ है मगर हुज़ूर सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने पसन्द न फरमाया इस वजह से कि पेशाब उन में से होकर मसाना में जाता है और ओझड़ी का खाना मकरूह (नाजाइज़) है।

(अलमलफ़ूज़ चहारुमस 341)

वलीमा की तारीफ़ और उसकी मुद्दत

शबे ज़िफ़ाफ़ की सुब्हो को अहबाब की दावत करना वलीमा है रुख़सत से पहले जो दावत की जाये वलीमा नहीं यूँ ही बादे रुख़सत क़ब्ले ज़िफ़ाफ़ और रिया व नामवरी के क़स्द (इरादा)से जो कुछ हो हराम है और जहाँ उसे क़र्ज़ समझते हैं वहाँ क़र्ज़ उतारने की नियत में हरज नहीं अगर्चे इब्तेदाअन यह नियत महमूद नहीं वल्लाहु तआ़ला आलमु। (फ़तावा रज़विया जि.5 स 171)

और दूसरे दिन का खाना सुन्नत है और तीसरे दिन का खाना सुमआ़ है(यानी सुनाने और शोहरत के लिए है) जो सुनाने के लिए कोई काम करेगा अल्लाह तआ़ला उसको सुनायेगा यानी उस को सज़ा देगा। (तिर्मिज़ी शरीफ़)

हिन्दुस्तान में शादियों का सिलसिला कई दिन तक क़ाइम

(1) स्याह (काला) कि यह राफ़िज़ियों का त़रीक़ा है।

(2) और सब्ज़ (हरा) कि मुब्तदेईन तअ़ज़िया दारों का त़रीक़ा है।

(3) और सुर्ख़ कि यह ख़ारजियों का त़रीक़ा है कि वह मआ़ज़ल्लाह इज़हारे मुसर्रत के लिए सुर्ख़ पहनते हैं।

(अज़ इरशादाते आला ह़ज़रत)

मुहर्रम की मजालिस में मरसिया ख़्वानी का हुक्म

मुहर्रम की मजलिसों में मरसिया सुनने के तअ़ल्लुक़ से एक सुवाल के जवाब में हुज़ूर आला ह़ज़रत इमाम अहमद रज़ा मुह़द्दिसे बरेलवी अ़लैहि रहमतुलमन्नान फरमाते हैं।

''मौलाना शाह अ़ब्दुलअ़ज़ीज़ साहिब की किताब जो अरबी में है वह या हसन मियाँ मरहूम मेरे भाई की किताब ''आईना-ए-क़ियामत''में सही रिवायात हैं उन्हें सुनना चाहिए बाक़ी ग़लत़ रिवायात के पढ़ने से न पढ़ना और न सुनना बहुत बेहतर है''(अलमलफ़ूज़ दोम स 197 ता 198)

और मुहर्रम में मरसिया ख़्वानी की मज्लिस में शिरकत भी''नाजाइज़ है कि वह मनाही व मुन्करात यानी ख़िलाफ़े शरअ़ बातों से ममलू (भरी हुई) होती है'' वल्लाहु तआ़ला आ़लमु।

(इरफ़ाने शरीअ़त अव्वल स 16)

सलाम कब और कहाँ से शुरू हुआ?

अल्लाह तआ़ला ने आदम अलैहिस्सलाम को उनकी सूरत पर पैदा फरमाया उन का क़द साठ हाथ का था जब पैदा किया यह फरमाया कि इन फिरिश्तों के पास जाओ और सलाम करो और सुनो कि वह तुम्हें किया जवाब देते हैं जो कुछ वह तहिय्यत करें

वही तुम्हारी और तुम्हारी ज़ुर्रियत(औलाद) की तहिय्यत है।

ह़ज़रते आदम अ़लैहिस्सलाम ने उन के पास जाकर अस्सलामु अलैकुम कहा उन्होंने जवाब में कहा अस्सलामु अ़लैका व रहमतुल्लाहि हुज़ूर स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फरमाया कि जवाब में मलाइका ने व रहमतुल्लाहि ज़्यादा किया हुज़ूर स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फरमाया जो शख़्स़ जन्नत में जायेगा वह आदम अलैहिस्सलाम की सूरत पर होगा और साठ हाथ लम्बा होगा।

(बहारे शरीअ़त जि.3 स 454 मकतबतुल मदीना)

किन किन मौक़ों पर सलाम करने से बचा जाये?

''जो शख़्स़ पेशाब पाख़ाना फिर रहा है या कबूतर उड़ा रहा है या गा रहा है या हम्माम या गुस्ल ख़ाना में नंगा नहा रहा है उसको सलाम न किया जाये और उस पर जवाब देना वाजिब नहीं''पेशाब के बाद ढेला लेकर इस्तिंजा सुखाने के लिए टहलते हैं यह भी इसी हुक्म में है कि पेशाब कर रहा है''

(बहारे शरीअ़त स 463 हिस्सा 16 मकतबतुल मदीना)

सलाम में आवाज़ कितनी होनी चाहिए?

सलाम करने वाला''सलाम इतनी आवाज़ से कहे कि जिस को सलाम किया है वह सुन ले और अगर इतनी आवाज़ न हो तो जवाब देना वाजिब नहीं जवाबे सलाम में भी इतनी आवाज़ हो कि सलाम करने वाला सुन ले और इतना आहिस्ता कहा कि वह सुन न सका तो वाजिब साक़ित़ न हुआ और अगर वह बहरा है तो

उसके सामने होंट को जुंबिश दे कि उसकी समझ में आ जाये कि जवाब दे दिया'' (बहारे शरीअ़त जि.3 स 464 मकतबतुल मदीना)

सलाम के जवाब में (जीते रहो) न कहो

''अकसर जगह यह त़रीक़ा है कि छोटा जब बड़े को सलाम करता है तो वह जवाब में कहता है''जीते रहो''यह सलाम का जवाब नहीं है बल्कि यह जवाब जाहिलियत में कुफ़्फ़ार दिया करते थे वह कहते थे''حَیَّاکَ اللّٰہ''इस्लाम ने यह बताया कि जवाब में व अ़लैकुमुस्सलाम कहा जाये''

हाथ के इशारे से सलाम करना कैसा है?

उंगली या हथेली से सलाम करना मम्नूअ़ है। हदीस में फरमाया कि उंगलियों से सलाम करना यहूदियों का त़रीक़ा है और हथेली से इशारा करना नस़ारा का। (बहारे शरीअ़त जि.3 स 464 मकतबतुल मदीना)

''रसूले अकरम स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम फरमाते हैं जो शख़्स़ हमारे ग़ैर के साथ मुशाबहत रखे वह हम में से नहीं यहूद व नसारा के साथ तशब्बोह न करो यहूदियों का सलाम उंगलियों के इशारे से है और नसारा का सलाम हथेलियों के इशारे से है'' (तिर्मिज़ी शरीफ़)

हाँ लफ़्ज़े सलाम के साथ इशारा भी हो तो मुज़ाइक़ा नहीं। (कोई हरज नहीं) (फतावा रज़विया जि 9 स 198)

और आज कल यह बात भी बहुत देखने में आई है किः

कुछ बग़ैर पढ़े लिखे लोग ज़बान से सलाम नहीं करते बल्कि सिर्फ़ इशारा करते हैं या उंगली उठा देते हैं या हाथ को सर पर रख

लेते हैं तो इस त़रह़ से सलाम नहीं होता।

ऐ दीनी भाइयो! यहूदियों नस़रानियों के त़रीक़ों से बचो।

सलाम का जवाब इशारों से नहीं होता

''बाज़ लोग सलाम के जवाब में हाथ या सर से इशारा कर देते हैं बल्कि बाज़ सिर्फ़ आँखों के इशारा से जवाब देते हैं यूँ जवाब नहीं हुआ उन को मुंह से जवाब देना वाजिब है''

(बहारे शरीअ़त जि.3 स 464 मकतबतुल मदीना)

तंबीह-सलाम का जवाब फौरन देना वाजिब है बिला उ़ज्र ताख़ीर की तो गुनाहगार हुआ यह गुनाह जवाब देने से दफा न होगा बल्कि तौबा करनी होगी।

सलाम करने में झुकना कैसा?

बाज़ लोग सलाम करते वक़्त झुक भी जाते हैं यह झुकना अगर ह़द्दे रुकू तक हो तो हराम है और उस से कम हो तो मकरुह है। (बहारे शरीअ़त स 464 जि.3 मकतबतुल मदीना)

घुटना खोल कर लोगों के सामने घूमने वाले को सलाम करना कैसा है?

''हदीस शरीफ़ में है ''اَلرُّکْبَۃُ مِنَ الْعَوْرَۃِ'' यानी घुटना शर्म गाह में से है लिहाज़ा उसे बिला ज़रूरत किसी के सामने खोलना या खोले हुये लोगों के सामने फिरना हराम है। और फेअ़ले हराम का अ़लानिया मुरतकिब फ़ासिक़े मोलिन है ऐसे शख़्स़ को बे ज़रूरत और बिला मजबूरी सलाम की इब्तेदा करना जाइज़ नहीं मगर उन के सलाम का जवाब देना जाइज़ है। व हुवा तआ़ला आलमु (फतावा बरकातिया स 394)

सलाम के जवाब में आदाब, तस्लीमात, और बंदगी, वग़ैरा के अल्फ़ाज़ बोलने का मसअला

अस्सलामुअ़लैकुम के जवाब में अस्सलामुअलैकुम कहने से जवाब अदा हो जायेगा अगर्चे सुन्नत यह है कि व अ़लैकुमुस्सलाम कहे।

आदाब, तस्लीमात, बन्दगी कहना एक मोहमल बात और ख़िलाफ़े सुन्नत है उसका जवाब कुछ ज़रूर नहीं, वहाँ मसलहत पर नज़र करे अगर सूरत यह है कि उस के जवाब न देने से वह मुतनब्बह (होश्यार) होगा और आइन्दा ख़िलाफ़े सुन्नत से बाज़ रहेगा तो कुछ जवाब न दे और अगर वह दुनिया के ऐअ़तेबार से बड़ा शख़्स़ है और उसे जवाब न देने में ज़रर व ईज़ा (नुक़्स़ान व तकलीफ़) का अंदेशा(डर) है तो वैसा ही कोई मोहमल जवाब दे दे इसी त़रह़ अगर उसे जवाब न देने से कीना पैदा होगा या अपनी ना वाक़िफ़ी के बाइस उसकी दिल शिकनी होगी जब भी जवाब देना औला है। वल्लाहु तआ़ला आ़लमु।

(फ़तावा रज़विया जि 9 स 90)

खाना खाने वाले को किस वक़्त सलाम किया जाये?

''लोग खाना खा रहे हों उस वक़्त कोई आया तो सलाम न करे''

''हाँ अगर यह भूका है और जानता है कि उसे वह लोग खाने में शरीक कर लेंगे तो सलाम करले''

''यह उस वक़्त है कि खाने वाले के मुंह में लुक़्मा है और वह चबा रहा है कि उस वक़्त वह जवाब देने से आ़जिज़ है और अभी खाने के लिए बैठा ही है या खा चुका है तो सलाम कर सकता है कि अब वह आजिज़ नहीं''

(बहारे शरीअ़त जि.3 स 464 मकतबतुल मदीना)

वालिदैन पर औलाद के हुक़ूक़

1- प्यार में छोटे लक़ब पर बे क़द्र नाम न रखे कि पड़ा हुआ नाम मुश्किल से छूटता है।

2- बच्चे को पाक कमाई से पाक रोज़ी दे कि नापाक माल नापाक ही आदत लाता है।

3- बहलाने के लिए झूटा वअ़दा न करे। बल्कि बच्चा से भी वअ़दा वही जाइज़ है जिस के पूरा करने का क़स़द(इरादा) रखता हो।

4- ज़बान खुलते ही अल्लाह,अल्लाह फिर لاالہ الا اللہ फिर पूरा कलेमा तय्येबा सिखाये।

5- लड़के को नेक, स्वालेह, मुत्तक़ी, सहीहुल अ़क़ीदा व सनू रसीदा (बुढ़े) उस्ताद के सुपुर्द करे और दुख़्तर को नेक पारसा औ़रत से पढ़वाये।

6- बाद ख़त्मे क़ुरआन हमेशा तिलावत की ताकीद रखे।

7- अक़ाइदे इस्लाम व सुन्नत सिखाये।

8- हुज़ूरे अक़दस रहमते आ़लम स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम की मह़ब्बत व ताज़ीम उन के दिल में डाले कि अस्ले ईमान व ऐ़ने ईमान है।

9- सात बरस की उ़म्र से नमाज़ की ताकीद शुरू कर दे जब दस बरस का हो मार मार कर पढ़ाये।

10- इल्मे दीन ख़ुसूस़न वुज़ू, गुस्ल, नमाज़ रोज़ा वग़ैरा के मसाइल पढ़ाये।

11- पढ़ाने सिखाने में रिफ़्क़ व नरमी मलहूज़ रखे।

12- मौक़ा पर चश्म नुमाई (आँख दिखाना) तंबिह तहदीद

महर को अदा न करना कैसा है?

आज कल अ़वाम में यह बात बहुत राइज है कि निकाह के वक़्त जब महर बांधा जाता है तो दूल्हा या उस के घर वाले यह ख़्याल करते हैं कि महर सिर्फ़ इस वक़्त क़बूल कर लो फिर देखा जायेगा यानी दूल्हा या दूल्हा के घर वालों की नियत महर को अदा करने की नहीं होती है।

और न ही लड़की वाले महर लेना चाहते हैं और अगर कुछ पढ़े लिखे हज़रात महर अदा करना भी चाहें तो उस को मअ़यूब और बुरा समझा जाता है और कहा जाता है किया त़लाक़ दोगे कि महर अदा कर रहे हो यानी अ़वाम के नज़दीक महर बर वक़्ते निकाह या बाद में अदा करने को त़लाक़ देने का पेश ख़ीमा समझा जाता है जब कि अ़वाम की यह ग़लत़ फहमी और ला इल्मी है।

क्योंकि महर औ़रतों का ह़क़ है महर के ज़रीअ़ा से मर्द औ़रत से जाइज़ इंतेफ़ाअ़ का मालिक होता है लिहाज़ा महर को ख़ुश दिली से अदा करना चाहिए और बालिग़ा लड़की को या ना बालिग़ा लड़की के घर वालों को ख़ुशी से महर क़बूल करना चाहिए।

कुरआने अ़ज़ीम में है : وَاٰتُوا النِّسَآءَ صَدُقٰتِهِنَّ نِحْلَةً

(पारा नम्बर 4)

तर्जमा : और औ़रतों को उन के महर ख़ुशी से दो।

(कंज़ुल ईमान)

और जो निकाह के वक़्त यह ख़्याल रखते हैं कि महर को न अदा करना है न लेना है ऐसे लोगों के तअ़ल्लुक़ से हदीसे पाक में इरशाद फरमाया गया जो मर्द व औ़रत निकाह करे और महर के देने लेने की नियत न रखें यानी उसे दैन (क़र्ज़) न समझें वह रोज़े

करे मगर कोसना न दे कि उस को कोसना उन के लिए सबबे-ए-इस्लाह न होगा बल्कि और ज़्यादा फसाद का अंदेशा है।

13- ज़मान-ए-तालीम में एक वक़्त खेलने का भी दे मगर ज़िनहार(हर गिज़) बुरी सोहबत में न बैठने दे।

14- लड़के को लिखना,तैरना,सिपा गिरी सिखाये।

15- लड़की को लिखना हर गिज़ न सिखाये कि ऐहतेमाले फितना है, सीना, पिरोना, कातना, खाना, पकाना, सिखाये और सूरए नूर की तालीम दे।

16- शादी बरात में जहाँ गाना नाच हो हरगिज़ न जाने दे अगर्चे अपने भाई के यहाँ हो कि गाना सख़्त संगीन जादू है।

(इरशादाते आला ह़ज़रत स 54)

बद्दुआ़ और कोसना

अपने और अपने अहबाब के नफ्स व अहल व माल व वलद पर बद्दुआ़ न करे किया मालूम कि वक़्ते इजाबत(दुआ़ कबूल होने का वक़्त) हो और बाद वुक़ूए बला(मुसीबत आने के बाद) फिर नदामत हो रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम फरमाते हैं। अपनी जानों पर बद्दुआ़ न करो और अपनी औलाद पर बद्दुआ़ न करो और अपने ख़ादिम पर बद्दुआ़ न करो और अपने अमवाल पर बद्दुआ़ न करो कहीं इजाबत (क़बूल) की घड़ी से मुवाफ़िक़ न हो।(मुस्लिम,अबूदाऊद, इब्ने ख़ुज़ैमा)

तीन दुआ़यें बेशक मक़बूल हैं।

1- मज़लूम की दुआ़ 2- मुसाफिर की दुआ़ 3-माँ बाप का अपनी औलाद को कोसना।

(तिर्मिज़ी शरीफ़-बहवाला इरशादाते आला ह़ज़रत)

क़ियामत ज़ानी और ज़ानिया उठाये जायेंगे।

और फ़तावा मरकज़ी दारुलइफ़्ता में है जो शख़्स़ निकाह करे और नियत यह हो कि औ़रत को महर में से कुछ न देगा तो जिस रोज़ मरेगा ज़ानी मरेगा हाँ अगर महर मुआ़फ़ कराये और औ़रत होश व हवास में राज़ी ख़ुशी मुआ़फ़ कर दे तो महर मुआ़फ़ हो जायेगा मगर मारने की धम्की देकर या औरत मार के ख़ौफ़ से मुआ़फ़ करे तो मुआ़फ़ न होगा और अगर मरज़ुलमौत में मुआ़फ़ कराया जैसा कि अ़वाम में राइज है कि जब औ़रत मरने लगती है तो उस से महर मुआ़फ़ कराते हैं तो इस सूरत में वरसा की इजाज़त के बग़ैर मुआ़फ़ न होगा।

यानी औ़रत ने महर मुआ़फ़ भी कर दिया मरज़ुलमौत की हालत में तो औ़रत के वारिसों की इजाज़त के बग़ैर मुआ़फ़ नहीं होगा।

हर हाल में बच्चे का नाम रखा जाये

आज कल यह देखा गया है कि बच्चा पैदा हुआ और पैदा होते ही इंतेक़ाल कर गया या कुछ दिनों या चन्द माह के बाद वह दुनिया से फौत हो गया तो ऐसे बच्चे का नाम उसके वालिदैन या वारिसीन नहीं रखते और वह यह ख़्याल करते हैं कि जब बच्चा दुनिया से कूच कर गया तो ऐसे बच्चे का नाम रखने की किया ज़रूरत जब कि शरीअ़त का हुक्म यह है कि।

''बच्चा ज़िंदा पैदा हो या मुर्दा उसकी ख़िल्क़त(बनावट) तमाम हो या ना तमाम बहर हाल उस का नाम रखा जाये। और क़ियामत के दिन उस का हश्र होगा''(दुर्रे मुख़्तार)

मालूम हुआ कि वह बच्चे जो पैदा हों ख़्वाह ज़िन्दा हों या मुर्दा उन की बनावट पूरी हो या अधूरी उन का नाम हर हाल में

रखा जाये इसलिए कि रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फरमाया कि :

''क़ियामत के दिन तुम को तुम्हारे नाम और तुम्हारे बापों के नाम से बुलाया जायेगा लिहाज़ा अच्छे नाम रखो''

(बहारे शरीअ़त हिस्सा सोलह स 209 क़ादरी किताब घर बरेली)

अच्छों के नामों पर बच्चों के नाम रखो

हदीस में आया है कि अच्छों के नामों पर नाम रखो या वह नाम हों जिन के फ़ज़ाइल अहादीस में वारिद हों।

जैसा कि एक और हदीसे पाक में फरमाया गया रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फरमाया ''अंबिया अलैहिमुस्सलाम के नामों पर नाम रखो''

(अबूदाऊद बाब फी तग़यिरिल असमा)

इसलिए कि नाम का असर तबीअ़त व अख़्लाक़ व आदात व अत़वार पर पड़ता है और अच्छे नाम की बुन्याद पर ख़ुदा अपने बन्दों को जन्नत में दाख़िल फरमायेगा।

''रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अलैहि वसल्लम फ़रमाते हैं रोज़े क़ियामत दो शख़्स़ हज़रते इ़ज़्ज़त के हुज़ूर खड़े किये जायेंगे हुक्म होगा इन्हें ले जाओ अ़र्ज़ करेंगे इलाही हम किस अ़मल पर जन्नत के क़ाबिल हुये हम ने कोई काम जन्नत का न किया रब अ़ज़्ज़ व जल्ल फरमायेगा जन्नत में जाओ कि मैं ने हलफ़ (क़सम) फरमाया है कि जिस का नाम अहमद या मुहम्मद हो दोज़ख में न जायेगा यानी जब कि मोमिन हो और मोमिन उ़र्फ़े क़ुरआन व हदीस व सहाबा में उसी को कहते हैं जो सुन्नी सहीहुल अक़ीदा हो''। (फ़तावा रज़विया जि.9 स 203)

रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह तआ़ला ने फरमाया मुझे अपनी इ़ज़्ज़त व जलाल की क़सम जिसका नाम तुम्हारे नाम पर होगा उसे अज़ाब न दूंगा।

(फ़तावा रज़विया जि.9 बहारे शरीअ़त हिस्सा सोलह स 210 क़ादिरी किताब घर बरेली)

आज कल यह भी देखा गया है कि अगर एक बच्चा का नाम मुहम्मद रख दिया तो दूसरे बच्चा का वह ही फ़ज़ीलत वाला नाम यानी मुहम्मद रखने से बचते हैं और कहते हैं कि एक बच्चे का नाम मुहम्मद रख दिया और दूसरे बच्चे का वही नाम रखा जाये यानी एक ही घर में एक ही नाम के चन्द बच्चे हों यह अ़वाम के ख़्याल में ठीक नहीं है।

हदीस में है एक मर्तबा सहाबा किराम रिद़वानुल्लाहि तआ़ला अलैहिम अजमईन ने रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम की बारगाह में अ़र्ज़ किया जिस घर में एक शख़्स़ का नाम मुहम्मद है तो किया दूसरे का नाम भी मुहम्मद पर ही रखा जाये तो सरकार स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फरमाया مَا ضَرَّ اَحَدَكُمْ اَنْ يَكُوْنَ فِيْ بَيْتِهٖ مُحَمَّدٌ وَّ مُحَمَّدَانِ وَ ثَلٰثَةٌ

(शिफ़ा शरीफ़ जि. अव्वल स 105,फतावा रज़विया जि. 9 स 203)

तुम को कोई नुक़्स़ान नहीं है कि तुम्हारे घर में एक नाम का मुहम्मद हो और दो नाम के मुहम्मद हों और तीन नाम वाले मुहम्मद हों। (मुअल्लिफ़)

मअ़लूम हुआ कि एक ही घर में अगर्चे चन्द बच्चे हों तो उन सभों का नाम मुहम्मद रखने से बचा न जाये बल्कि उन तमाम बच्चों का नाम मुहम्मद ही रखा जाये अगर्चे एक ही घर या महल्ला या बस्ती में एक ही नाम के कितने भी मुहम्मद नाम के बच्चे हों।

इसलिए कि जिस घर में इन मुक़द्दस नामों के जितने ज़्यादा लोग होंगे उस मकान में उतनी ही ज़्यादा रहमते ख़ुदा का नुज़ूल होता रहेगा।

हुज़ूरे अकरम स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम फरमाते हैं। जो मेरी मह़ब्बत की वजह से अपने लड़के का नाम मुहम्मद या अहमद रखेगा अल्लाह तआ़ला बाप और बेटे दोनों को बख़्शेगा।

(अलमलफ़ूज़ हिस्सा अव्वल स 51,रज़वी किताब घर देहली)

इन्हीं फ़ज़ाइल की बुन्याद पर हुज़ूर आला ह़ज़रत रदियल्लाहु तआ़ला अन्हु ने अपने सब बेटों, और भतीजों, का अक़ीक़ा में सिर्फ़ मुहम्मद नाम रखा फिर नामे अक़दस के हिफ़्ज़ व आदाब और बाहम तमीज़ के लिए उ़र्फ़ जुदा मुक़र्रर किए।

"किसी ने हुज़ूर आला ह़ज़रत से अपने भतीजे का तारीख़ी नाम पूछा तो आप ने फरमाया तारीख़ी नाम से किया फायदा नाम वह हों जिन के अहादीस में फ़ज़ाइल आये हैं"

(अलमलफ़ूज़ हिस्सा अव्वल स 51 रज़वी किताब घर देहली)

मुहम्मद बहुत प्यारा नाम है इस नाम की बड़ी तारीफ़ हदीसों में आई है अगर तस़्ग़ीर का अंदेशा न हो तो यह नाम रखा जाये और एक सूरत यह है कि अ़क़ीक़ा का यह नाम हो और पुकार ने के लिए कोई दूसरा नाम तजवीज़ कर लिया जाये और हिन्दुस्तान में ऐसा बहुत होता है कि एक शख़्स़ के कई नाम होते हैं इस सूरत में नाम की बरकत भी होगी और तस़्ग़ीर से भी बच जायेंगे।

(बहारे शरीअ़त हिस्सा पन्द्रह स 145,क़ादरी किताब घर बरेली)

बेहतर यही है कि सिर्फ़ मुहम्मद या अहमद नाम रखे इस के साथ जान वग़ैरा और कोई लफ़्ज़ न मिलाये कि फ़ज़ाइल तन्हा इन्हें अस्माए मुबारका के वारिद हुये हैं।

(फ़तावा रज़विया जि.9 स 204)

अपने भाइयों को अच्छे नामों से पुकारो और बुरे नामों को बद लो

अल्लाह पाक अपने कलामे पाक में फरमाता है।

وَلَا تَلْمِزُوْٓا اَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوْا بِالْاَلْقَابِ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوْقُ بَعْدَ الْاِیْمَانِ۔

तर्जमा :-और आपस में तअ़ना न करो और एक दूसरे के बुरे नाम न रखो किया ही बुरा नाम है मुसलमान होकर फासिक़ कहलाना। (कंज़ुलईमान)

और अबूदाऊद शरीफ़ में है कि हज़रते अब्दुल्लाह बिन जरार रद़ियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से मरवी है कि सय्यिदुल मुरसलीन स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने इरशाद फ़रमाया अपने भाइयों को उनके अच्छे नामों से पुकारो बुरे अल्क़ाब से न पुकारो। हदीस में है !

"اِنَّكُمْ تُدْعَوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِاَسْمَائِكُمْ وَاَسْمَاءِ اٰبَائِكُمْ فَاَحْسِنُوْا اَسْمَاءَكُمْ"

बेशक तुम क़ियामत के दिन अपने और अपने माँ बाप के नाम से पुकारे जाओगे तो अपने नाम अच्छे रखो।

जामेउर्त्तिमिज़ी में उम्मुलमुमेनीन हज़रते आ़इशा सिद्दीक़ा रद़ियल्लाहु तआ़ला अ़न्हा से है।

اَنَّ النَّبِیَّ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کَانَ یُغَیِّرُ الاسْمَ القَبِیْحَ

नबी करीम सल्लल्लाहु तआ़ला अलैहि वसल्लम की आदते करीमा थी कि बुरे नाम को बदल देते।

''अहादीसे सहीहा कसीरा से साबित कि रसूलुल्लाह

स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने बकसरत ऐसे अस्मा जिन के मअ़ना असली के लिहाज़ से कोई बुराई थी तब्दील फरमा दिए''

(फतावा रज़विया जि. 9 स 201)

''जैसा कि इब्ने उ़मर रद़ियल्लाहु तआ़ला अन्हुमा से मरवी आप फ़रमाते है कि हज़रते उमर रद़ियल्लाहु तआ़ला अन्हु की एक लड़की का नाम (आसि़या) था हुज़ूर स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने उस का नाम (जमीला) रखा'' व सईद बिन अल मुसय्यब रद़ियल्लाहु तआ़ला अन्हु से मरवी कहते हैं मेरे दादा नबी करीम स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम की ख़िदमत में हाज़िर हुये हुज़ूरे पाक स़ल्लल्लाहु तआ़ला अलैहि वसल्लम ने पूछा तुम्हारा नाम किया है उन्होंने कहा!

(حَزْن)फरमाया तुम(سَهْل) हो यानी अपना नाम सहल रखो कि उस के मअ़ना हैं नरम और हज़्न सख़्त को कहते हैं उन्होंने कहा जो मेरे बाप दादा ने रखा है उसे नहीं बदलूंगा। सईद बिन अल मुसय्यब कहते हैं उसका नतीजा यह हुआ कि हम में अब तक सख़्ती पाई जाती है''

(बहारे शरीअ़त जि.सोम स 600 ता 601 मकतबतुल मदीना)

मअ़लूम यह हुआ कि अगर किसी का बुरा नाम हो तो उस को बदल कर अच्छा नाम रखना चाहिए ताकि बुरे नाम की बुराई का असर न पड़े इस त़रह़ से सरकार स़ल्लल्लाहु तआ़ला अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी अदा हो जायेगी अच्छे नामों की बरकतें भी शामिले हाल रहेंगी।

एक और रिवायत में है :

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ لِرَجُلٍ مَا اسْمُكَ قَالَ جَمْرَةٌ قَالَ ابْنُ مَنْ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ قَالَ مِمَّنْ۔

قَالَ مِنَ الحُرَقَةِ قَالَ اَيْنَ مَسْكَنُكَ قَالَ الحَرَّةُ قَالَ بِاَيِّهَا قَالَ بِذَاتِ لَظٰى فقالَ عُمَرُ اَدْرِكْ اَهْلَكَ فَقَدْ اِحْتَرَقُوْا فَرَجَعَ الرَّجُلُ فَوَجَدَ اَهْلَهٗ قَدْ اِحْتَرَقُوْا ۔

(तारीख़ुल ख़ुलफ़ा अरबी स102)

तर्जमा :- ह़ज़रत इबने उ़मर रद़ियल्लाहु तआ़ला अन्हुमा से रिवायत है कि एक मर्तबा ह़ज़रत उ़मर बिन ख़त्ताब रद़ियल्लाहु तआ़ला अन्हु ने एक शख़्स़ से पूछा कि तेरा नाम किया है। उस ने बताया जमरा(आग की चिंगारी) फिर आप ने उसके बाप का नाम पूछा तो उस ने कहा मेरे बाप का नाम (शिहाब) (भड़कती हुई आग) फिर आप ने क़बीला का नाम दरयाफ़्त फरमाया तो वह बोला!

حُرَقَهْ(आग में जल कर स्याह हो जाने वाली चीज़) फिर आप ने वत़न का नाम पूछा तो उस ने जवाब दिया॰حَرَّہ (गरमी) फिर आप ने पूछा यह कहाँ वाक़ेए़ है तो अ़र्ज़ की(बज़ाते लज़ा) वह आग की लपट जिस में धुवाँ न हो) में है उस शख़्स़ का पूरा तआ़रुफ़ सुन कर ह़ज़रते उ़मरे फ़ारूक़े आ़ज़म रद़ियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु ने फरमाया अपने अहल व अ़याल की जल्द ख़बर लो वह तो सब जल कर मर गये। वह शख़्स़ अपने घर गया तो यक़ीनन उस के घर को आग लग चुकी थी और सब के सब जल मरे थे।

(मुअल्लिफ़)

इसी त़रह़ से मुसलमानों को (परवेज़) नाम से भी बचना चाहिए क्योंकि(परवेज़) मजूसी और आतश परस्त (आग की पूजा करने वाला) बादशाह का नाम था। जो हुज़ूर स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम का बद तरीन दुश्मन था जिस त़रह़ से मुसलमान हामान,शद्दाद, नाम नहीं रखते इसी तरह से परवेज़ भी नहीं रखना चाहिए।

इंतेबाह : परवेज़ नाम रखना मअ़ना के ऐअतेबार से ग़लत नहीं है बल्कि परवेज़ इस बिना पर ग़लत़ है कि परवेज़ नाम का शख़्स़ आतश परस्त और रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम का बद तरीन दुश्मन था इसलिए परवेज़ नाम रखने से बचना चाहिए और उन नामों के रखने से भी इजतेनाब करना चाहिए कि जो लोग ख़ुदा के महबूबों के दुश्मन रहे हों जैसे नमरूद,और यज़ीद,। अल्लाह तआ़ला मुसलमानों को अ़मल की तौफ़ीक़ अ़त़ा फरमाये।

मरने के बाद औलाद पर माँ बाप के हुक़ूक़ किया हैं?

1- सब से पहला ह़क़ बाद मौत उन के जनाज़ा की तजहीज़ ग़ुस्ल, कफन, नमाज़, दफ्न है और इन कामों में ऐसे सुनन व मुस्तहब्बात की रिआ़यत जिस से उन के लिए हर ख़ूबी व बरकत व रहमत व वुस्अ़त की उम्मीद हो।

2- उन के लिए दुआ़ व इस्तिग़फ़ार हमेशा करते रहना उस से कभी ग़फ़लत न करना।

3-स़दक़ा व ख़ैरात व आमाले स्वालिहात का सवाब उन्हें पहुँचाते रहना। हस्बे त़ाक़त उस में कमी न करना, अपनी नमाज़ के साथ उन के लिए भी नमाज़ पढ़ना, अपने रोज़ों के साथ उन के वासित़े भी रोज़े रखना। बल्कि जो नेक काम करे सब का सवाब उन्हें और सब मुसलमानों को बख़्श देना कि उन सब को सवाब पहुँच जायेगा और उस के सवाब में कमी न होगी बल्कि बहुत तरक़्क़ियाँ पायेगा।

4- उन पर कोई क़र्ज़ किसी का हो तो उस के अदा में हद दर्जा की जल्दी व कोशिश करना और अपने माल से उनका क़र्ज़

अदा होने को दोनों जहाँ की सआ़दत समझना। आप क़ुदरत न हो तो और अज़ीज़ों क़रीबों फिर बाक़ी अहले ख़ैर से उस के अदा में इमदाद लेना।

5- उन पर कोई क़र्ज़ रह गया हो तो बक़द्रे क़ुदरत उस के अदा में सई बजा लाना। हज न किया हो तो ख़ुद उन की त़रफ़ से हज करना या हज्जे बदल कराना। ज़कात या उश्र का मुत़ालबा उन पर रहा हो तो उसे अदा करना नमाज़ रोज़ा बाक़ी हो तो उसका कफ़्फ़ारा देना, और इसी तरह हर त़रह़ उनकी बराअते ज़िम्मा में जिद्दो जहद करना।

6-उन्होंने जो वसीयते जाइज़ा शरईया की हो हत्तल इमकान उसके ऩफ़ाज़ में सई करना, अगर्चे शरअ़न अपने ऊपर लाज़िम न हो, अगर्चे अपने नफ़्स पर बार हो, मसलन वह निस़्फ़ जाइदाद की वस़ियत अपने किसी अ़ज़ीज़ ग़ैर वारिस या अजनबी महज़ के लिए कर गये तो शरअ़न तिहाई माल से ज़्यादा बे इजाज़त वरसान नाफ़िज़ नहीं। मगर औलाद को मुनासिब है कि उन की वसियत मानें और उन की ख़ुशी पूरी करने को अपनी ख़्वाहिश पर मुक़द्दम जानें।

7- उनकी क़सम बादे मर्ग(मौत के बाद) भी सच्ची ही रखना। मसलन माँ या बाप ने क़सम खाई थी कि मेरा बेटा फ़ुलाँ जगह न जायेगा। या फ़ुलाँ से न मिलेगा, या फ़ुलाँ काम करेगा, तो उन के बाद यह ख़्याल न करना कि अब तो वह हैं नहीं उन की क़सम का ख़्याल नहीं बल्कि उसका वैसा ही पा बन्द रहना जैसा उनकी हयात में रहता जब तक कोई हरजे शरइ मानेअ़ न हो। और कुछ कसम ही पर मौकूफ़ नहीं हर त़रह के उमूरे जाइज़ा में बाद मर्ग भी उनकी मर्ज़ी का पाबन्द रहना।

8- हर जुमा को उन की ज़ियारते क़ब्र के लिए जाना, वहाँ

क़ुरआन शरीफ़ ऐसी आवाज़ से कि वह सुनें पढ़ना और उसका सवाब उनकी रूह को पहुँचाना। राह में जब कभी उनकी क़ब्र आये बे सलाम व फ़ातिहा न गुज़रना।

9-उन के रिश्तेदारों के साथ उ़म्र भर नेक सुलूक किये जाना।

10-उन के दोस्तों से दोस्ती निबाहना। हमेशा उनका ऐज़ाज़ व इकराम रखना।

11-कभी किसी के माँ या बाप को बुरा कह कर जवाब में उन्हें बुरा न कहलवाना।

12-और सब में सख़्त तर व आम तर व मदाम तर यह ह़क़ है कि कभी कोई गुनाह कर के उन्हें क़ब्र में रंज न पहुंचाना। उस के सब आमाल की माँ बाप को ख़बर पहुँचती है। नेकियाँ देखते हैं तो ख़ुश होते हैं और उन का चेहरा फरहत से दमकने लगता है। और गुनाह देखते हैं तो रंजीदा होते हैं, उन के क़ल्ब पर सदमा पहुँचता है। माँ बाप का यह ह़क़ नहीं कि कब्र में भी उन्हें रंज दिया जाये।

अल्लाह गफ़ूर रहीम, अज़ीज़ करीम, जल्ल जलालोहु सदक़ा अपने हबीब रऊफ व रहीम अलैहि व अ़ला आलेही अफज़लुस्सलातु वत्तस्लीम का हम सब मुसलमानों को नेकियों की तौफ़ीक़ दे। गुनाहों से बचाये, हमारे अकाबिर की क़ब्रों में हमेशा नूर व सुरूर पहुँचाये, कि वह क़ादिर है और हम आ़जिज़। वह ग़नी है और हम मोहताज । حسبنا الله ونعم الوكيل الخ(अहकामे शरीअ़त अव्वल)

सुन्नी सहीहुल अ़क़ीदा मुसलमानों के क़ब्रिस्तान में जूता पहन कर चलना कैसा है?

हदीस शरीफ़ में फरमाया तलवार की धार पर पाँव रखना मुझे उस से आसान है कि मुसलमान की क़ब्र पर पाँव रखूँ।

दूसरी हदीस में फरमाया अगर मैं अंगारे पर पाँव रखूँ यहाँ तक कि वह जूते का तला तोड़ कर मेरे तलवे तक पहुँच जाये तो यह मुझे उस से ज़्यादा पसन्द है कि किसी मुसलमान की क़ब्र पर पाँव रखूँ यह वह फरमा रहे हैं कि बल्लाह अगर मुसलमान के सर और सीने और आँखों पर क़दमे अक़दस रख दें तो उसे दोनों जहाँन का चैन बख्श दें सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम फतहुलक़दीर और त़हत़ावी और रद्दुलमुहतार में है "المرور في سكةٍ حادثة في المقابر حرام" क़ब्रिस्तान में जो नया रास्ता निकला हो उस में चलना हराम है कि वह ज़रूर क़ब्रों पर होगा बख़िलाफ़े राहे क़दीम के कि क़ब्रें उसे छोड़ कर बनाई जाती हैं हुज़ूरे अकरम स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम के सामने एक साहिब क़ब्रिस्तान में जूता पहन कर निकले फरमाया ऐ बाल स़ाफ़ किये हुये जूते वाले अपने जूते को फेंक न तू साहिबे क़ब्र को सता न वह तुझे सताये।

(अलमलफ़ूज़ हिस्सा दोम स 206 ता 207)(फतावा रज़विया शरीफ़)

मुसलमानों की क़ब्रों के तअल्लुक़ से यह उस ज़ाते गिरामी का फरमान है जिन की नअ़ले पाक के तअ़ल्लुक़ से उस्ताज़े ज़मन ह़ज़रत अल्लामा हसन रज़ा ख़ाँ बरेलवी अलैहिर्रहमा फरमाते हैं।

जो सर पे रखने को मिल जाये नअ़ले पाके हु़ज़ूर ﷺ
तो फिर कहेंगे कि हाँ ताजदार हम भी हैं

क़ारेईन! मुसलमानों की क़ब्रों का ऐहतेराम एक अल्लाह के वली से सीखिये।

एक मर्तबा खिलजी बादशाहों में से किसी बादशाह ने ग़ाज़ी मियाँ अ़लैहिर्रहमा के आस्ताने पर हाज़िरी दी थी उस वक़्त वहाँ कोई बुज़ुर्ग थे जिन की विलायत मशहूर थी बादशाह ने उन से अ़र्ज़ किया

मैं आस्ताना पर ह़ाज़िरी देना चाहता हूँ किया ही अच्छा होता कि यह ह़ाज़िरी आप के साथ होती अल्लाह के महबूब बन्दे ने कहा मैं तो ह़ाज़िरी देता ही रहता हूँ अगर तुम्हारी ख़्वाहिश है तो चला चलता हूँ।

चुनांचे बादशाह और दरवेश दोनों चले लेकिन दरवेश टेढ़े टेढ़े चल रहे थे। बादशाह से न रहा गया तो पूछ बैठा हुज़ूर रास्ता तो सीधा भी है और स़ाफ़ भी मगर आप टेढ़े टेढ़े क्यों चल रहे हैं कभी पाओं आगे कभी पाँव पीछे,कभी दायें कभी बायें ऐसा क्यों है यह सुनते ही अल्लाह के वली ने अपनी कुलाह (टोपी) बादशाह के सर पर रख दी जैसे ही कुलाह सर पर रखी ज़मीन का निचला हिस्सा रौशन हो गया अब बादशाह किया देखता है ज़मीन के नीचे शोहदा की नअ़श ही नअ़श है गोया गंजे शहीदाँ है बादशाह हैरान व परेशान इस के बाद दरवेश ने कहा हमारा तुम्हारा यही फ़र्क़ है तुम बिन देखे चल रहे हो मैं देख देख के चल रहा हूँ मैं टेढ़ा टेढ़ा नहीं चल रहा हूँ बल्कि इस ऐहतियात से चल रहा हूँ कि कहीं उन के सीना और सर पर पाँओ न पड़ जाये। (खुत़बाते निज़ामी स 243)

कुबूरे मुस्लिमीन पर चलना जाइज़ नहीं, बैठना जाइज़ नहीं, उस पर पाँव रखना जाइज़ नहीं, यहाँ तक कि अइम्मा ने तस्रीह़ फरमाई कि क़ब्रिस्तान में जो नया रास्ता पैदा हुआ हो उस में चलना हराम है और जिस के अक़रेबा ऐसी जगह दफ्न हों कि गिर्द उनके और क़ब्रें हो गई और उसे उनकी कुबूर तक और क़बरों पर पाँव रखे बग़ैर जाना ना मुम्किन हो वह दूर ही से फातिहा पढ़े और पास न जाये। (इरफाने शरीअ़त स 46)

मरने के बाद होने वाली बुरी रस्मों का बाईकाट

ग़ौर कीजिए तो यह बात खुल कर सामने आती है कि हिन्दी

मुसलमानों की तहज़ीब व तमद्दुन में ग़ैर शुऊरी तौ़र पर अकसर रुसूमे हुनूद ने जगह ले ली है। शायद उन्हीं में से मरने के बाद की दावत भी है जो,अहले मय्यित बड़े धूम धाम से बिला तफ़रीक़ ग़नी (माल दार) व फ़क़ीर करते हैं। बाज़ जगहों में उसे ''काम'' के नाम से मौसूम करते हैं और बड़े फख़्र व मुबाहात से कहते हैं कि फुलाँ का काम फुलाँ ने बड़ी शान से किया। यह ख़ास़ लफ़्ज़ ग़ालिबन हिन्दूओं ही के माहौल से मुताअस्सिर मालूम होता है इसलिए कि वह भी इस रस्म को उसी नाम से अदा करते हैं वरना इस्लाम में उसकी कोई अस़्ल नहीं।

इस सिलसिले में एक इस्तिफ़ता के जवाब में आला ह़ज़रत मुहद्दिसे बरेलवी ने लिखा है कि यह मुतअद्दद वुजूह से नाजाइज़ है।

अव्वलः यह दावत ख़ुद नाजाइज़ बिदअ़ते शनीआ़ व क़बीहा है। इसलिए कि ऐसी दावत ख़ुशी के मौक़े पर की जाती है न कि ग़मी में, इस बारे में हदीस और मुतअ़द्दिद कुतुबे फ़िक़्ह की ऐबारतों से साबित किया है इंदश्शरअ़ हर गिज़ हर गिज़ यह दावत महमूद व पसन्दीदा नहीं है।

दोम : इसलिए कि अगर वरसा में कोई यतीम भी है तो यह और आफ़त सख़्त तर है इसलिए कि यतीम का ना ह़क़ माल खाना पेट में अंगारा भरना है और अगर नाबालिग़ है तो उस का माल ज़ाय करना होगा और यह नाजाइज़ है इसलिए कि उस के माल का इख़्तियार किसी को नहीं। अगर बालिग़ मौजूद नहीं है तो ग़ैर के माल में बग़ैर उसकी इजाज़त के तसर्रुफ़ लाज़िम आयेगा और यह भी नाजाइज़ है,हाँ अगर फ़ुक़रा व मसाकीन के लिए खाना पकवायें तो हरज नहीं बल्कि बेहतर है बशर्त यह कि कोई आ़क़िल बालिग़ अपने माले ख़ास़ से करे या तर्का से करें तो सब और

वारिस मौजूद बालिग़ व राज़ी हों।

सोम : औ़रतें इकट्ठा होती हैं और नाजाइज़ काम करती हैं मसलन चिल्ला कर रोना,पीटना, बनावट से मुंह ढांकना वग़ैरा वग़ैरा यह सब मिस्ल नोहा है और नोहा करना हराम है ऐसे मजमा के लिए मय्यित के अ़ज़ीज़ों का भी खाना भेजना जाइज़ नहीं।

चहारुम : अकसर लोगों को इस रस्मे बद की अदाएगी में मजबूरन तअ़ना से बचने के लिए और जाहिलों की लअ़नत व मलामत के ख़ौफ़ से वुस्अ़त से ज़्यादा दावत करनी पड़ती है बल्कि ज़्यादा तर क़र्ज़ की ज़रूरत पड़ती है क़र्ज़ न मिले तो गिरवी रख कर अस्ल रक़म के एलावा सूद से भी ज़ेरे बार होते हैं जो ख़ालिस़ हराम है यहाँ तक कि मय्यित वाले बेचारे अपने ग़म को भूल कर इस आफ़ते नागहानी में फंस कर रह जाते हैं। ऐसा तकल्लुफ़ तो शरीअ़त ने किसी मुबाह काम के लिए भी पसन्द नहीं किया है चेह जाए कि रस्मे मम्नूअ़ के लिए, ग़र्ज़ अच्छाई का कोई पहलू नहीं।

मौला तआ़ला मुसलमानों को अक़्ले सलीम अ़ता फ़रमाये और तौफ़ीक़ बख़्शे कि ऐसी बुरी रस्म को जिस से उन के दीन व दुन्या दोनों का नुक़्स़ान हो फौरन छोड़ दें और तअ़न बेहूदा का ख़्याल न करें। वल्लाहुलहादी (अज़ दावते मय्यित)

गाँव वालों और रिश्तेदारों का(भाती) का खाना कैसा?

गाँव वालों को भाती(भत्ती) में शरीक नहीं होना चाहिए बल्कि इस भाती के मुस्तहिक़ स़िर्फ अहले मय्यित ही हैं और रिश्तेदार और पड़ोसी पर लाज़िम है कि खाना उतना ही भेजे जो अहले मय्यित को काफ़ी हो, पहले दिन स़िर्फ़ उतना खाना कि मय्यित के घर वालों को काफ़ी हो भेजना सुन्नत है इस से ज़्यादा

की इजाज़त नहीं न दूसरे दिन भेजने की इजाज़त न औरों के वास्ते भेजा जाये न और उस में खायें और सुन्नत है कि पहले दिन सिर्फ़ घर वालों के लिए खाना भेजा जाये और उन्हें बा इसरार खिलाया जाये न दूसरे दिन भेजे न घर से ज़्यादा आदमियों के लिए भेजें इन इबारतों से मालूम हुआ कि खाना भेजने वाले उतना ही खाना भेजें जो मय्यित के घर वालों को काफ़ी हो। इस से ज़्यादा भेजना सुन्नत के ख़िलाफ़ अमल है और जब खाना ही न होगा तो लोग ख़ुद ही खाने में शरीक होने से गुरेज़ (बचाओ) करेंगे वल्लाहु तआ़ला अलमु। (फतावा मरकज़ी दारूलइफ़्ता स 332)

मय्यित के तीजा ,दस्वाँ, बीसवाँ और चालीसवाँ, वग़ैरा का खाना कैसा?

''मय्यित के तीजा, दसवाँ, बीसवाँ और चालीसवाँ वग़ैरा में शादी ब्याह की तरह दावत करना बिदअते क़बीहा और नाजाइज़ है। कि दावत तो ख़ुशी में है। न कि ग़मी में लिहाज़ा अहले मय्यित जो इन मौक़ों पर दोस्त व अहबाब और आम मुसलमानों की शादी की त़रह़ दावत करते हैं वह नाजाइज़ है अलबत्ता मय्यित के ईसाले सवाब के लिए इन मौक़ों पर ग़ुरबा व मसाकीन को खिलाना बेहतर है और उन का खाना भी जाइज़ है रिश्तेदार और बरादरी वग़ैरा के अग़निया को वह खाना फ़ातिहा की वजह से मम्नूअ़ नहीं है बल्कि मौत के सिलसिले में दावत की वजह से मम्नूअ़ है लिहाज़ा अग़निया के लिए अलग खाना पकाने की सूरत में भी मम्नूअ़ व नाजाइज़ ही रहेगा हाँ इंतेज़ाम करने वाले और पकाने वाले अग़निया के लिए तीजा का खाना जाइज़ है और न खाना बेहतर है और यह उस सूरत में है जब कि इंतेज़ाम करने की

नियत से उन्हें जमा किया गया हो और अगर दावत के सबब जमा किया गया तो नाजाइज़ व मम्नूअ़ ही रहेगा''

(फतावा फ़ैज़ुर्रसूल जि अव्वल स 459 ता 460)

और फ़तावा मरकज़ी दारुलइफ़्ता स 336 पर लिखा है कि चेहलुम वग़ैरा का खाना अग़निया को भी नाजाइज़ नहीं है(मगर उन को न खाना बेहतर है) यह जाइज़ होने की सूरत उस वक़्त है जब कि मालदारों को खाने की दावत दे कर न बुलाया गया हो।

अब रहा औलिया किराम की नियाज़ की शीरीनी का खाना वह अ़ाम मय्यित के खाने से अ़लैहदा है फतावा मरकज़ी दारुल इफ़्ता स 333 व अहकामे शरीअ़त अव्वल स 134 पर है नियाज़े औलियाए किराम त़आ़मे मौत नहीं वह तबर्रुक है फ़क़ीर व ग़नी सब लें और फ़तावा फ़ैज़ुर्रसूल जिल्द अव्वल में है कि मीलाद शरीफ़ की शीरीनी फ़ुक़रा और अग़निया सब के लिए तबर्रुक है खाना जाइज़ है वल्लाहु तआ़ला अ़ालमु।

अब रहा सोइम के चनों का खाने का मुआ़मला कि जिन पर फ़ातिहा के क़ब्ल कलिमा तय्यिबा पढ़ा जाता है इमाम अहमद रज़ा क़ादिरी क़ुद्दिसा सिर्रुहु अहकामे शरीअ़त में स 134 पर लिखते हैं वह जो इनका मुन्तज़िर रहता है इन के मिलने से ख़ुश होता है उस का क़ल्ब स्याह होता है हाँ फ़क़ीर लेकर ख़ुद खाये और ग़नी ले ही नहीं और ले लिए हों तो मुसलमान फ़क़ीर को दे दे। वल्लाहु तआ़ला अ़ालमु

मय्यित के फ़ायदे के चन्द काम

इस्लाम की सही मालूमात और शरई मसाइल से ना वाक़ेफ़ियत की बिना पर अ़वाम ने अपने मुर्दों के ईसाले सवाब के

लिए धूम धाम से अइज़्ज़ा व अहबाब और अग़निया की आ़म दावत की एक क़बीह रस्म को रवाज दे डाला है लिहाज़ा अ़वाम की आसानी के लिए ज़ैल में चन्द ऐसे त़रीक़े बयान किए जा रहे हैं जो इस दुन्या से जाने वाले मुसलमानों के लिए सिर्फ़ तोहफ़ा-ए-आख़िरत ही नहीं दीन की तब्लीग़ और इस्लामी अहकाम की इशाअ़त का भी बेहतरीन ज़रीआ़ नीज़ स़दक़ा-ए-जारिया हैं।

1- किसी दीनी मदरसा में अपने मुर्दो की तरफ़ से कोई तामीरी काम कर डालें या तफ़सीर व हदीस और फ़िक़्ह वग़ैरा की ज़रूरी किताबें ख़रीद कर वक़्फ़ कर दें।

2- दीनी मदारिस के ग़रीब व नादार त़लबा की किसी भी त़रह़ इमदाद करें ख़ुसूस़न उन के खाने,कपड़े और दरसी किताबों का इन्तेज़ाम करें या मदरसों के मतबख़ में ग़ल्ला वग़ैरा दें। जाड़े के मौसम में गरम बिस्तर और कपड़ा ख़रीद दें।

3- दीनी किताबें ख़रीद कर अपनी क़रीबी लाइब्रेरियों में वक़्फ़ कर दें ताकि अ़वाम की दीनी मालूमात में इज़ाफ़ा हो।

4- अपने ख़र्च से कोई दीनी व इस्लाही किताब छपवा कर मुफ़्त तक़्सीम करें जिस से मुआ़शिरे और अ़वाम की इस्लाह हो।

ईसाले सवाब

اِنَّ الْاِنْسَانَ له أن يجعل ثواب عمله لغيره صلوة اَوْ صَوْمًا اَوْ
غيرَها عِندَ أهلِ السنة والجماعةِ۔ (الهداية)

बेशक इंसान अपने अमल का सवाब किसी दूसरे शख़्स़ को पहुँचा सकता है ख़्वाह नमाज़ का हो ख़्वाह रोज़ा का हो या स़दक़ा व ख़ैरात का हो। यह अहले सुन्नत व जमाअ़त का मज़हब है।
(दावते मय्यित)

ज़रूरी बातें :

1- हमारे नज़दीक ईसाले सवाब करना न तो फ़र्ज़ है न वाजिब बल्कि मुस्तहब है अगर कोई करेगा तो सवाब पायेगा न करने की सूरत में सवाब से महरूम रहेगा मगर गुनाह गार न होगा।

2- ईसाले सवाब करने के लिए शरअ़न इतना ही काफ़ी है कि जो भी नेक अमल किया है उस का सवाब मुसलमान भाई को पहुँचाने के लिए ख़्वाह वह ज़िंदा हो या मुर्दा सिर्फ़ इतना कह दे कि इलाही इस नेक अमल का सवाब फुलाँ को पहुँचा बल्कि ज़बान से कहना भी जरूरी नहीं है सिर्फ़ दिल में इरादा कर लेना काफी है। (दावते मय्यित)

जाग ऐ मुसलमाँ! जाग

आज कल यह देखा गया है कि नाम वरी की वजह से बनियों के यहाँ से सूद पर पैसा लेकर फ़ातिहा करते हैं जब कि सूद लेना और देना दोनों हराम हैं और सूद पर लाई हुई रक़म का इस्तेमाल करना जाइज़ नहीं लिहाज़ा सूद पर लिए बग़ैर जो भी रक़म मुयस्सर हो उस पर फ़ातिहा करें वरना जो कुछ कुरआन मजीद व दुरूद शरीफ़ से हो सके पढ़ कर ईसाले सवाब कर दिया जाये।

मरने वाले के सवाब में कमी न आयेगी और रूह भी ख़ुश होगी हाँ जो फातिहा के वक़्त सामान नहीं रखा गया तो उसका सवाब नहीं मिलेगा और कुरआन पढ़ने का सवाब मिल जायेगा और अल्लाह तआ़ला जब कभी हालात अच्छे बना दे तो बाद में ख़ैरात कर सकते हैं और कभी भी ज़िन्दगी में मुर्दा हो या ज़िंदा ख़ैरात करें। और फ़तावा रज़विया जि.7 स 104 पर है माले हराम ले कर फ़ातिहा का सवाब पहुँचना मुश्किल है। लिहाज़ा सूद पर पैसा लेकर फातिहा न की जाये बल्कि इस फेअ़ले हराम से बचा जाये। अल्लाह तआ़ला मुसलमानों को होश अ़ता फ़रमाये। (मुअल्लिफ़)

ज़रूरी मसाइल

हमारे कुछ अहबाब ने हमें बाज़ लोगों के बारे में ईसाले सवाब के सिलसिले में कुछ बातें बतायी लिहाज़ा हम उन बातों के पेशे नज़र यहाँ ज़रूरी मसाइल के तहत चन्द बातें तहरीर करते हैं ताकि ग़लत़ बातों की इस्लाह हो जाये क्योंकि सही त़रीक़ा यही है कि शरीअ़त से ना वाक़िफ़ ह़ज़रात की इस्लाह़ की कोशिश की जाये न कि उन को नेकी के कामों से हराम व बिदअ़त के फ़तवे लगाकर रोक दिया जाये।

1- यह समझना कि ईसाले सवाब फ़ुलाँ दिन या फ़ुलाँ वक़्त ही हो सकता है उस के एलावा नहीं हो सकता। यह ग़लत़ है बल्कि ईसाले सवाब कभी भी किसी वक़्त किसी दिन भी कर सकते हैं।

2- यह समझना कि खाने पीने की चीज़ें सामने होंगी जब ही फातिहा होगी वरना नहीं होगी यह ग़लत़ है यानी खाने पीने की चीज़ें सामने हों या न हों फातिहा हो जायेगी। मगर मुनासिब यह है कि सामने हों।

3- ह़ज़रत ख़ातूने जन्नत बी बी फ़ातिमा रद़ियल्लाहु तआ़ला अ़न्हा की नियाज़ के लिए पकाये गये खाने को कपड़े से ढांकने को ज़रूरी समझना ग़लत़ है। अलबत्ता खाना ढांकने से मक़स़द यह हो कि मख्खियाँ वग़ैरा न बैठें तो कोई ह़रज नहीं इसी त़रह़ यह समझना कि यह नियाज़ सि़र्फ़ औ़रतें ही खा सकती हैं यह भी ग़लत़ है। हर कोई खा सकता है।

4- ह़ज़रत इमाम जअ़फ़रे सादिक़ रद़ियल्लाहु तआ़ला अन्हु के सवाब के लिए पकाये गये खाने को घर ही में बैठ कर खाया जा सकता है बाहर नहीं ले जा सकते। यह ग़लत़ है।

5- ह़ज़रत इमाम जअ़फ़रे सादिक़ रद़ियल्लाहु तआ़ला अन्हु की नियाज़ के लिए मिट्टी के कूंडों का होना ज़रूरी समझना भी ग़लत़ है।

6- यह समझना कि तीजा तीसरे दिन चालीसवाँ चालीसवें दिन ही हो सकता है इसके अ़लावा दूसरे दिन नहीं हो सकता है। यह ग़लत़ है।

7- किसी भी नियाज़ व फातिह़ा के लिए किसी ख़ास़ चीज़ को ज़रूरी समझना कि उस के बग़ैर नियाज़ व फातिह़ा नहीं हो सकती। यह ग़लत है।

8- दास्ताने अ़जीब बी बी सय्यिदा की कहानी उनकी कोई अस़्ल नहीं लिहाज़ा इनको न पढ़ा जाये न ही सुना जाये उस के अ़लावा अगर कोई किताब किसी बरादरी में पढ़ी जाती हो तो वह मुस्तनद अहले सुन्नत आलिमे दीन से राबित़ा कर के उसके मुतअ़ल्लिक़ पढ़ने का हुक्म मालूम करें।

9- तीजा या सोम में चनों का होना ज़रूरी समझना ग़लत़ है अगर ज़रूरी न समझे तो अच्छा है और गिनती के लिए चना का इस्तेमाल जाइज़ व रवा है उस के अ़लावा उस को ख़ैरात करने पर अज्र व सवाब मिलता है और आला ह़ज़रत रद़ियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु ने कलेमा तय्यिबा के तअ़ल्लुक़ से एक वाक़िआ़ अलमलफ़ूज़ में इस तरह लिखा है कि ह़ज़रत शैख़ अकबर मुहयुद्दीन इब्ने अ़रबी रहमतुल्लाहि अ़लैहि एक जगह दावत में तशरीफ़ ले गये आप ने देखा कि एक लड़का खाना खा रहा है खाना खाते हुये दफअतन (अचानक) रोने लगा वजह दरयाफ़्त करने पर कहा कि मेरी माँ को जहन्नम का हुक्म है और फिरिश्ते उसे ले जाते हैं। (उस शहर में यह लड़का कश्फ़ में मशहूर था) ह़ज़रत शैख़ अकबर मुहयुद्दीन इब्ने अरबी रहमतुल्लाहि अलैहि के पास कलेमा शरीफ़ सत्तर हज़ार मर्तबा

पढ़ा हुआ महफ़ूज़ था आप ने उसकी माँ को दिल में ईसाले सवाब कर दिया फौरन वह लड़का हंसा आप ने सबब हंसने का दरयाफ़्त फरमाया लड़के ने जवाब दिया कि हुज़ूर मैं ने अभी देखा मेरी माँ को फिरिश्ते जन्नत की त़रफ़ ले जा रहे हैं शैख़ अलैहिर्रहमा इरशाद फरमाते हैं इस हदीस की तस्हीह मुझे इस लड़के के कश्फ़ से हुई और उस के कश्फ़ की तस्दीक़ इस हदीस से।

मालूम हुआ कि कलिमा तय्यिबा सत्तर हज़ार बख्शने से मुर्दे की बख़्शिश की उम्मीद है।

10- बुज़ुर्गाने दीन के लिए जो ईसाले सवाब किया जाता है उसका खाना अमीर व फ़क़ीर सब को जाइज़ है कि वह तबर्रुक होता और आम मुसलमानों के ईसाल सवाब के लिए जो खाना होता है उस को मुस्तहक़ीन पर स़र्फ़ किया जाए। ग़नी न खायें।

11- ईसाले सवाब हलाल माल से हलाल चीज़ों का किया जाये और उस से रज़ाए इलाही मक़सूद हो।

12- ईसाले सवाब के लिए कोई शख़्स क़र्ज़ा न ले। अगर तौफ़ीक़ हो तो कर ले वरना नमाज़ पढ़ कर रोज़ा रख कर या ज़िक्र व दुरूद पढ़ कर भी ईसाले सवाब कर सकता है। (दावते मय्यित)

गाहक को सौदा दिखाते वक़्त दुरूद शरीफ़ पढ़ने का मसअला

गाहक को सौदा दिखाते वक़्त ताजिर का इस ग़रज़ से दुरूद शरीफ़ पढ़ना या सुब्हानल्लाह कहना कि उस चीज़ की उम्दगी ख़रीदार पर ज़ाहिर करे नाजाइज़ है यूंही किसी बड़े को देख कर दुरूद शरीफ़ पढ़ना इस नियत से कि लोगों को उस के आने की ख़बर हो जाये उसकी ताज़ीम को उठें और जगह छोड़दें नाजाइज़ है। (निज़ामे शरीअ़त)

मछली का मालिक कौन?

तालाब के अंदर की मछलियों को बेचने का जो दस्तूर है यह बैअ़ (बेचना) जाइज़ नहीं।

तालाब के अंदर जितनी मछलियाँ होती हैं जब तक वह शिकार कर के पकड़ न ली जायें तब तक उनका कोई मालिक नहीं। शिकार कर के जो उन मछलियों को पकड़ ले वही उनका मालिक बन जाता है। जब यह बात समझ में आ गई तो अब समझो कि जिस शख़्स़ का तालाब है वह जब उन मछलियों का मालिक ही नहीं तो उसका उन मछलियों को बेचना कैसे दुरुस्त होगा?

हाँ! अगर तालाब का मालिक ख़ुद उन मछलियों को पकड़ कर बेचा करे तो यह दुरुस्त है अगर किसी दूसरे शख़्स़ से पकड़वायेगा तो पकड़ने वाला उन मछलियों का मालिक हो जायेगा तालाब के मालिक का उन मछलियों में कोई ह़क़ नहीं होगा तालाब के मालिक को यह भी ह़क़ नहीं है कि मछलियों को पकड़ ने से लोगों को मना करे (दुर्रे मुख़्तार)

किसी की ज़मीन में ख़ुद बख़ुद घास उगी न उस ने लगाया न उस ने पानी दे कर सींचा तो यह घास भी किसी की मिल्क नहीं है जो चाहे काट ले जाये।

ज़मीन के मालिक के लिए न उस घास को बेचना जाइज़ है न किसी को मना करना दुरुस्त है हाँ अलबत्ता अगर ज़मीन के मालिक ने पानी देकर सींचा हो और मेहनत की हो और हिफ़ाज़त व रखवाली की हो तो उस सूरत में वह घास ज़मीन के मालिक की हो जायेगी अब उसको बेचना भी जाइज़ है और लोगों को उस घास के काटने से मना करना भी दुरुस्त है। (दुर्रे मुख़्तार)

ख़ुदा का वासिता देकर भीक मांगना?

बाज़ लोग और फ़क़ीर ख़ुदा का वासिता देकर भीक मांगते हैं। यानी यह कहते हैं कि ख़ुदा के वासिते कुछ दे दो। हालाँकि इस त़रह़ से मांगना जाइज़ नहीं लेकिन अगर इस त़रह़ मांग ही ले तो ज़रूर देना चाहिए। हदीस में ऐसे शख़्स़ को मलऊ़न कहा गया है। जो ख़ुदा का वासिता देकर मांगे उसे भी मलऊन कहा गया है जिस से ख़ुदा का वासिता देकर कुछ मांगा जाये और वह न दे।

रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम फरमाते हैं मलऊन है जो अल्लाह का वासिता दे कर कुछ मांगे और मलऊ़न है जिस से ख़ुदा का वासिता देकर मांगा जाये फिर वह उस साइल को न दे जब कि उस ने कोई बेजा सुवाल न किया हो(तिबरानी)और फरमाते हैं स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम जिस से ख़ुदा का वासिता देकर कुछ मांगा जाये और वह दे दे तो उस के लिए सत्तर नेकियाँ लिखी जायें। (बहक़ी, शोअ़बुलईमान)

और मरवी कि फ़रमाते हैं सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम जो तुम से ख़ुदा का वासिता देकर मांगे उसे दो और अगर न देना चाहो तो उसका भी इख़्तियार है।(हकीम तिर्मिज़ी, नवादिरुलउसूल) और फ़रमाते हैं स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम अल्लाह के वासिते से सिवा जन्नत के कुछ न मांगा जाये।(अबूद दाऊद)

उलमा किराम फरमाते हैं कि अल्लाह अ़ज़्ज़ व जल्ल का वासिता देकर सिवा उख़रवी दीनी शय के कुछ न मांगा जाये और मांगने वाला अगर ख़ुदा का वासिता देकर मांगे और देने वाले का उस शय के देने में कोई दीनी या दुन्यवी हरज न हो तो मुस्तहब व मुअक्कद देना है वरना न दे।

इमाम अ़ब्दुल्लाह इब्ने मुबारक रद़ियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु फरमाते हैं कि जो ख़ुदा का वासिता दे कर मांगे मुझे यह ख़ुश आता है कि उसे कुछ न दिया जाये यानी ताकि यह आ़दत छोड़ दे।

(फ़ैज़ाने आला ह़ज़रत स 236)

तन्दुरुस्त का भीक मांगना और उसको भीक देना कैसा?

दौरे हाज़िर में बहुत से लोग भीक मांगते फिरते हैं जबकि वह त़ाक़तवर, सिहत मन्द, हट्टा कट्टा,नौ जवान, और काम करने के लाइक़ होते हैं और उनके पास ज़रूरत की चीज़ें भी मौजूद होती हैं मगर माल बढ़ाने की वजह से भीक मांगना नहीं छोड़ते हालाँकि ऐसे लोगों को भीक मांगना हराम है और मांगने पर भीक देना भी गुनाह है इसलिए कि कुरआने पाक में है। ولاتعاونوا علی الاثم والعدوان

तर्जमा : गुनाह और ज़्यादती पर बाहम मदद न दो यानी गुनाह और ज़ुल्म पर मदद न करो। (कंज़ुल ईमान)

हदीस عَنْ اِبِیْ هُرَیْرَةَقَالَ قَالَ رسول الله صلی الله تعالٰی علیه وسلم مَنْ سَاَلَ النَّاسَ اَمْوَالَهُمْ تَكَثُّرًا فَاِنَّمَا يَسْئَلُ جَمْرًا فَلْيَسْتَقِلَّ اَوْلِيَسْتَكْثِرْ(مسلم شریف)

तर्जमा : ह़ज़रत अबूहुरैरा रद़ियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु ने कहा कि हुज़ूर स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फरमाया जो शख़्स़ लोगों से सुवाल करे अपना माल बढ़ा ने के लिए वह गोया अंगारा मांगता है तो उस को इख़्तियार है बहुत मांगे या कम।

मुसलमानों को चाहिए कि ऐसे भीक मांगने वालों को नरमी के साथ समझायें कि उनकी भीक मांगने की आ़दत छूट जाये और वह कोई हलाल पेशा इख़्तियार करें और भीक देने वाले जो यह

ख़्याल करते हैं कि हमारे दरवाज़े पर आया हुआ शख़्स़ ख़ाली जा रहा है। यह क़ौम की ला इल्मी और ग़लत़ फहमी है।

एक मर्तबा ह़ज़रत उ़मर फ़ारूके़ आ़ज़म रद़ियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु ने एक साइल को मांगते हुये सुना तो आप ने अपने साथी से फरमाया कि मियाँ मैंने तुम से कहा था कि साइल को खाना दे दो उन्होंने कहा जी मैंने खाना दे दिया अमीरुलमोमिनीन ह़ज़रत उ़मर रद़ियल्लाहु तआ़ला अन्हु ने नज़र उठा कर देखा तो उसकी बग़ल के नीचे एक झोली रोटियों से भरी हुई थी उस वक़्त ह़ज़रत उमर रद़ियल्लाहु तआ़ला अन्हु ने उस से दरयाफ़्त किया कि तेरे अहल व अयाल (बाल बच्चे) हैं उस ने कहा नहीं ह़ज़रत उ़मर रद़ियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु ने फरमाया कि तू साइल नहीं है बल्कि सौदा गर है यह कह कर उसकी झोली ले ली और ज़रूरत मन्द ह़ज़रात के सामने ख़ाली कर दी और उस के दुर्रे(कोड़े मारे)

(अ़वारिफ़ुल मआ़रिफ़ स 306)

मुफ़्ती जलालुद्दीन साहिब अमजदी अ़लैहिर्रहमा फ़तावा रज़विया के हवाला से भीक मांगने वालों की क़िस्में इस त़रह बयान करते हैं कि''भीक मांगने वाले तीन त़रह के होते हैं एक मालदार,जैसे बहुत से क़ौम के फ़क़ीर,जोगी,और साधू, उन्हें भीक मांगना हराम और उन्हें देना भी हराम,ऐसे लोगों को देने से ज़कात नहीं अदा हो सकती दूसरे वह जो ह़क़ीक़त में फ़क़ीर हैं यानी निसाब के मालिक नहीं हैं मगर मज़बूत़ व तन्दुरुस्त हैं, कमाने की कुव्वत रखते हैं और भीक मांगना किसी ऐसी ज़रूरत के लिए नहीं जो उनकी त़ाक़त से बाहर हो,मज़दूरी वग़ैरा कोई काम नहीं करना चाहते मुफ़्त खाना खाने की आ़दत पड़ी है जिस के सबब भीक मांगते फिरते हैं ऐसे लोगों को भीक मांगना हराम है और जो उन्हें मांगने से मिले वह उन के लिए ख़बीस है हदीस शरीफ़ में है :

''न किसी मालदार के लिए स़दक़ा हलाल है और न किसी तवाना तन्दुरुस्त के लिए''ऐसे लोगों को भीक देना मना है कि गुनाह पर मदद करना है लोग अगर नहीं देंगे तो वह मेहनत मज़दूरी करने पर मजबूर होंगे قال الله تعالیٰ: وَلَا تَعَاوَنُوْا عَلَى الْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

तर्जमा :-''यानी गुनाह और ज़्यादती पर मदद न करो। (पारा 6) मगर ऐसे लोगों को देने से ज़कात अदा हो जायेगी जब कि और कोई शरई रुकावट न हो। इसलिए कि वह मालिके निसाब नहीं हैं। और भीक मांगने वालों की तीसरी क़िस्म वह है कि जो न माल रखते हैं और न कमाने की त़ाक़त रखते हैं या जितने की हाजत है उतना कमाने की त़ाक़त नहीं रखते। ऐसे लोगों को अपनी हाजत पूरी करने भर की भीक मांगना जाइज़ है और मांगने से जो कुछ मिले वह उन के लिए हलाल व तय्यिब है और यही लोग ज़कात के बेहतरीन मस़रफ़ हैं। उन्हें देना बहुत बड़ा सवाब है। और यही वह लोग हैं जिन्हें झिड़कना हराम है''

(फ़तावा फ़ैज़ुर्रसूल जि.अव्वल स 505)

कभी न भूलियेगाः

मअ़सूम होना नबी और फिरिश्ते का ख़ास़्स़ा है उन के सिवा कोई मअ़सूम नहीं इमामों को अंबिया की त़रह़ मअ़सूम समझना जैसे शीआ़ समझते हैं गुम्राही है और अकसर लोग बच्चों को मअ़सूम कह दिया करते हैं बच्चों पर इस लफ़्ज़ के बोलने से इज्तिनाब(परहेज़) करना चाहिए। (निज़ामे शरीअ़त)

जो चीज़ें आ़दतन मुहाल हैं उन को त़लब करने के लिए दुआ़ मांगने का मसअला

जो चीज़ें आ़दतन मुहाल हैं जैसे पहाड़ का सोना हो जाना या

बुढ़े का जवान हो जाना या जो चीज़ें शरअ़न मुहाल हैं जैसे मख़्लूक़ात में अंबिया और मलाइका के मा सिवा का मअ़सूम होना उनकी दुआ़ करना हराम है। मसलन कोई यह दुआ़ करे कि ऐ अल्लाह उस पहाड़ को सोना कर दे या मेरी बुढ़ी बीवी को जवान कर दे या मुझे मअ़सूम बना दे तो यह हराम है। ख़ुदाये पाक मज़कूरा दुआ़यें करने से बचाये। (निज़ामे शरीअ़त)

मज़ारात पर औ़रतों की ह़ाज़िरी

इमाम क़ाज़ी से इस्तिफ़्ता हुआ कि औ़रतों का मक़ाबिर को जाना जाइज़ है या नहीं। फरमाया ऐसी जगह जवाज़ व अदमे जवाज़ यानी जाइज़ व नाजाइज़ नहीं पूछते यह पूछो कि इस में औ़रत पर कितनी लअ़नत पड़ती है।

1- जब घर से कुबूर की त़रफ़ चलने का इरादा करती है अल्लाह अ़ज़्ज़ व जल्ल और फिरिश्तों की लअ़नत में होती है।

2- जब घर से बाहर निकलती है सब तरफ़ों से शैत़ान उसे घेर लेते हैं।

3- जब क़ब्र तक पहुँचती है मय्यित की रूह उस पर लअ़नत करती है।

4- जब वापस आती है अल्लाह अ़ज़्ज़ व जल्ल की लअ़नत में होती है।

औ़रतों का मज़ारात पर जाने की वजह से(औलिया अल्लाह को) तक्लीफ़ होती है और यही वजह है कि इन ह़ज़रात ने भी तवज्जोह कम फरमादी वरना पहले जिस क़द्र फुयूज़ होते थे वह अब कहाँ।

(अज़ इरशादाते आला ह़ज़रत)

चन्द अम्राज़ नेअ़मत हैं

जिस्म के हक़ में कभी कभी हलका बुख़ार,जुकाम दर्दे सर और इन के मिस्ल हलके अमराज़ बला नहीं नेअ़मत हैं बल्कि उन का न होना बला है। मरदाने ख़ुदा(अल्लाह वालों) पर अगर चालीस

दिन गुज़रे कि कोई इ़ल्लत(मरज़) क़िल्लत(तंगी) न पहुँचे तो इस्तिग़फ़ार व इनाबत (तवज्जोह) फरमाते हैं कि मबादा बाग (लगाम) ढीली न कर दी गई हो।

(अहसनुद्दुआ़) (बहवाला इरशादाते आला ह़ज़रत स 59)

माहे स़फ़र के तअ़ल्लुक़ से ग़लत फहमी का इज़ाला

माहे सफ़र को लोग मनहूस जानते हैं इस में शादी ब्याह नहीं करते लड़कियों को रुखसत नहीं करते और भी इस क़िस्म के काम करने से परहेज़ करते हैं और सफर करने से गुरेज़ करते हैं ख़ुसूसन माहे सफर की इब्तेदाई तेरह तारीख़ें बहुत ज़्यादा मनहूस मानी जाती हैं और उन को तेरह तेज़ी कहते हैं यह सब जहालत की बातें हैं,हदीस में फरमाया कि सफर कोई चीज़ नहीं यानी लोगों का उसे मनहूस समझना ग़लत़ है इसी त़रह ज़ी क़ादा के महीने को भी बहुत लोग बुरा जानते हैं और उसको ख़ाली का महीना कहते हैं यह भी ग़लत़ है और हर माह में 28,18,8,23,13,3 को मनहूस जानते हैं यह भी लग़्व बात है।(इस्लामी अख़्लाक़ व आदाब स 311)

कुरआन खुला हुआ छोड़ दिया तो शैतान नहीं पढ़ेगा

मुसलमानों में यह दस्तूर है कि कुरआन मजीद पढ़ते वक़्त अगर उठ कर कहीं जाते हैं तो बन्द कर देते हैं खुला हुआ छोड़कर नहीं जाते। यह अदब की बात है मगर बाज़ लोगों में यह मशहूर है कि अगर खुला हुआ छोड़ दिया जायेगा तो शैत़ान पढ़ेगा उसकी अस्ल नहीं मुम्किन है कि बच्चों को उस अदब की त़रफ़ तवज्जोह दिलाने के लिए ऐसा इख़्तिरा किया हो।

(बहारे शरीअ़त हिस्सा.सोलह स 119 क़ादिरी किताब घर बरेली) (इस्लामी अख़्लाक़ व आदाब स 147)

बोसीदा कुरआने पाक को क्या करना चाहिए?

आज कल यह देखा गया कि वह कुरआन मजीद जो फट जाये और तिलावत के क़ाबिल न रहे लोग उस को क़ब्र के अंदर रख कर मिट्टी से दबा देते हैं या कुरआन को कुंवाँ में फेंक दिया करते हैं ऐसा मुसलमानों को क़तअन नहीं करना चाहिए इसलिए कि जो कुरआन कुंवाँ में डाला गया तो ज़ाहिर है कि कुंवाँ गहरा होता है और डालते वक़्त उस को ऊपर से फेंकना पड़ेगा और अगर कुंवाँ गहरा नहीं है तो लोग उस पर कूड़ा कर कट डालेंगे और चरिन्द व परिन्द का भी गुज़र होगा लिहाज़ा इन सूरतों में कुरआन की बे अदबी है फतावा आलमगीरी अ़रबी जि.5 में है''कुरआन मजीद पुराना बोसीदा हो गया इस क़ाबिल न रहा कि उस में तिलावत की जाये और यह अंदेशा है कि उस के औराक़ मुंतशिर होकर ज़ाये होंगे तो किसी पाक कपड़े में लपेट कर ऐहतेयात की जगह दफ़्न कर दिया जाये और दफ़्न करने में उसके लिए लहद बनाई जाये ताकि उस पर मिट्टी न पड़े या उस पर तख़्ता लगाकर छत बना कर मिट्टी डालें कि उस पर मिट्टी न पड़े मुस्हफ़ शरीफ़ बोसीदा हो जाये तो उसको जलाया न जाये''।

और शैख़ुल इस्लाम वलमुस्लेमीन हुज़ूर आला ह़ज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ाँ अलैहिर्रहमा वर्रिज़वान बोसीदा कुरआन शरीफ़ के तअ़ल्लुक़ से एक सुवाल के जवाब में फरमाते हैं।

मुस्ह़फ़ करीम का ऐहराक़ जाइज़ नहीं نَصَّ عَلَيْهِ فِي الدُّرِّ الْمُخْتَار बल्कि हिफ़ाज़त की जगह दफ़्न किया जाये जहाँ पाँव न पड़े और अगर थोड़े औराक़ हों तो औला यह है कि मुसलमानों के बच्चों को उन के तावीज़ तक़सीम कर दिये जायें।

(फतावा रज़विया जि 9 स 72)

नोट : मेरी अपनी राये यह है कि जिस जगह पर कुरआन शरीफ़ दफ़्न हो वहाँ पर एक तख़्ती लगा दी जाये ताकि अदब मलहूज़ रहे।

शहादत नामा पढ़ना हराम है

शहादत नामे नज़्म या नस्र जो आज कल अ़वाम में राइज हैं अकसर रिवायाते बातिला व बेसरोपा से म्मलू और अकाज़ीबे मौज़ू पर मुश्तमिल हैं यानी झूटी और मौज़ू बातों पर मुश्तमिल हैं।

ऐसे बयान का पढ़ना सुनना वह शहादत नामा हो ख़्वाह कुछ और मज्लिसे मीलाद मुबारक में हो ख़्वाह कहीं और मुतलक़न हराम व नाजाइज़ है ख़ुसूसन जब कि वह बयान ऐसे ख़ुराफात को मुतज़म्मिन हो जिस से अ़वाम के अ़क़ाइद में ज़लल(कमी) आये कि फिर तो और भी ज़्यादा ज़हरे क़ातिल है ऐसे ही वुजूह पर नज़र फरमा कर इमाम हुज्जतुल इस्लाम मुहम्मद ग़ज़ाली कुद्दिसा सिर्रुहु वग़ैरा अइम्मा किराम ने हुक्म फ़रमाया कि शहादत नामा पढ़ना हराम है। (फतावा रज़विया जि. नो स 62)

नज़्म में ''नूरनामा'' नाम की किताब का पढ़ना जाइज़ नहीं

एक लम्बे ज़माने से नज़्म में ''नूर नामा'' नाम की एक किताब अ़वाम में बहुत पसन्दीदा है जिसे ख़ास कर औरतें सवाब की नियत से पढ़ती हैं और किसी परेशानी के आने के वक़्त नूर नामा पढ़ने की मिन्नत भी मानती हैं,औरतों को चाहिए कि नूर नामा नाम की किताब को न पढ़ें इसलिए कि ''नूरनामा''में जो रिवायत लिखी हुई है वह बे अस्ल है इस किताब का पढ़ना जाइज़ नहीं जैसा कि आला ह़ज़रत रदि़यल्लाहु तआ़ला अ़न्हु फ़रमाते हैं

''रिसाला मन्ज़ूम हिन्दिया बनाम नूर नामा मशहूर अस्त रिवायतश बे अस्ल अस्त ख़्वान्दनश रवा नीस्त चेह जाये सवाब'' वल्लाहु तआ़ला आ़लमु। (फतावा फैज़ुर्रसूल जि. अव्वल स 588)

तर्जमाः- वह रिसाला जो हिन्दुस्तान में बनाम नूर नामा मशहूर है उसकी रिवायत बे अस्ल है उसका पढ़ना जाइज़ नहीं है तो सवाब कहाँ? (मुअल्लिफ़)

इंतेबाहः जिस किताब का पढ़ना जाइज़ नहीं तो सवाब कहाँ मिलेगा और मिन्नत मानना भी फ़ुज़ूल और जहालत है। अल्लाह तौफ़ीक़ बख़्शे।

ज़र्द (पीला) जूता पहनना

''पसन्दीदा है। मौलाये मुश्किल कुशा ह़ज़रत अली मुर्तदा रद़ियल्लाहु तआ़ला अन्हु फरमाते हैं जो ज़र्द रंग का जूता पहनेगा उसके अफकार (परेशानियाँ) में कमी होगी'' (निज़ामे शरीअ़त)

काला जूता पहनने का नुक़्सान

दौरे ह़ाज़िर में काला जूता और काली चप्पल का इस्तेमाल बहुत हो रहा है जो कि अज़ रूये शरअ़''नापसन्दीदा है जलीलुलक़द्र सहाबी अ़ब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर और इमाम जलील मुहम्मद बिन कसीर रद़ियल्लाहु तआ़ला अन्हुमा स्याह जूता पहनने से मना फ़रमाते थे इसलिए कि उस से अफ़कार पैदा होते हैं''(निज़ामे शरीअ़त स 36)

जांघिया पहनने से बचो

इस ज़माने में बहुत से मुसलमान पाजामा की जगह जांघिया (वह पाजामा या नेकर जो घुटनों से ऊपर हो) पहनने लगे हैं उसके नाजाइज़ होने में किया कलाम कि घुटने का खुला होना हराम है और बहुत लोगों के कुरते की आस्तीनें कोहनी के ऊपर होती हैं

यह भी ख़िलाफ़े सुन्नत है और यह दोनों कपड़े नस़ारा की तक़्लीद में पहने जाते हैं इस चीज़ ने उनकी क़बाहत में और इज़ाफ़ा कर दिया अल्लाह तआ़ला मुसलमानों की आँखें खोले कि वह कुफ़्फ़ार की तक़्लीद और उनकी वज़अ़ क़तअ़ से बचें।

(इस्लामी अख़्लाक़ व आदाब स 63 बहारे शरीअ़त जि. सोम स. 409 ता 410, मकतबतुल मदीना)

धोबी के यहाँ खाने का हुक्म

धोबी के यहाँ खाने में कोई हरज नहीं यह जो जाहिलों में मशहूर है कि धोबी के यहाँ खाना नापाक है मह़ज़ बात़िल है यानी खाने या पीने में कोई हरज़ नहीं। (अलमलफ़ूज़ अव्वल स 42)

मंगल के दिन कपड़ा सिलने के लिए काटना कैसा है?

कपड़े के इस्तेमाल या दरज़ी को देने के लिए कोई ख़ुसूस़ियत नहीं हाँ मंगल के दिन कपड़ा क़तअ़ न किया जाये मौला अ़ली कर्रमल्लाहु तआ़ला वजहहू ने फरमाया जो कपड़ा मंगल के रोज़ क़तअ़ किया जाये या जले या डूबे या चोरी हो जाये। वल्लाहु तआ़ला आ़लमु। (फ़तावा रज़विया जि नो स 66)

बुध के रोज़ नाखुन तराशना कैसा है?

एक हदीसे ज़ईफ़ में बुध के दिन नाख़ुन करतवाने को आया कि मूरिसे बर्स होता है। बाज़ उलमा ने कतरवाये किसी ने बरबिनाये हदीस मना किया फरमाया हदीस सही नहीं फौरन मुब्तला हो गये ख़्वाब में ज़ियारते जमाले बे मिसाल हुज़ूर पुर नूर महबूबे ज़िलजलाल स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम से मुशर्रफ़ हुये शाफ़ी काफी सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम के हुज़ूर अपने हाल की शिकायत अ़र्ज़ की हुज़ूर वाला स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि

मकड़ियों का जाला साफ़ करने का हुक्म

हज़रत अली मुर्तदा रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से मरवी है कि आप ने फरमाया अपने घरों से मकड़ियों के जाले दूर करो यह मुफ़्लिसी और नादारी (मोहताजी) का बाइस होते हैं।(ख़ज़ाइनुल इरफान)

खुत्बा की अज़ान का हुक्म

इस ज़माने में बाज़ जगहों पर यह देखा गया है कि कुछ ना समझ और अन पढ़ क़िस्म के लोग हट धरमी की बिना पर खुत्बा की अज़ान मस्जिद के अंदर पढ़ते हैं जब कि यह सरासर ग़लत़ और महज़ जहालत है शरीअ़ते मुतह्हरा में तो है खुत्बा की अज़ान मस्जिद के अंदर पढ़ना बिदअ़ते سَيِّئَه है और ख़ारिज में पढ़ना सुन्नत जैसा कि ह़दीसे पाक में है कि ह़ज़रते साइब बिन यज़ीद रद़ियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रिवायत है कि उन्होंने फरमाया कि जब रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम जुमा के दिन मिंबर पर तशरीफ़ रखते तो हुज़ूर के सामने दरवाज़े पर अज़ान होती और ऐसा ही ह़ज़रते अबूबक्र और ह़ज़रते उ़मर रद़ियल्लाहु तआ़ला अ़न्हुमा के ज़माना में भी राइज था।

(अबूदाऊद शरीफ़ जि.अव्वल स 162)

हदीस शरीफ़ से सरीह त़ौर पर मालूम हो गया कि खुत्बा की अज़ान मस्जिद के बाहर पढ़ना रसूले पाक स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम की सुन्नत और ह़ज़रते अबूबक्र व उ़मर रद़ियल्लाहु तआ़ला अ़न्हुमा की भी सुन्नत है।

रात में आइना देखना मना नहीं

रात को आइना देखने की कोई मुमानअ़त नहीं बाज़ अ़वाम

वसल्लम ने फ़रमाया तुम ने न सुना था कि हम ने उस से नहीं फ़रमाई है अ़र्ज़ की हदीस मेरे नज़दीक सिहत को न पहुँची थी इरशाद हुआ तुम्हें इतना काफी था कि हदीस हमारे नामे पाक से तुम्हारे कान तक पहुँची यह फरमा कर हुज़ूर مُبْرِئُ الْاَكْمَهِ وَ الْاَبْرَصِ مُحْيِ الْمَوْتٰى ﷺ ने अपना दस्ते अक़दस कि पनाहे दो जहाँ व दस्तगीरे बे कसाँ है उन के बदन पर लगा दिया फौरन अच्छे हो गये और उसी वक़्त तौबा की कि अब कभी हदीस सुन कर मुख़ालफ़त न करूंगा। (फ़तावा रज़विया जि.दोम स 464)

बोली वाली कमेटी डालना कैसा है?

मौजूदा दौर में कुछ अर्सा से बोली वाली कमेटी जिसे कुछ अ़लाक़ों में लॉटरी और बाज़ हिस्सों में बी-सी-बोला जाता है जिसे कुछ लोग मिल जुल कर डालते हैं और उस कमेटी के मुश्तरक अफराद में जिस को ज़्यादा ज़रूरत होती है तो वह घाटे में कमेटी से रक़म उठा लेता है और बची हुई रक़म को कमेटी के लोग आपस में बांट लेते हैं कमेटी वालों में किसी को फायदा ज़्यादा होता है कुछ को कम। यह बुराई मुसलमानों में बहुत तेज़ी के साथ फैल रही है यह बुराई भी सूद ही की त़रह़ है और इस से बचना मुसलमानों को फ़र्ज़ और सवाब है।

बोली वाली कमेटी के तअ़ल्लुक़ से फ़तावा मरकज़ी दारुलइफ़ता में स 112 पर है कि''यह त़रीक़ा जाइज़ नहीं है और यह भी सूद ही की त़रह़ है और इसे मुनाफ़ा कह कर लेना आपस में तक़्सीम कर लेना नाजाइज़ व गुनाह और यह सूद है वह लोग तौबा करें वल्लाहु तआ़ला अ़ालमु''

अल्लाह तआ़ला मुसलमानों को हिदायत फरमाये!

का ख़्याल है कि उस से मुंह पर झाइयाँ पड़ती हैं और उसका भी कोई सुबूत न शरअन है न तिब्बन न तजरेबतन(यह बात न तो तजरबे से साबित है और न ही शरीअ़त या मेडिकल साइंस में इस बात का कोई सुबूत है) और औ़रत कि अपने शौहर के सिंगार के वासिते आईना देखे तो सवाबे अ़ज़ीम की मुस्तहक़ है सवाब की बात बे अस्ल ख़्यालात की बिना पर मना नहीं हो सकती। वल्लाहु तआ़ला आ़लमु। (फ़तावा रज़विया जि. नो स 119)

हैज़ वाली औ़रत के हाथ का बना हुआ खाना और उस को अपने साथ खिलाना कैसा है?

उस के हाथ का पका हुआ खाना जाइज़ उसे अपने साथ खिलाना भी जाइज़ इन बातों से ऐहतेराज़(परहेज़)यहूद व मजूस का मसअला है।

सरकार स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम अपना सरे मुबारक धुलवाने के लिए उम्मुलमोमिनीन ह़ज़रते आ़इशा सि़द्दीक़ा रद़ियल्लाहु तआ़ला अ़न्हा के क़रीब करते थे उस वक़्त आप घर में होतीं और नबी करीम स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम मस्जिद में मोअ़्तकिफ़ होते उम्मुमोमिनीन अ़र्ज़ करतीं''मैं हाइज़ा हूँ''आप स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम फरमाते हैज़ तुम्हारे हाथ में तो नहीं है। वल्लाहु तआ़ला आ़लमु

(अज़ मुंतख़ब मसाइल (फतावा रज़विया)

निफ़ास वाली औ़रतों को बुरा समझना ग़लत़

आज कल अ़वाम जाहिलों, औ़रतों में यह बात बहुत मशहूर है कि वह औ़रत जिस के बच्चा पैदा हो ऐसी औ़रत को उस वक़्त

तक बुरा समझा जाता है जब तक कि चिल्लाह न हो जाये।

और ज़च्चा यानी ऐसी औ़रत के साथ खाना खाना भी बुरा समझा जाता है और मर्द अपनी बीवियों के साथ निफ़ास (वह ख़ून जो औ़रत को बच्चा की पैदाइश के बाद आये) के दिनों में उठने लेटने बैठने और प्यार करने को भी बुरा समझते हैं।

जब कि यह तमाम गढ़ी हुई बातें महज़ ग़लत़ और बे बुन्याद हैं इस्लाम में तो यह है कि ज़्यादा से ज़्यादा निफ़ास का ज़माना चालीस दिन रात मुकम्मल है न यह कि चालीस दिन से कम का ख़ून होता ही नहीं शरीअ़त में निफ़ास की कमी की कोई मुद्दत मुक़र्रर नहीं अगर आधा से ज़्यादा बच्चा निकलने के बाद एक आन भी ख़ून आया और ख़ून बन्द हो गया। तो औ़रत उसी वक़्त पाक हो गई नहाये और नमाज़ पढ़े और रोज़े रखे।

''ख़ून बन्द होने के बाद ना ह़क़ नापाक रह कर नमाज़ रोज़ा छोड़कर सख़्त कबीरा गुनाह में गरिफ़्तार होती हैं मर्दों पर फ़र्ज़ है कि उन्हें उस से बाज़ रखें'' (इरफाने शरीअ़त हिस़्सा दोम स 40)

इस्लाम में तो यह है कि अगर एक आन ख़ून आने के बाद से चालीस दिन तक ख़ून नहीं आया''तो नमाज़ रोज़े सब सही रहेंगे चूड़ियाँ,चारपाई, मकान, सब पाक हैं, फ़क़त यानी सि़र्फ वही चीज़ नापाक होगी जिसे ख़ून लग जायेगा बग़ैर उस के यानी बग़ैर ख़ून लगे इन चीज़ों को नापाक समझ लेना हिन्दूओं का मसअला है''(इरफाने शरीअ़त दोम स 40)

और फतावा मरकज़ी दारुलइफ़्ता स 122 पर है :

कि निफास वाली के साथ खाना खाना जाइज़ है और यह ख़्याले फासिदा यहूदियों का है इस्लाम में छूत छात नहीं है। वल्लाहु तआ़ला आ़लमु।

‘‘और शौहर का अपनी बीवी से जो निफ़ास की हालत में हो उसके साथ लेटने बैठने और बोसा लेने में भी कोई ह़रज नहीं’’
(क़ानूने शरीअ़त हिस्सा अव्वल)

औ़रत का हमल चार महीना पूरा होने पर साकित़ करना हराम

बच्चा में चार महीना में जान पड़ जाती है और जान पड़ जाने के बाद हमल साकित़ करना ह़राम है,और ऐसा करने वाला गोया कि क़ातिल है और जान पड़ने से पहले अगर ज़रूरत हो तो ह़रज नहीं। वहोवा तआ़ला आ़लमु बिस्सवाब। (फतावा बरकातिया स 252)

इद्दत की तारीफ़

निकाह ज़ाइल होने या शुबह निकाह के बाद औ़रत का दूसरे निकाह से मम्नूअ़ होना और एक ज़माना तक इंतेज़ार करना इद्दत है। (तारीफ़ात)

ह़ाइज़ा ग़ैर हामिला औ़रत की इद्दते त़लाक़

जिन औ़रतों को हैज़ आता है और वह हालते हमल में नहीं हैं तो उनकी इद्दते त़लाक़ तीन हैज़ है। चाहे तीन हैज़ तीन चार साल के बाद आयें या आठ दस साल के बाद हाँ अगर सिन्ने अयास की उ़मर तक तीन हैज़ न आयें तो उसकी इद्दत अ़रबी महीना से तीन माह है।

और अ़वाम में जो मशहूर है कि त़लाक़ वाली औ़रत की इद्दत तीन महीना तेरह दिन है तो यह बिल्कुल ग़लत़ और बे बुन्याद है जिसकी शरीअ़त में कोई अस़्ल नहीं पारा दोम रुकू बारह में है। وَالْمُطَلَّقٰتُ يَتَرَبَّصْنَ بِاَنْفُسِهِنَّ ثَلٰثَةَ قُرُوْٓءٍ

तर्जमा : यानी त़लाक़ वाली औ़रतें अपने आप को तीन हैज़

तक निकाह से रोके रहें। व हुवा तआ़ला आ़लमु बिस्सवाब।

ग़ैर ह़ामिला औ़रत की इद्दते वफ़ात

औ़रत अगर ह़ामिला न हो और उस के शौहर की मौत हो जाये तो उसकी इद्दत चार महीना दस दिन है

وَالَّذِيْنَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُوْنَ اَزْوَاجًا يَّتَرَبَّصْنَ بِاَنْفُسِهِنَّ اَرْبَعَةَ اَشْهُرٍ وَّعَشْرًا

तर्जमा : और तुम में जो मरें और बीबियाँ छोड़ें वह चार महीने दस दिन अपने आप को रोके रहें। (कंज़ुल ईमान)

ह़ामिला औ़रत की इद्दते त़लाक़ व वफ़ात

ह़ामिला औ़रत की इद्दत वज़ऐ हमल (बच्चा पैदा होना) है ख़्वाह वह बेवा हो या त़लाक़ वाली हो कुरआने पाक में है وَاُولَاتُ الْاَحْمَالِ اَجَلُهُنَّ اَنْ يَّضَعْنَ حَمْلَهُنَّ۔

तर्जमा :और ह़मल वालियों की मीआ़द यह है कि वह अपना ह़मल जन लें। (कंज़ुल ईमान)

ख़ुलास़ा : मौत या त़लाक़ के बाद जिस वक़्त बच्चे की पैदाइश हो जाये इद्दत पूरी हो जायेगी अगर्चे मौत या त़लाक़ के एक मिनट बाद ही बच्चा पैदा हो जाये इस शर्त़ के साथ बच्चा के आ़ज़ा भी बन चुके हों तो इद्दत पूरी होगी वरना नहीं और अगर मौत के बाद हमल क़रार पाया तो इद्दत वज़ऐ हमल से न होगी बल्कि दिनों से होगी चार महीना दस दिन यानी एक सौ तीस दिन मुकम्मल।

त़लाक़ वाली मदख़ूला ग़ैर ह़ाइज़ा औ़रत की इद्दत

त़लाक़ वाली मदख़ूला औ़रत जिस से सोहबत कर चुका है अगर नाबालिग़ा या आइसा यानी वह लड़की जिसे हैज़ की इब्तेदा

न हुई हो या बूढ़ी औ़रत हो जिसे हैज़ आना बन्द हो गया हो तो उस की इद्दत तीन महीना है सूरए तलाक़ में है।

وَالّٰٓـِٔیْ یَئِسْنَ مِنَ الْمَحِیْضِ مِنْ نِّسَآئِکُمْ اِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلٰثَةُ اَشْهُرٍ وَّالّٰٓـِٔیْ لَمْ یَحِضْنَ۔

तर्जमा :और तुम्हारी औ़रतों में जिन्हें हैज़ की उम्मीद न रही अगर तुम्हें कुछ शक हो तो उनकी इद्दत तीन महीने है और उनकी जिन्हें अभी हैज़ न आया। (कंज़ुल ईमान)

मुतल्लक़ा गै़र मदख़ूला औ़रत की इद्दत

ख़लवते सहीहा (मर्द व औरत की ऐसी तन्हाई कि कोई चीज़ हम बिस्तरी में रुकावट न हो) के पहले त़लाक़ दी गई तो उस के लिए इद्दत नहीं बाद त़लाक़ वह फौरन दूसरा निकाह कर सकती है।

कुरआने अ़ज़ीम में है

یٰٓاَیُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا نَکَحْتُمُ الْمُؤْمِنٰتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوْهُنَّ مِنْ قَبْلِ اَنْ تَمَسُّوْهُنَّ فَمَا لَکُمْ عَلَیْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّوْنَهَا۔

तर्जमा : ऐ ईमान वालो जब तुम मुसलमान औ़रतों से निकाह करो फिर उन्हें बे हाथ लगाये छोड़ दो तो तुम्हारे लिए कुछ इद्दत नहीं जिसे गिनो। (कंज़ुलईमान)

फतहुलक़दीर में है: اَلطَّلَاقُ قَبْلَ الدُّخُوْلِ لَاتَجِبُ فِیْهِ الْعِدَّةُ۔ وهو اعلم

तर्जमा : दुख़ूल से पहले त़लाक़ हो जाने पर औ़रत के लिए इद्दत वाजिब नहीं है।

(मुअल्लिफ़)(माख़ूज़ अज़ फतावा बरकातिया स 163 ता 165)

हाथ दिखा कर तक़दीर का भला बुरा दरयाफ़्त करना कैसा?

काहिनों और जोतिशियों से हाथ दिखा कर तक़दीर का भला बुरा दरयाफ़्त करना अगर बत़ौरे ऐअ़्तेक़ाद हो यानी जो यह बतायें ह़क़ है तो कुफ़्र ख़ालिस़ है उसको हदीस में फ़रमाया।

فقد کَفَرَ بِمَا نُزِّلَ علی مُحَمَّدٍ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم

और अगर बत़ौर ऐअ़्तेक़ाद व तयक़्कुन न हो मगर मेल व रग़बत के साथ हो तो गुनाहे कबीरा है उसी को हदीस में फरमाया لَمْ یَقْبَلِ اللّٰهُ لَهٗ صَلٰوةً اَرْبَعِیْنَ صَبَاحًا यानी अल्लाह तआ़ला चालीस दिन तक उसकी नमाज़ क़बूल न फरमायेगा और अगर बत़ौरे हज़्ल व इस्तिहज़ा हो तो अ़बस व मकरूह व हमाक़त है हाँ अगर बक़स़दे ताजीज़ हो तो हरज नहीं वल्लाहु तआ़ला आ़लमु

(फ़तावा रज़विया जि.9 स 71)

अपने बाप के सिवा दूसरे की त़रफ़ अपना नस्ब मंसूब करना कैसा?

फ़तावा रज़विया जि. 9 स 205 पर है अपने बाप के सिवा दूसरे को अपना बाप बताने के लिए हदीसे सही में फरमाया है कि उस पर अल्लाह और फिरिश्तों और आदमियों की लअ़्नत है अल्लाह न उसका फ़र्ज़ क़बूल करे न नफ़्ल। वल्लाहु तआ़ला आ़लमु।

गै़र महरम मर्द के हाथ में हाथ देकर औ़रतों को चूड़ी पहनना हराम है

मौजूदा दौर में उ़मूमन पूरे हिन्दुस्तान में औ़रतों का गै़र मर्दो के हाथ में हाथ देकर चूड़ी पहनने का रवाज बहुत तेज़ी के साथ बढ़

रहा है जो कि फितना और मौत है। और औ़रतों का यह कहना कि हम तो पर्दा में हाथ देकर चूड़ी पहनते हैं इसी त़रह़ के एक सुवाल के जवाब में मुफ़्ती जलालुद्दीन अमजदी अलैहिर्रहमा फतावा रज़विया का हवाला देते हुये फरमाते हैं :

''बिला पर्दा हो या पर्दा से बहर सूरत गै़र मर्द के हाथ में हाथ दे कर औ़रतों को चूड़ी पहनना हराम है। आला ह़ज़रत इमाम अहमद रज़ा बरेलवी अ़लैहिर्रहमा वर्रिज़्वान इसी किस्म के एक सुवाल का जवाब देते हुये तहरीर फरमाते हैं कि ह़राम,ह़राम, हराम, है। हाथ दिखाना गै़र मर्द को हराम है उसके हाथ में हाथ देना हराम है जो मर्द अपनी औ़रतों के साथ उसे जाइज़ रखते हैं दय्यूस(भड़वा) हैं'' وهو سبحانه وتعالیٰ اعلم (फ़तावा बरकातिया स251)

जिस्म से उतरे हुये कपड़े का हुक्म

इब्ने अ़साकिर ने तारीख़ में जाबिर बिन अ़ब्दुल्लाह रद़ियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रिवायत की है कि रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम फरमाते हैं।

الشياطِيْنُ يَسْتَعْمِلُوْنَ ثِيَابَكُمْ فَاِذَا نَزَعَ اَحَدُكُمْ ثَوْبَهٗ فليطوه حَتّٰى تَرْجِعَ اِلَيْهَا اَنْفَاسُهَا فَاِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَلْبَسُ ثَوْباً مَطْوِياً۔

तर्जमा : शैत़ान तुम्हारे कपड़े अपने इस्तेमाल में लाते हैं तो कपड़ा उतार कर तह कर दिया करो कि उस का दम रास्त हो जाये कि शैत़ान तह किए कपड़े को नहीं पहनता मुअ़जम औसत त़िबरानी के लफ़्ज़ यह हैं।

اُطْوُوْا ثِيَابَكُمْ حَتّٰى تَرْجِعَ اِلَيْهَا اَرْوَاحُهَا فَاِنَّ الشَّيْطَانَ اِذَا وَجَدَ ثَوْباً مَطْوِيًّا لَمْ يَلْبَسْهُ وَاِنْ وَّجَدَهٗ مَنْشُوْراً لَبِسَهٗ۔

तर्जमा : कपड़े लपेट दिया करो कि उनकी जान में जान आ जाये इसलिए कि शैत़ान जिस कपड़े को लिपटा हुआ देखता है उसे नहीं पहनता और जिसे फैला हुआ पाता है उसे पहनता है इब्ने अबिद्दुन्या ने कै़स इब्ने हाज़िम से रिवायत की قَالَ مَا مِنْ فِرَاشٍ يَكُوْنُ مَفْرُوْشاً لَا يَنَامُ عَلَيْهِ اَحَدٌ اِلَّا نَامَ عَلَيْهِ الشَّيْطَانُ

तर्जमा :जहाँ कोई बिछोना बिछा हो जिस पर कोई सोता न हो उस पर शैत़ान सोता है वल्लाहु तआ़ला आ़लमु।

(फ़तावा रज़विया जि. सोम स. 75)

मालूम हुआ :वह कपड़ा जो बगै़र तह किए रखदिया जाये उस का इस्तेमाल शैत़ान करता है और आज कल ज़्यादा तर मुसलमान कपड़ा बगै़र तह किए डाल देते हैं ऐसे लोगों को दर्स हासिल करना चाहिए और उन लोगों को भी सबक़ हासिल करना चाहिए जो खूटी या इंगल में लटका देते हैं।

ख़ुदाये अ़ज़्ज़ व जल्ल मुसलमानों को शरीअ़ते मुस़्तफ़ा स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम का पक्का सच्चा पाबन्द बनाये आमीन।

फ़िक्रे इमरोज़

(आज की फ़िक्र)

इंसान के लिए तीन मदरसे बहुत अहम हैं और इन तीनों के इख़्तिलात़ व तअस्सुर से ही इंसान की ज़हनी व अमली शख़्सियत तय्यार होती है।

1- माँ बाप की गोद और घर का माहौल

2- गिर्द व पेश यानी क़ौम क़बीला और मुल्क का माहौल।

3- दर्स गाह या उस्ताज़ की बारगाह।

दीने इस्लाम में इन तीनों मदरसों को पाक व स़ाफ़ रखने की वस़ीयत की गई है ताकि मुबारक नस्ल पैदा हो।

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قُوْۤا اَنْفُسَكُمْ وَاَهْلِيْكُمْ نَارًا وَّقُوْدُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ (پاره ۲۸)

ऐ ईमान वालो ख़ुद को और अपने ज़ेरे इंतेज़ाम को ऐसी आग से बचाओ जिस का ईंधन लोग और पत्थर हैं।

जलालैन में है بِالْحَمْلِ عَلٰى طَاعَةِ اللّٰهِ

यानी ख़ुदा की फरमाँ बरदारी पर शौक़ दिला कर अमल कराकर और यह न होगा मगर माहौल को पाक कर के।

(माख़ूज़ माह नामा अशरफ़िया 2004 ई)

मोमिन की मुसाफिराना ज़िंदगी

यह शहादत गहे उलफत में क़दम रखना है
लोग आसान समझते हैं मुसलमाँ होना

इंसान अशरफ़ुल मख़लूक़ात है। इसलिए उसका मक़स़द भी हर शय से अशरफ़ व अ़ाला और बरतर व बाला होना चाहिए। इस्लाम का बड़ा ऐहसान है कि इंसान का मक़सद समझा दिया और बता दिया कि यह इंसान का मक़सूदे असली स़िर्फ़ ज़ाते इलाही और ख़ुशनूदिए रब्बानी है। इंसानी ज़िंदगी और ज़िंदगी के तमाम मराहिल व मनाज़िल इसी लिए हैं कि वह अपने मालिक व मौला तआ़ला की त़लब में कोशाँ और उसकी मर्ज़ी का जोयाँ रहे इंसान ग़रीब हो,या अमीर,बादशाह हो, या फ़क़ीर,तख़्त नशीं हो,या फ़र्शे ख़ाक पर बैठने वाला अगर ख़ुदावन्द क़ुद्दूस की याद में है कामयाब है अगर उस की याद से ग़ाफ़िल है नाकाम है।

इस ग़फ़लत को दूर करने के लिए अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम तशरीफ़ लाये और मख़लूक़ की रहनुमाई फरमाई ख़ुस़ूस़न सय्यिदुल अंबिया सरवरे आलम जनाबे मुहम्मदुर्रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने अजीब अजीब हकीमाना अंदाज़ और निराले निराले उ़नवाने बयान से हिदायत फरमाई, फरमा दिया दुन्या में मुसाफिराना ज़िंदगी बसर करो। हदीस शरीफ़ में है ह़ज़रते अब्दुल्लाह इब्ने उ़मर रदि़यल्लाहु तआ़ला अन्हुमा ने कहा रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने मेरे दोनों कंधे पकड़े और फरमाया कि दुन्या में मुसाफिरों की त़रह़ रहो बल्कि चलते मुसाफिर की त़रह। (बुख़ारी शरीफ़)

फ़ायदाः तालीम का यह त़रीक़ा कि कंधे पकड़ कर तालीम

दी इस हदीस के मज़मून की ख़ुसूसियत व अहमियत पर दलील है उस अम्र की त़रफ़ इशारा है कि ऐ मुसलमान तेरे दोशे हिम्मत पर बारे अमानत है तुझे याद रखना चाहिए तेरा ही क़ौल है।

आस्माँ बारे अमानत नतवांअस्त

क़ुरआ़ फाल बनाम मन दीवाना ज़वन्द

(माहनामा अशरफ़िया 2004 ई)

अनमोल हीरे

1- बग़ैर किसी सख़्त मजबूरी के रात को ऐसे वक़्त घर से बाहर न निकले कि लोग सो गये हैं,पाँव की पहचल रास्तों से मौक़ूफ़ हो गई हो। सही हदीस में इस से मुमानअ़त फरमाई कि इस वक़्त बलायें मुंतशिर होती हैं,और अलमलफ़ूज़ में स 349 पर है आफ़ताब के ग़ुरूब होने के बाद चाँद जब रोशन होता है उस वक़्त सरकश व मुतमर्रिद जिन ज़मीन पर मुंतशिर होते हैं इसी वास्ते़ हदीस में आया है अपने बच्चों को रोके रहो मग़्रिब से इशा तक बहुत लोग इस बात को बहादुरी समझते हैं कि जब लोगों की पहचल मौक़ूफ़ हो उस वक़्त चलें फिरें,यह जहालत है हदीस में है जब पहचल मौक़ूफ़ हो बाहर न निकलो और अकेले मकान में तनहा सोने को भी लोग फख्र समझते हैं हालांकि उस को भी मना फ़रमाया है उसके बाद कुछ वाक़िआ़त मार गुज़ीदा अशख़ास़ के ज़िक्र हुये इस पर इरशाद फरमाया हदीस में है أَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ۔ जो सुब्हो को पढ़ लेगा तमाम दिन ज़हरीले जानवरों से महफ़ूज़ रहेगा,और जो शाम को पढ़लेगा तो सुबहो तक।

2- रात को दरवाज़ा खुला न छोड़े और न बग़ैर बिस्मिल्लाह कहे बन्द करें। कि शैतान उसे खोल सकता है।

3- खाना खा कर बेहाथ धोए न सोये कि शैतान चाटता है और बर्स का अंदेशा है।

4- गुस्ल ख़ाना में पेशाब न करे कि उस से वसवसा पैदा होता है।

5- छज्जे के क़रीब न सोये इस हाल में कि छत पर रोक न हो गिर पड़ने का अंदेशा है।

6- तन्हा सफर न करे कि फ़ुस्साक़(बुरे)इंस व जिन से मज़र्रत (तक्लीफ) पहुँचती है और हर काम में दिक़्क़त (परेशानी) पड़ती है।

7- बवक़्त जिमा(हम बिस्तिरी) शरम गाहे ज़न की त़रफ़ निगाह न करे कि मआ़ज़ल्लाह अपने या बच्चे या दिल के अंधे होने का बाइस है। और न इस वक़्त बातें करे कि बच्चे को गोंगे होने का अंदेशा है।

8- फासिक़ों, फाजिरों, बदवज़ओं, बद मज़हबों के पास नशिस्त व बरख़ास्त यानी उठना, बैठना न करे कि अगर बिलफ़र्ज़ सोहबते बद के असर से बचा तो मुत्तहम (बदनाम) ज़रूर हो जायेगा।

(इरशादाते आला ह़ज़रत स 58)

नक़्शा नअ़्ले मुबारक की आज़माई हुई बरकात

उलमाए किराम फरमाते हैं :

1- जो शख़्स़ बनियते तबर्रुक उसे अपने पास रखे ज़ालिमों के ज़ुल्म और दुश्मनों के ग़ल्बा से अमान पाये।

2- वह नक़्शा मुबारक हर शैत़ान सरकश और हर हासिद के चश्मे ज़ख़्म से उस की पनाह हो जाये।

3- ज़ने ह़ामिला शिद्दते दर्देज़िह में अगर अपने दाहिने हाथ में ले बइ़नायते इलाही उसका काम आसान हो (फ़तावा रज़विया)

4- जो हमेशा पास रखे निगाहे ख़ल्क़ में मुअ़ज़्ज़ज हो

5- ज़ियारते रोज़ा-ए-मुक़द्दस नसीब हो या ख़्वाब में ज़ियारते

हुज़ूर अक़दस स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम से मुशर्रफ़ हो।

6- जिस लशकर में हो न भागे।

7- जिस क़ाफ़िला में हो न लुटे।

8- जिस कश्ती में हो न डूबे।

9- जिस माल में हो न चुरे।

10 -जिस हाजत में उस से तवस्सुल किया जाये पूरी हो।

11 -जिस मुराद की नियत से पास रखें ह़ासिल हो मौज़ए दर्द व मरज़ पर(दर्द और बीमारी की जगह) उसे रख कर शिफ़ायें मिली हैं, मोहलिकों, मुस़ीबतों में उस से तवस्सुल कर के नजात व फ़लाह़ की राहें खुली हैं। (बदरुलअनवार फी आदाबिलआसार)

बैअ़त किसे कहते हैं?

शैख़ुलइस्लाम वलमुस्लेमीन हुज़ूर आला ह़ज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ाँ अ़लैहिर्रहमा वर्रिज़वान एक इस्तिफ़ता के जवाब में फ़रमाते हैं बैअ़त के मअ़ना पूरे त़ौर से बिकना, बैअ़त उस शख़्स़ से करना चाहिए जिस में यह चार बातें हों वरना बैअ़त जाइज़ न होगी,अव्वलन, सुन्नी सहीहुलअक़ीदा हो, सानियन,कम अज़ कम इतना इ़ल्म ज़रूरी है कि बिला किसी इमदाद के अपनी ज़रूरत के मसाइल किताबों से ख़ुद निकाल सके। सालिसन उस का सिलसिला हुज़ूर अक़दस स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम तक मुत्तसिल हो कहीं मुन्क़तअ़ न हो। राबिअन, फासिक़े मोअ़लिन न हो यानी खुल्लम खुल्ला गुनाह करने वाला न हो।

इसी सिलसिला-ए-बयान में इरशाद हुआ कि लोग बैअ़त बतौरे रस्म होते हैं,बैअ़त के मअ़ना नहीं जानते बैअ़त उसे कहते कि ह़ज़रत यह़या मुनीरी(रहमतुल्लाहि अ़लैहि)के एक मुरीद दरया में

डूब रहे थे,ह़ज़रत ख़िज़र अ़लैहिस्सलाम ज़ाहिर हुये और फ़रमाया अपना हाथ मुझे दे कि तुझे निकाल लूँ उस मुरीद ने अ़र्ज़ की कि यह हाथ ह़ज़रत यहया मुनीरी के हाथ में दे चुका हूँ अब दूसरे को न दूंगा। ह़ज़रत ख़िज़र अ़लैहिस्सलाम ग़ाइब हो गये और ह़ज़रत यह़या मुनीरी ज़ाहिर हुये और उन को निकाल लिया। रद़ियल्लाहु अ़न्हु) (अलमलफूज़ हिस्सा दोम स 148)

इस्लामी शहज़ादो!

जब कोई इंसान दरया में डूब रहा हो तो ऐसे वक़्त में इंसान अपनी जान बचाने के वास्त़े जिस किसी का भी सहारा मिले तो वह सहारा लेने के लिए फौरन तय्यार हो जाता है यानी ऐसे वक़्त में अपना या बेगाना नहीं देखता है बल्कि मदद ले कर फौरन जान बचाने की कोशिश करता है मगर ह़ज़रत यहया मुनीरी रहमतुल्लाह अ़लैहि के मुरीद ने अपने पीर से सच्ची बैअ़त की बिना पर अपना हाथ ह़ज़रत ख़िज़र अ़लैहिस्सलाम के हाथ में नहीं दिया तब ह़ज़रत यह़या मुनीरी रहमतुल्लाह अ़लैहि ने फिलफौर अपने मुरीद की मदद फरमाई लिहाज़ा सच्चे पीरों से सच्ची महब्बत करो ताकि दुन्या से लेकर क़ियामत के दिन तक उन की बैअ़त मुफ़ीद साबित हो।

क़ारेईने किराम !

पीर से सच्ची महब्बत का इश्क़ व महब्बत में डूबा हुआ एक और वाक़िआ़ अपनी नज़रों के हवाले करें। सुल्तानुल मशाइख़ ह़ज़रत सरकार निज़ामुद्दीन महबूबे इलाही रहमतुल्लाहि अ़लैहि ने अपने बहुत ही चहीते मुरीद ह़ज़रत अमीर ख़ुस्रू को एक बार ''पुरानी दिल्ली'' किसी काम से भेजा। जब वह यहाँ पहुँचे तो किया देखा कि लोगों की भीड़ भाड़ से सड़क जाम है इधर से उधर जाना ऐसे ही है गोया कोहे हिमाला की चोटी पार करना।

हज़रत अमीर ख़ुसरू ने लोगों से दरयाफ़्त फरमाया यह भीड़ भाड़ कैसी है ? लोगों ने अ़र्ज़ किया हज़रत! आज अल्लाह के उस वली का विसाल हो गया है जिस ने अपने विसाल से पहले कह दिया था कि जो मेरे जनाज़ा को कांधा देगा वह जन्नती हो जायेगा। चुनांचे अल्लाह के उसी महबूब बन्दे का जनाज़ा जा रहा है। भला यह सुनने के बाद अब कौन अपने घर रह सकता है। गोया आज मकानों में ताले लग गये हैं जन्नत लेने के लिए सभी दौड़े जा रहे हैं।

मगर यह सुनते ही हज़रत अमीर ख़ुसरू ने अपने आप को एक काली कोठरी में छुपा लिया। जब जनाज़ा गुज़र जाने के बाद रास्ता साफ़ हो गया। तो बाहर निकले और सामान लेकर हज़रत सुल्तानुल मशाइख़ की बारगाह में हाज़िर हुये।

महबूबे इलाही ने फरमाया ! ख़ुसरू! बहुत देर हो गई। जवाबन अ़र्ज़ किया हुज़ूर रास्ता ख़ाली नहीं था। फरमाया कौन सी ऐसी ख़ास बात थी। अ़र्ज़ किया। अल्लाह के एक ऐसे वली का जनाज़ा जा रहा था। जिन्होंने अपने विसाल से पहले ही फरमा दिया था कि जो मेरे जनाज़े को कांधा देगा वह जन्नती हो जायेगा। यह सुन कर पूरी दिल्ली टूट पड़ी। ऐसी बशारते उज़्मा के बाद कौन अपने घरों में रह सकता है। महबूबे इलाही ने फरमाया। अच्छा तो तुम भी कांधा देने चले गये थे। इसी लिए देर हो गई?

अमीर ख़ुसरू ने अ़र्ज़ कियारू हुज़ूर! ऐसा नहीं है, बल्कि यह सुनने के बाद मैंने अपने आप को कोठरी में छुपा लिया था।

महबूबे इलाही ने फ़रमाया हैरत की बात है जन्नत मुफ़्त में मिल रही थी तुम लेने क्यों नहीं गये ?

हज़रत अमीर ख़ुसरू ने अ़र्ज़ किया! उनका वली होना बरहक़,

उनका फरमान भी सर आँखों पर लेकिन ऐ हुज़ूर! यह मअ़लूम होने के बाद कि जो जनाज़े को कांधा देगा वह जन्नती हो जायेगा। अब अगर मैं जनाज़े को कांधा देने जाता तो मैं दुन्या-ए-इश्क़ व महब्बत का मुजरिम क़रार पाता। दुन्या मुझे तअ़ना देती कि ख़ुसरू को अपने पीर पर ऐअ़्तेमाद(भरोसा) नहीं था जभी तो दूसरे से जन्नत लेने गया था। मेरे सरकार आप के पास किस चीज़ की कमी है जन्नत भी लूंगा तो आप से और आप ही वाली।

मेरे भाइयो! पीर हो तो ऐसा मुरीद हो तो ख़ुसरू जैसा।

(ख़ुतबाते निज़ामी स 240 ता 241)

शजरा ख़्वानी से मुतअ़द्दिद फ़वाइद हैं

अव्वल : रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम तक अपने इत्तेसाल की सनद का हिफ़्ज़।

दोम : स्वालेहीन का ज़िक्र कि मूजिबे नुज़ूले रहमत है।

सोम : नाम बनाम अपने आक़ायाने नेअ़्मत को ईसाले सवाब कि उनकी बारगाह से मूजिबे नज़रे इनायत है।

चहारुम : जब यह औक़ाते सलामत में उनका नाम लेवा रहेगा वह (बुज़ुर्गाने सिलसिला) औक़ाते मुसीबत उसके दस्तगीर होंगे। (अहकामे शरीअ़त अव्वल स 135)

शजरा आ़लिया क़ादिरिया बरकातिया

या इलाही रहम फ़रमा मुस्तफ़ा के वास्ते
या रसूलल्लाह करम कीजिए ख़ुदा के वास्ते
मुश्किलें हल कर शहे मुश्किल-कुशा के वास्ते
कर बलाएं रद शहीदे करबला के वास्ते

सय्यिदे सज्जाद के स़दक़े में साजिद रख मुझे
इ़ल्मे ह़क़ दे बाक़िरे इ़ल्मे हुदा के वास्ते
सि़द्क़े स़ादिक़ का तस़द्दुक़ स़ादिकुल इस्लाम कर
बेग़ज़ब राज़ी हो,काज़िम और रज़ा के वास्ते

बहरे मअ़रूफ़ व सरीय्य मअ़रूफ़ दे बे ख़ुद सरी
जुन्दे ह़क़ में गिन, जुनैदे बा सफ़ा के वास्ते
बहरे शिबली शेरे ह़क़ दुन्या के कुत्तों से बचा
एक का रख अ़ब्दे वाह़िद बे रिया के वास्ते

बुल फ़रह का सदक़ा कर ग़म को फ़रह़ दे हुस्न व सअ़द
बुलह़सन और बूसईदे सअ़्दज़ा के वास्ते
क़ादिरी कर क़ादिरी रख क़ादिरियों में उठा
क़द्रे अ़ब्दुल क़ादिरे कुदरत नुमा के वास्ते

अह़सनल्लाहु लहू रिज़क़न से दे रिज़्क़े ह़सन
बन्दए रज़्ज़ाक़ ताजुल अस़फ़िया के वास्ते
नस्रअबी स्वालेह का स़दक़ा स्वालिहो मन्सूर रख
दे ह़याते दीं मुह़िय्ये जां फ़िज़ा के वास्ते

तूरे इ़रफ़ान व उ़लूव व ह़म्द व हुस्नो बहा
दे अ़ली मूसा ह़सन अह़मद बहा के वास्ते
बहरे इब्राहीम मुझ पर नारे ग़म गुलज़ार कर
भीक दे दाता भिकारी बादशाह के वास्ते

खान-ए-दिल को ज़िया दे रूए ईमाँ को जमाल
शहे ज़िया मौला जमालुल औलिया के वास्ते
दे मुहम्मद के लिए रोज़ी कर अह़मद के लिए
ख़्वाने फ़ज़लुल्लाह से हिस्सा गदा के वास्ते

दीन व दुन्या की मुझे बरकात दे बरकात से
इश्क़े ह़क़ दे इश्क़िये इश्क़े इन्तेमा के वास्ते
हुब्बे अहले बैत दे आले मुह़म्मद के लिए
कर शहीदे इश्क़े हम्ज़ा पेश्वा के वास्ते

दिल को अच्छा तन को सुथरा जान को पूर नूर कर
अच्छे प्यारे शम्से दीं बदरूल ऊ़ला के वास्ते
दो जहाँ मे ख़ादिमे आले रसूलुल्लाह कर
ह़ज़रते आले रसूले मुक़्तदा के वास्ते

नूरे जान व नूरे ईमाँ नूरे क़ब्र व हश्र दे
बुलहुसैने अहमदे नूरी लिक़ा के वास्ते
कर अ़ता अहमद रज़ाए अह़मदे मुरसल मुझे
मेरे मौला ह़ज़रते अह़मद रज़ा के वास्ते

हामिद व मह़मूद और ह़म्माद व अह़मद कर मुझे
मेरे मौला हज़रते ह़ामिद रज़ा के वास्ते
सायए-जुम्ला मशाइख़ या ख़ुदा हम पर रहे
रह़म फ़रमा आले रह़माँ मुस्तफ़ा के वास्ते

बहरे इब्राहीम भी लुत्फ़ व अ़ताए ख़ास़ हो
नूर की सरकार से हिस्सा गदा के वास्ते
ऐ ख़ुदा! अख़्तर रज़ा को चर्ख़ पर इस्लाम के
रख दरख़शाँ हर घड़ी अपनी रज़ा के वास्ते

सदक़ा इन अअ़्याँ का दे छः ऐ़न इ़ज़्ज़ इल्म व अ़मल
अ़फ्व व इ़रफ़ाँ आ़फ़ियत इस बेनवा के वास्ते

नअ़ूत शरीफ़

ज़िंदगी यह नहीं है किसी के लिए
ज़िंदगी है नबी की नबी के लिए
ना समझ मरते हैं ज़िंदगी के लिए
जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए
चाँदनी चार दिन है सभी के लिए
है सदा चाँद अब्दुन्नबी क लिए
“انت فِيهِم”के दामन में मुन्किर भी हैं
हम रहे इशरते दाइमी के लिए
ऐश कर लो यहाँ मुन्किरो! चार दिन
मरके तर सोगे उस ज़िंदगी के लिए
दाग़े इश्क़े नबी ले चलो क़ब्र में
है चराग़े लहद रौशनी के लिए
नक़्शे पाये सगाने नबी देखिये
यह पता है बहुत रहबरी के लिए
वह बुलाते हैं कोई यह आवाज़ दे
दम में जा पहुचूँ मैं ह़ाज़िरी के लिए
ऐ नसीमे स़बा उन से कह दे ज़रा
मुज़तरिब है गदा ह़ाज़िरी के लिए
जिन के दिल में है इश्क़े नबी की चमक
वह तरस्ते नहीं चाँदनी के लिए
जिन के दिल में हैं जलवे तेरे इश्क़ के
वह हैं नज्मे ज़माँ रौशनी के लिए
अख़्तरे क़ादिरी ख़ुल्द में चल दिया
ख़ुल्द वा है हर एक क़ादिरी के लिए

(अज़ हुज़ूर ताजुश्शरीआ़ अलैहिर्रहमा)

नअ़ूते नबी

(स़ल्लल्लाहु अलैहि व आलिही वसल्लम)

मुनव्वर मेरी आँखों को मेरे शम्सुद्दुहा कर दें
ग़मों की धूप में वह साया-ए-ज़ुल्फ़े दोता कर दें
जहाँ बानी अ़त़ा कर दें भरी जन्नत हिबा कर दें
नबी मुख़्तारे कुल हैं जिस को जो चाहें अ़त़ा करदें
जहाँ में उनकी चलती है वह दम में किया से किया कर दें
ज़मीं को आस्माँ कर दें सुरय्या को सरा कर दें
फ़ज़ा में उड़ने वाले यूँ न इतरायें निदा करदें
वह जब चाहें जिसे चाहें उसे फरमाँ रवा कर दें।
हर इक मौजे बला को मेरे मौला नाख़ुदा कर दें
मेरी मुश्किल को यूँ आसाँ मेरे मुश्किल कुशा कर दें
अ़त़ा हो बे ख़ुदी मुझ को ख़ुदी मेरी हवा कर दें
मुझे यूँ अपनी उलफ़त में मेरे मौला फना कर दें
जहाँ में आ़म पैग़ामे शहे अहमद रज़ा कर दें
पलट कर पीछे देखें फिर से तजदीदे वफ़ा कर दें
नबी से हो जो बेगाना उसे दिल से जुदा कर दें
पिदर,मादर,बरादर,माल व जान उन पर फिदा कर दें
तबस्सुम से गुमाँ गुज़रे शबे तारीक पर दिन का
ज़िया-ए-रुख़ से दीवारों को रौशन आईना कर दें
किसी को वह हंसाते हैं किसी को वह रुलाते हैं
वह यूँही आज़माते हैं वह अब तो फ़ैसला कर दें

गिले तैबा में मिल जाऊँ गुलों में मिल के खिल जाऊ
हयाते जावेदानी से मुझे यूँ आश्ना कर दें

यह दौरे आज़माइश है उन्हें मंज़ूर है जब तक
न चाहें तो अभी वह ख़त्मे दौरे इबतेला कर दें

सगे आवारा-ए-सहरा से उकता सी गई दुन्या
बचाओ अब ज़माने का सगाने मुस्त़फ़ा कर दें

ज़माना ख़ूगरे मै है नई मै की ज़रूरत है
पिला कर अपनी नज़रों से वह तजदीदे नशा कर दें

मुझे किया फ़िक्र हो अख़्तर मेरे यावर हैं वह यावर
बलाओं को जो मेरी ख़ुद गरिफ़्तारे बला कर दें

(माख़ूज़ : सफीन-ए-बख़्शिश)

सलाम

अज़ आला ह़जरत **इमाम अहमद रज़ा** क़ादिरी
मुहद्दिसे बरेलवी कुद्दिसा सिर्रुहु

मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम
शमए बज़्मे हिदायत पे लाखों सलाम

शहरे यारे इरम ताजदारे हरम
नौ बहारे शफ़ाअ़त पे लाखों सलाम

शबे असरा के दूल्हा पे दाइम दुरूद
नो शहे बज़्मे जन्नत पे लाखों सलाम

जिस के माथे शफ़ाअ़त का सेहरा रहा
उस जबीने सआ़दत पे लाखों सलाम

जिस त़रफ़ उठ गई दम में दम आ गया
उस निगाहे इनायत पे लाखों सलाम

पतली पतली गुले कुद्स की पत्तियाँ
उन लबों की नज़ाकत पे लाखों सलाम

वह ज़बाँ जिस को सब कुन की कुंजी कहें
उसकी नाफ़िज़ हुकूमत पे लाखों सलाम

जिसकी तस्कीन से रोते हुये हंस पड़े
उस तबस्सुम की आ़दत पे लाखों सलाम

जिसको बारे दो आ़लम की परवाह नहीं
ऐसे बाज़ू की कुव्वत पे लाखों सलाम

कुल जहाँ मिल्क और जौ की रोटी ग़िज़ा
उस शिकम की क़नाअ़त पे लाखों सलाम

जिस सुहानी घड़ी चमका तै़बा का चाँद
उस दिल अफरोज़े साअ़त पे लाखों सलाम

भीनी भीनी महक पर महकती दुरूद
प्यारी प्यारी नफासत पे लाखों सलाम

ग़ौसे आ़ज़म इमामुत्तुक़ा वन्नुक़ा
जलवा-ए-शाने कुदरत पे लाखों सलाम

बे अज़ाब व ऐताब व हिसाब व किताब
ता अबद अहले सुन्नत पे लाखों सलाम

मेरे उस्ताद माँ बाप भाई बहन
अहलो वुल्द व अ़शीरत पे लाखों सलाम

एक मेरा ही रहमत में दावा नहीं
शाह की सारी उम्मत पे लाखों सलाम

काश महशर में जब उनकी आमद हो और
भेजें सब उनकी शौकत पे लाखों सलाम

मुझ से ख़िदमत के कुदसी कहें हाँ रज़ा!
मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम

नोट : अहले इल्म ह़ज़रात से अर्ज़ है कि किसी तरह की भी ग़लती नज़र आये तो बज़रीआ़ ख़त या फ़ोन से मुन्दर्जा पते पर राब्ता कर के मम्नून व मशकूर फ़रमायें।

ख़त व किताबत का पता

मुहम्मद इल्यास रज़ा ख़ाँ रज़वी
क़स्बा शेरपूर कलाँ मोहल्ला नवदिया तहसील पूरनपूर
ज़िला पीलीभीत यूपी अलहिन्द।
पिन न. 262122 मोबाइल न. 9410463164